राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] तेरहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का इक्यावनवां दिवस [संख्या : 18

मंगलवार,

17 अप्रैल, 2012

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डा. दिगम्बर सिंह।

अनुरोध एवं मांग

सदन में माननीय सदस्यों के आचरण एवं व्यवहार की जांच

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, आप विराजेंगे। यह तो प्रश्न काल है।(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्रश्न काल को ही मैं स्थगित करने की बात...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप तो सीनियर मेम्बर हैं। आप तो सीनियर मेम्बर हैं। प्रश्न काल के बाद में कोई बात होगी ना, आपकी पूरी बात सुनी जायेगी। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं सीनियर मेम्बर हूं, मैं सीनियर मेम्बर हूं इसीलिये बोल रहा हूं और आप भी सीनियर हैं इसलिये सुनें इसको। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसको बाद में भी रख सकते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): इसको बाद में भी रख सकते हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बाद में नहीं, अभी होगा। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): प्रश्न काल चल ले, बहुत अच्छा रहेगा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप पहले सुनें। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कई लोग प्रश्न के लिये, उसके बाद में आप जो कुछ भी रखना चाहें, रखें, कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप सुन लें पहले हमारी बात। Please listen me. (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में जिस प्रकार का गरिमाविहीन बरताव हुआ और आज जिस प्रकार समाचार पत्रों में हमको 'शिशुपाल' कहा गया, आज जिस प्रकार समाचार पत्रों में लिखा गया, मुझे दुःख इस बात का है, उपाध्यक्ष महोदय, कल हम बात को निपटाना चाहते थे...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर जो हुआ है और इस सदन के अन्दर जिस तरीके से एक मंत्री के साथ जो व्यवहार किया गया है, इसके लिये मैं रघु शर्मा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप... घनश्याम तिवाड़ीजी, उनका ही अंकित हो। माननीय तिवाड़ीजी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप मंत्री हैं, विराजिये अब। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

(डा. राजकुमार शर्मा, राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा श्री राजेन्द्र सिंह गुढा, राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा का सदन कूप में आगमन)

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब तिवाड़ीजी बोल रहे हैं, आप ख्वाहमख्वाह क्यों सदन का माहौल गर्माते हो? (व्यवधान) आप कृपा करके स्थान पर जाइये। (व्यवधान)

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप जिद नहीं करोगे, आसन भी नहीं करेगा। जब आपको बोलने का मौका दिया जायेगा तब बोलना आप। (व्यवधान) आप विराजिये। एक-एक सदस्य...(व्यवधान)

(श्री मुरारीलाल मीणा, राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि) का सदन कूप में आगमन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): थोड़ा शांति रखो, शांत रहो। हां, बिलकुल ठीक है। अब मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये कह रहा हूं कि जब तक सदन की कार्यवाही रोककर आप उन सारे फुटेज को नहीं देखेंगे, प्रोसीडिंग्स को ठीक नहीं करेंगे तब तक इस सदन की मर्यादाएं ठीक नहीं होंगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं, आप प्रश्न काल को स्थगित करें, आप फुटेज को देखें, आप उसको बुलाएं और उसके बाद कार्यवाही करें (भारी व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। (भारी व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में आगमन एवं नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 12.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.04 बजे 12.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(12.00 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.01 बजे 13.01 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(13:01 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज सुबह भी आपको कहा था, कल जो सारी घटनाएं हुई हैं, उन सारी घटनाओं से पूरे सदन की गरिमा गिरी है, सरकार की गरिमा गिरी है, प्रतिपक्ष की और सरकार की, राजस्थान की जनता की। इसलिए सुबह भी हमने आपसे मांग की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

थी कि सारे वीडियो फुटेज देखे जाएं और वीडियो फुटेज देखकर जिन पर जो कार्यवाही करनी है, सत्ता पक्ष उस कार्यवाही को प्रस्तावित करे और तब तक आप सदन की कार्यवाही स्थगित रखें। क्योंकि जब तक दोष का निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक ऐसा व्यक्ति सदन में बैठकर कार्यवाही में भाग ले, यह उचित नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप वीडियो फुटेज देखने की व्यवस्था करें और तब तक सदन की कार्यवाही स्थगित करें।

श्री उपाध्यक्ष: आप कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय जीवन में उच्चतम परम्पराएं बनाये रखने का दायित्व हमारा है, हम सबका है और सदन में और सदन के बाहर जनता हमसे यह एक्सपेक्ट करती है कि एक निश्चित प्रकार का व्यवहार, आचरण सदन में हम रखें। पूरा प्रदेश देखता है इस सदन की प्रोसीडिंग्स को और इन प्रोसीडिंग्स को देखकर इस सदन के बाबत वह अपना मत बनाता है, जन मत, आम जनता। तो जो कुछ भी हुआ, वह निश्चित तौर पर निन्दनीय था।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस व्यवहार के बाबत क्या जनता इम्प्रेशन लेती है, कल जो घटना घटी सवा नौ बजे के करीब, पचासों टेलीफोन आये और पचासों तरह के व्यक्तियों से बात हुई। उनकी बातें सुनकर मन बैठ गया, मन बैठा कि अगर यह आचरण हमारा रहता है और इस तरीके का व्यवहार अगर सदन में सदस्यों के बीच होता है तो निश्चित तौर पर इस सदन की कोई गरिमा बचेगी नहीं। मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि नोइंगली, विलफुल्ली, डेलिबरेटली अगर इस प्रकार का व्यवहार किया जाए तो फिर आशा क्या रखेगी सरकार से, यह जनता क्या सोचेगी, किसलिये हमें चुनकर भेजा गया है? हमें कानून बनाने के लिए भेजा गया है या कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए भेजा गया है?

मेरा आपसे निवेदन है कि कल जिस प्रकार का आचरण यहां पर हुआ, वह अशोभनीय था। आपने जो प्रस्ताव रखा, न्याय की दृष्टि से भी यह उचित होगा कि रिपोर्टिंग को भी पढ़ें और हम वीडियो फुटेज भी देखें। खास तौर पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आपकी उपस्थिति में, आप सदन के कम से कम आठ या दस, जिनको भी आप समझते हैं, उचित होगा, उनको यह फुटेज दिखायें और फुटेज दिखाकर हम

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

किसी निर्णय पर पहुंचें तो मैं यह समझता हूं कि जिसने गलती की है उसके खिलाफ भी कार्यवाही हो, जिस प्रकार की भी कार्यवाही आप तय करें या आपके आदेश से कमेटी तय करे, जिस प्रकार से हो, लेकिन यह होना चाहिए। अगर इस प्रकार से हम इन घटनाओं को इग्नोर करते गये, सिर्फ यह देखते रहे, इन घटनाओं को जाने दिया जाए, छोड़ दिया जाए या माफी करके बंद कर दिया जाए, तो मैं यह समझता हूं कि यह लोकतंत्र के लिये ही नहीं बल्कि यह समझिये कि गणतंत्र के लिये भी बड़ा नुकसानदायक है।

मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि हाउस नहीं चले; हाउस चले, अपना बिजनेस करता रहे, अपन अगर माननीय उपाध्यक्ष महोदय इजाजत देते हैं, अगर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इजाजत देते हैं...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले कार्यवाही हो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): प्रश्न काल हमने गंवा दिया। यह बात रखी, अभी हो रही है, यह प्रश्न काल के बाद में भी हो सकती थी लेकिन अब अपन बिजनेस नहीं होने दें, यह मैं मानकर चलता हूं कि गलत है। आधा घण्टा, एक घण्टा भर लगेगा, उसके बाद जो भी निर्णय हो जाएगा, हो जाएगा। फुटेज देखने के बाद, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक बिजनेस चलता रहे। मेरे ख्याल में मेरी इस मांग पर शायद आपको आपत्ति नहीं है, मैं इसमें आपका सहयोग भी चाहता हूं। उप नेता महोदय, मैं इसमें आपका सहयोग चाहता हूं कि बिजनेस चलता रहे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल की जो भी घटना हुई, निन्दनीय है, इस हाउस के लिए भी निन्दनीय है लेकिन जिस तरीके से भावावेश में होते हैं, निश्चित रूप से इस तरह का आचरण कोई भी माननीय सदस्य करता है, निश्चित रूप से उन सबको मिलना चाहिए। यह नहीं देखना चाहिए कि किसने पहले किया, किसने बाद में किया है। क्योंकि सदन में बहुत दफा न केवल यहां, बल्कि मैं समझता हूं कि अब सदन की गरिमा बिहार और यू पी की तरफ जा रही है। जो केवल बची है, आपस में मारपीट होना बाकी है, शब्दों से होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कल जिस प्रकार की

(श्री अमराराम)

घटना हुई है, उसके लिये फुटेज देखकर, जिस माननीय सदस्य ने भी गलती की है, निश्चित रूप से उसमें दें लेकिन इस सदन की कार्यवाही चलाई जाए। आज कृषि जैसी प्रमुख मांग है, राजस्थान की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है, उसकी मांग है, इसलिए निश्चित रूप से कार्यवाही की जाए और फुटेज देखकर जिन्होंने भी गलती की है वे या तो खुद इस बात को एग्री करे, वे अपनी गलती मानें, सदन से और जनता से माफी मांगें, उसके बाद चलायें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे थे कि हमने क्वेश्चन आवर गंवा दिया, हमने केवल क्वेश्चन आवर ही नहीं, पूरे सदन की गरिमा को भी गंवा दिया है। बड़ी तकलीफ के साथ यह कहना पड़ रहा है कि यह जो पूरा सेशन चला है, पूरी कार्यवाही को एक बार आप देख लें, एक दिन भी ऐसा नहीं गया है जिस दिन उन माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत आसन ने नहीं दी हो और एक दिन भी जो रेलेवेंट सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पर बोलने से तो उनका लेना-देना नहीं, किसी और ही बात को लेकर अपनी बात को शुरू करना और कल तो खैर पराकाष्ठा ही हुई, कल की तो पराकाष्ठा है लेकिन परिणति उस काम की है। उनको छूट देते-देते इस स्थिति तक आ गये कि विधान सभा के अन्दर अश्लील गालियां देने लग जाएं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कार्यवाही सदन की बाद में चलनी चाहिए। पहले एक कमेटी बना लें, चार की, छह की, आप निर्णय करें; कमेटी में फुटेज देखे जाएं; पूरे आप उसके कन्वरसेशन को देखें, उसके ऊपर क्या निर्णय लेना है, वह निर्णय लें; उसके बाद सदन की कार्यवाही चले।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाड़पुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की मर्यादा तार-तार हुई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसमें इतना सा कहना है कि हम पूर्ण सहयोग इस मामले में सरकार को करने के लिये तैयार हैं, सरकार का जो भी बिजनेस है वह रात तक बैठकर हम करने के लिए तैयार हैं, जो रिजोल्यूशन लेने हैं वे सब लेने के लिए तैयार हैं लेकिन मैं चाहूंगा, कल मैंने शाम को जाते समय भी यही बात कही थी कि जब तक इस घटना के बारे में हम, जैसा आपने प्रस्ताव रखा मैं उससे सहमत हूं; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन आठ को, दस को, बारह को, जिनको आप चाहें, बुलायें और बुलाकर फुटेज

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दिखा दें, आधा घण्टा, घण्टा लगेगा और उसके बाद निर्णय करके आप निर्णय कर लें। तब तक एक घण्टे के लिये, आधा घण्टे के लिये आप स्थगित कर दें ताकि बहुत अच्छे माहौल में, वातावरण में हम काम कर सकें और सरकारी काम में हम आपकी पूरी मदद करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं कह रहा हूं कि बिजनेस को चालू करने के लिए हम ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आधे घंटे बाद।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरी बात सुनिए। देखिए, हमारी गम्भीरता पर कृपया शक न करें। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि अगर ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): बिजनेस जरूरी नहीं है, आपकी, सदन की गरिमा जरूरी है। अगर सदन की गरिमा ही नहीं रहेगी तो बिजनेस करके क्या करोगे आप? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अगर रात को दो बजेंगे तो दो बजे तक बैठेंगे, आपका पूरा बिजनेस करेंगे पर कम से कम इस प्रकार के कृत्य के बारे में जब तक निर्णय नहीं होगा, तब तक सदन की कार्यवाही चलाना, मेरे खयाल से, उचित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): देखिए, निर्णय से सदन की कार्यवाही को कृपया न जोड़ें। हम पहले भी कह चुके हैं कि इस प्रकार की ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय मंत्री महोदय, जितनी गम्भीरता से आपने बात रखी, हाउस उससे बिलकुल संतुष्ट है। आपने बहुत गम्भीरता से बात रखी। इस विषय को आपने पहली बार गम्भीरता से लिया है, सारे लोग खुश हैं इस बात से लेकिन यह बीच में मकड़ी न मारो। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं गम्भीरता से ही कह रहा हूं आपसे कि अगर इस प्रकार की घटनाएं नहीं रोकी गईं तो निश्चित तौर पर यह सदन भिण्डी बाजार बन जाएगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां, बिलकुल सही है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): और यह जो हाल है, यह गालियों के काम्पीटिशन का हाल बन जाएगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बिलकुल ठीक बात है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसलिए इन घटनाओं को रोकने के लिए हम उतने ही गम्भीर हैं जितने आप गम्भीर हो। मेहरबानी करके सदन की कार्यवाही चलती रहे और कुछ ही देर में फुटेज देखकर के फैसला हो जाएगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): साहब, आधे घंटे में क्या फर्क पड़ रहा है? हम पूरा बिजनेस करेंगे, गम्भीरता से करेंगे, चाहे रात को दो बजे ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गम्भीर विषय है। यह सदन की गरिमा का सवाल है। (व्यवधान) और यहां हाउस चले, यह हम सब चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): हम कह चुके हैं कि अगर सदन की कार्यवाही आप गरिमामय वातावरण में चलाना चाहते हैं तो हमारे उप नेता...

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): मैं एक मिनट में बात खतम कर रहा हूं। हमारे उप नेता महोदय ने जो सुझाव दिया, उसके ऊपर हमें गम्भीरता से मनन, विचार करना चाहिए लेकिन विषय को बीच में छोड़ दिया। प्रश्न काल शुरू हुआ, होते ही किस प्रकार का वातावरण वेल में बन गया क्योंकि हमने निर्णय नहीं लिया। जिस प्रकार, देखिए, बहुत शर्मनाक है, हमारी मां और बहनें यहां बैठी थीं, वे चाहे सदन की मेम्बर हैं या ऊपर बैठी थीं, किस प्रकार के हालात हुए और हमने अगर इसमें कहीं भी ढिलाई बरती तो देखिए, इस प्रकार का कभी नहीं हुआ कि वहां से जो सत्ता में बैठे हैं, वे वेल में आ जाएं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : आप, उपाध्यक्ष महोदय, अभी व्यवस्था दे दें, हम तो अभी तैयार हैं।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): सही है, बिलकुल हम सहमत हैं, उसके लिए लेकिन सदन की कार्यवाही अच्छे वातावरण में नहीं चलेगी, मैं आपको फिर आगाह कर देता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): व्यवस्था तो आप दीजिए, उपाध्यक्षजी। (व्यवधान) यह सदन तब तक मत चलाइए, जब तक इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हो जाता। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): निर्णय नहीं लेने का क्या अर्थ है? निर्णय के ऊपर लीपापोती कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात आपके उप नेता महोदय ने सदन को अवगत करा दी।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): उप नेता ही नहीं, पूरा सदन चाहता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, काफी जैसे कल रात भी इस पर चर्चा हुई थी। यह सही है कि जो घटना हुई, वह सदन के लिए ही नहीं, वह राजस्थान के इतिहास के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन इसका आपको निर्णय भी करना है, आप ही को करना है और सदन भी आप ही को चलाना है। तो जैसा माननीय तिवाड़ी साहब ने फरमाया कि फुटेज देख लिये जाएं, धारीवाल साहब ने भी उसी बात को कहा। प्रश्न यह उठता है कि फुटेज देखने के बाद में जो भी निर्णय आम सहमति से हो, या जो भी माननीय सदस्य फुटेज देखें उनके निर्णय से हो, सदन को अवगत कराया जाए।

जहां तक कार्यवाही चलने का सवाल है, मेरा जहां तक सवाल है, आधे घंटे की यदि कोई कार्यवाही चल गई जीरो आवर की, जीरो आवर के बाद का तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए कार्यवाही आधे घंटे यदि चलती रहे तो इससे सदन का कोई होगा नहीं। इसलिए मेरा ...(व्यवधान) आप सुनिए तो सही। आप अपनी व्यक्तिगत राय को सदन को नहीं कर सकते। सदन की राय जानने का दूसरा तरीका है। इसलिए वह बात, उस बात को आप कृपा करके, हर व्यक्ति अपनी जिद, न आसन करता है, न किसी माननीय सदस्य को करनी चाहिए, न किसी पक्ष को करनी चाहिए। जिद से काम नहीं चलता है। काम होता है, जिस तरह से सब की सहमति बने, सदन चले। जो घटना हुई, उस घटना का जो भी अपन को नुकसान पहुंचा है, उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती लेकिन हम जितना भी उसका लेप कर सकें, ठीक कर सकें, इतना ही तो होता है न। तो आधे घंटे में, ...(व्यवधान) अब सदन के वोट, आपके नेता बैठे हैं, आप तो इनको राय दीजिए पहले। नेता की बात सुनी जाएगी, ऐसी बात नहीं है और आपकी भी सुनी जाएगी। आपकी बात तो सुनते आए हैं। पर मेरा जहां

(श्री उपाध्यक्ष)

तक खयाल है, आपकी राय हो तो माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने जैसा कहा, उसको मानने में क्या है? (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरह की इस तरीके की हरकत हुई है, जहां इतना अपशब्द बोला गया ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप बीच में ही, अब आपको इजाजत तो लेनी चाहिए न। माननीय भवानी सिंह जी, आपने इजाजत ली है क्या? (व्यवधान) जब मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं तो उस बात को मानना, नहीं मानना, यह सदन के सभी माननीय सदस्यों का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अपने-अपने विचार सब के होते हैं लेकिन मेरे विचार से, जो मैं समझ पाया हूं, आधा घंटा सदन चल जाएगा तो कोई सारी बात, प्रोसीडिंग्स तो पूरी नहीं होंगी। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): तो क्या हो जाएगा अब?

श्री उपाध्यक्ष: आधे घंटे में आप देख लोगे, 15 मिनट की फुटेज है।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): इसमें वोटिंग करवा ली जाए।

श्री उपाध्यक्ष: 15 मिनट की फुटेज है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): क्या करोगे? अभी दो घंटे नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आधे घंटे हाउस नहीं चलेगा तो कुछ नहीं होने वाला है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना गम्भीर इश्यू है और इस इश्यू के ऊपर आप कह रहे हो कि आधे घंटे चल जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा! (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आधे घंटे सदन नहीं चले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यानी इस सदन की गरिमा तार-तार हुई है और उसके ऊपर भी आपको चिंता नहीं है, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आधे घंटे सदन नहीं चले तो क्या होगा?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय उपाध्यक्षजी, आप सदन को चलाने की चिंता व्यक्त कर रहे हैं, हम सब की चिंता है कि सदन चलना चाहिए...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, एक घंटे का प्रश्न काल बहुत महत्वपूर्ण हमारा गया, अब आधा घंटे में ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: कार्यवाही अंकित नहीं हो। मैंने इजाजत दी नहीं है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, हालांकि कार्यवाही चलने में कोई विशेष अंतर आता हो, किसी निर्णय में, ऐसी कोई बात नहीं है और जिद माननीय सदस्यगण को करनी भी नहीं चाहिए। कार्यवाही चलने में, कार्यवाही में डिमांड्स हैं, रात को भी 11 बजेंगे। (व्यवधान) केवल मेरा अंकित होगा।

मेरा आपसे अनुरोध करना है, माननीय सराफ साहब, आपको किसी बात को कन्क्लूजन तक पहुंचाना पड़ेगा और यह जरूरी नहीं है कि कोई माननीय सदस्य अपनी जिद पर अड़े, वही कन्क्लूजन हो। जो भी कन्क्लूजन होगा, वह आप सब की राय से होगा, यह आज भी मैंने आपसे निवेदन किया था। (व्यवधान) अभी राय ले लें, निर्णय दे देंगे वाइस वोट से, हाथ खड़े करके तो निर्णय हो जाएगा? किसी एक के, इनके पक्ष में हो जाएगा, आपके पक्ष में हो जाएगा क्या? निर्णय क्या होगा, आपको पता है क्या, बाबूसिंहजी? (व्यवधान) आप सदन के वरिष्ठ सदस्य हो। भवानीसिंहजी, आप थोड़ी कृपा करिए। माननीय सदस्य, आप भी थोड़ा शांत रहिए, ऐसा कुछ नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): वोटिंग कराओ आप।

श्री उपाध्यक्ष: मेरा आपसे निवेदन है कि यदि सदन इस बात को मान ले कि कार्यवाही आधा घण्टा चले और आधा घण्टा फुटेज देख लें तो उसमें क्या हर्ज है?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप शांत रहिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह मैटर इतना सेंसिटिव है कि सदन के हर सदस्य का दिमाग बिलकुल उद्वेलित है और मैं यह समझकर चलता हूं कि इसमें डिफरेंस आफ ओपिनियन है ही नहीं, सब एक हैं और निश्चित तौर पर यह सदन तभी चल सकता है जब प्रतिपक्ष का सहयोग हो। अगर प्रतिपक्ष वाले यह समझते हैं कि आधा घण्टा रोक दें तो हमें कोई एतराज नहीं। व्यवस्था आपके हाथ में है, जो आपकी व्यवस्था होगी हम उसका पालन करेंगे।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप शांत तो रहिए। पहलवानजी सरनेम ही है, बाकी का मुझे पता नहीं है। (व्यवधान) आप सुनिए। चूंकि कमेटी किसकी बनायी जाय, यह बहुत गम्भीर मामला है, किस-किस को लिया जाय; हो सकता है, कोई व्यक्ति नया आ जाय, पुराना आ जाय, लेकिन कमेटी गठित करनी पड़ेगी। राय लेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। 10 आदमी की कमेटी होनी चाहिए, 2, 3 या 4 की राय में डिफरेंस आफ ओपिनियन हो सकती है। सभी तरफ के माननीय सदस्य हों, सभी पार्टीज के, यथासम्भव कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं जो सदन की कमेटी गठित हो- माननीय संसदीय कार्य मंत्री शांती कुमार धारीवाल; माननीय रतन देवासी, डिप्टी चीफ व्हिप; माननीय श्रीमती बीना काक, सीनियर मेम्बर हैं; माननीय श्री हरजीरामजी बुरड़क, बुजुर्ग आदमी हैं और वरिष्ठ हैं; (व्यवधान) आप सुनिए, आपका यह तरीका ...(व्यवधान) फिर आप कल की घटना की भर्त्सना करने की स्थिति में नहीं रहेंगे अगर बीच में बोलेंगे तो। आप थोड़ी शांति तो रखें। माननीय श्री हेमारामजी चौधरी, वरिष्ठ सदस्य हैं; (व्यवधान) अब आप थोड़ा, प्लीज। (व्यवधान) माननीय श्री घनश्यामजी तिवाड़ी; माननीय श्री गुलाबचंदजी कटारिया; डिप्टी चीफ व्हिप, रामहेतजी यादव; माननीय जीवारामजी चौधरी; पेमारामजी, कल सदन में थे। ये 10 आदमी फुटेज को देखेंगे अलग से कमरे में। सदन की कार्यवाही, डा. दिगम्बर सिंह...(व्यवधान) अब उसके बाद, मेरा खयाल है, सदन की कार्यवाही चलाने में कोई एतराज अब तो नहीं करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उसके बाद ही।

श्री उपाध्यक्ष: एक घण्टे के लिए सदन को स्थगित किया जाता है, तब तक ये फुटेज देखेंगे।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.23 बजे 14.23 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(14.23 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(मेजर ओ. पी. यादव, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.24 बजे 15.24 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(15.24 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फैसला क्या हुआ, साहब?

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा, आप बोलना चाहते हैं।

सदस्य का निलम्बन

हनुमान बेनीवाल, श्री, सदस्य, का एक वर्ष के लिए

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल की घटना के सम्बन्ध में आपने आज दिनांक 17.4.2012 मंगलवार को 11 सदस्यों की जिस समिति का गठन किया, उसने कल की घटना के सम्बन्ध में सभी फुटेज देख लिए हैं और बहुमत से यह निर्णय लिया है कि माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल ने नोइंगली, विलफुल्ली, डेलिबरेटली, जान-बूझकर, सआशयवश शब्दों का बार-बार प्रयोग किया है जो कि अन्य माननीय सदस्यों की छवि को क्षति पहुंचाने की नीयत से किया गया है और वह सदन के घोर अपमान एवं अवमानना की श्रेणी में आता है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। इस सम्बन्ध में कल ही मुख्य सचेतक ने भी आसन से आग्रह किया था कि वीडियो फुटेज देखने के बाद ही इन नियमों के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु व्यवस्था देवें। अतः मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदस्य के उक्त कदाचार के फलस्वरूप उन्हें सदन की सदस्यता से एक साल की अवधि के लिए निलम्बित किया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): राजकुमारजी का क्या हुआ? राजकुमारजी का क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): यह कमेटी का नहीं है। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, कमेटी आपके आदेश से बनी थी, यह कमेटी आपके आदेश से बनी थी...

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें, आप विराजें। आप उस कमेटी के सदस्य थे... मेरी बात तो सुन लीजिए, यह बहस का मुद्दा नहीं है। देखिए, आज सदन की भावना-अनुरूप और कल की जिस तरह की जो चर्चा हुई, उसके अनुरूप यह निर्णय हुआ था आसन से भी और यह भावना थी कि फुटेज देखकर के निर्णय दिया जाएगा। आज सुबह भी जब सदन प्रारम्भ हुआ, यह बात आई। माननीय उप नेता महोदय आप वहां थे, पेमारामजी भी थे, सभी माननीय 11 सदस्य वहां थे, आपने सबने देखा है। उस बात को कितना ही लम्बा अपन करें, निर्णय आपको करना है; आसन को निर्णय नहीं करना है, निर्णय तो सदन को करना है। तो उसी के मुताबिक जो भी विचार-विमर्श करके जो निर्णय आया है, या जो माननीय उप मुख्य सचेतक महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके बारे में मेरा तो यही निवेदन करना है कि इस प्रस्ताव के बारे में निर्णय करना है। बाकी बाद में जो भी, जैसा भी, सदन चले।

इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रश्न यह है कि सरकारी उप मुख्य सचेतक महोदय द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

सरकारी उप मुख्य सचेतक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, बात सुनिये, आपके आदेश से मैं उस कमेटी का सदस्य था। कमेटी को पूछे बिना सरकार अपनी मर्जी के मुताबिक कोई ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। केवल मेरा अंकित होगा। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम -131 के अन्तर्गत श्री कैलाश चन्द मीणा, सदस्य, विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के ग्राम थड़ोनल, तहसील अकलेरा में कथित रूप से अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को फर्जी तरीके से सवर्ण जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय कैलाशजी। आपका अंकित नहीं होगा, आप विराजिए। श्री कैलाश मीणा, केवल कैलाशजी का। (व्यवधान) निर्णय होने के बाद ...(व्यवधान) निर्णय सदन का हो गया। माननीय कैलाशजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री कैलाश चन्द मीणा (मनोहरथाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ...(व्यवधान) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के ग्राम थड़ोनल, तहसील अकलेरा में कथित रूप से अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को फर्जी तरीके से सवर्ण जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सम्माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री हनुमान बेनीवालजी, माननीय श्री हनुमान बेनीवालजी, आप सदन से बाहर चले जाएं। आप सदन से बाहर चले जाएं, आप सदन से बाहर चले जाएं। माननीय हनुमानजी बेनीवाल, आपका एक साल के लिए निलम्बन का प्रस्ताव स्वीकार हो चुका है, आप सदन से बाहर चले जाएं।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री मुरारीलाल मीणा, तकनीकी शिक्षा (कृषि) राज्य मंत्री, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 की धारा-42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 एवं स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 की धारा-32 (4) के अन्तर्गत स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 सदन की मेज पर रखेंगे। श्री मुरारीलाल मीणा।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2010-11)

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 की धारा-42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011, एवं

स्वामी केश्वानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2010-11)

स्वामी केश्वानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 की धारा-32 (4) के अन्तर्गत स्वामी केश्वानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे। आपको याचिका का उपस्थापन करना है?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह अपमान हम सहन नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष: आप नहीं रखना चाहते?

श्री शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा तीन याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे। श्री शंकर सिंह। केवल शंकर सिंहजी का अंकित होगा। केवल शंकर सिंहजी का।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

याचिका

चौकड़ी ग्राम (खण्डेला) में जारी अवैध ब्लास्टिंग को रोका जाना

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से

1. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के चौकड़ी ग्राम में हो रही अवैध ब्लास्टिंग रोकने बाबत्,

जवाजा पंचायत समिति मुख्यालय (ब्यावर) को तहसील खोला जाना

2. ब्यावर विधान सभा क्षेत्र की जवाजा पंचायत समिति मुख्यालय को तहसील बनाने बाबत एवं

जवाजा पंचायत समिति (ब्यावर) में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र

3. बजट भाषण 2012-2013 में की गई घोषणानुसार पंचायत समिति जवाजा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने बाबत् याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक। कैरियर पाइंट विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2012। डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि कैरियर पाइंट विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाय।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

कैरियर पाइंट विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कैरियर पाइंट विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2012 विचारार्थ लिया जाय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओम बिरला।

(अनुपस्थित)

श्री पेमाराम।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री अमराराम।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री पवन दुग्गल।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि कैरियर पाइंट विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान) इसलिए हम बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

खण्डशः विचार

श्री उपाध्यक्ष: खण्डशः विचार।

खण्ड-2 से 47 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 47 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 47 स्वीकार किये गये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ...(व्यवधान) तानाशाही, सरकार की विफलताओं को बचाने के लिए जो एकतरफा निर्णय किया, इसलिए हम बहिष्कार करते हैं।

(भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष: अनुसूची-1 एवं 2 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची-1 एवं 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची-1 एवं 2 स्वीकार की गईं।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि कैरियर पाइंट विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2012 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कैरियर पाइंट विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2012 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कैरियर पाइंट विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2012 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

कैरियर पाइंट विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2012 को पारित किया गया।

श्री हरजीराम बुरड़क, कृषि मंत्री अनुदान की मांग संख्या 37-कृषि एवं मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 37-कृषि की प्रस्तुति

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,50,65,12,000/- (पन्द्रह अरब पचास करोड़ पैंसठ लाख बारह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 37 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,88,19,05,000/- (तीन अरब अठ्ठयासी करोड़ उन्नीस लाख पांच हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 39 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये। श्री प्रभुलाल सैनी।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि एवं पशुपालन की मांग पर चर्चा हो रही है और मैं अपने विचार आपके माध्यम से सदन में व्यक्त करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं यू.एस.ए. के फोर्मर प्रेसिडेंट, जार्ज वाशिंगटन के उन शब्दों से मेरी बात को शुरू करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा है. ''No race can prosper till it learns i.e. as much dignity in tilling fields as in writing poems." उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा है कि खेती करने का उतना ही मजा है जितना एक कवि को कविता लिखने में आनन्द आता है। यानी कृषि की महत्ता को उन्होंने अपने इन शब्दों के माध्यम से कहा है कि कोई भी सभ्यता तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वह यह नहीं समझे कि खेती करने में जो सम्मान है, वह वैसा ही है जैसा एक कविता लिखने में। पण्डित जवाहर लाल नेहरू के शब्दों को भी मैं आपके समक्ष सदन में रखना चाहूंगा, ''हर अन्य बात इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि इंतजार नहीं कर सकती। कृषि का एक समय होता है, कृषि की एक व्यवस्था होती है।''

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहूंगा, आज कृषि मांगों पर यह तीसरी बार चर्चा हो रही है और मैं तो यह समझ रहा था कि पहले जब तीन बार चर्चा नहीं हुई तो शायद आज भी नहीं होगी। शायद, हो सकता है, कृषि के प्रति गंभीरता नहीं हो, या कुछ परिस्थितिजन्य कोई बात बनी हो। लेकिन अब यहां जो हम सब बैठते हैं, लगभग 75 प्रतिशत लोग हैं जो कृषि और किसान से जुडे हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा एक बहुत बड़े विचारक के शब्द ''भारत भले ही गांवों में बसता है लेकिन इसके कर्णधार गांवों में नहीं बसते हैं और न ही उनके मन में भारत रचा और बसा है। सत्ता की लगाम का अंतिम छोर भले ही गांवों में हो लेकिन उसकी लगाम जो गांव-गांव में पड़ी हो, आज भी उद्योगपति और दलालों के हाथों में वह बिछी हुई है।'' इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको कि अगर हमको कर्जमुक्त हिन्दुस्तान करना है, कर्जमुक्त किसान करना है तो अब यह नहीं चलने वाला कि वोट हमारा और राज तुम्हारा। अब यह नहीं चलने वाला है। इसलिए मैं आज निवेदन करना चाहूंगा, कृषि के बारे में ...

श्री कैलाश चन्द मीणा (मनोहरथाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षित किया, उसका मंत्रीजी से जवाब तो दिलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्षः आप विराजिये अभी।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कृषि का बजट पेश किया, यदि जिन मांगों पर आज चर्चा हो रही है, पशुपालन और कृषि पर, उन मांगों को यदि हम देखते हैं तो किसानों के साथ, उनकी आशाओं के साथ इस बजट में खिलवाड़ किया गया है। इस कृषि और पशुपालन का यदि जी डी पी रेश्यो हम देखें तो 26.75 प्रतिशत है और यदि हम बजट को देखें तो मात्र एक प्रतिशत भी बजट में किसानों के लिए नहीं दिया गया। इससे ऐसा लगता है कि यह सरकार किसानों के प्रति और गांवों के प्रति गम्भीर नहीं है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि जी डी पी में पशुपालन का रेश्यो 14 प्रतिशत है लेकिन पशुपालन के बारे में भी कोई गम्भीर घोषणा इस सदन में नहीं हुई है।

मैं इसको आगे बढ़ाते हुए इतना निवेदन करना चाहूंगा कि बजट की जो अवधारणा है, बजट का जो इकबाल है, वह ऐसा होना चाहिए जिसमें आम जनता, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित, किसान, महिला, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, समान अपोर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बजट की जो अवधारणा है, Government to ensure that the declaration of the equal share and equal opportunities to all does not remain only a slogan. We have to give special attention to the development of the weaker sections, backward classes, farmers, minorities and women so that the precious social system can be built on the foundations of the social justice. यानी सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित। यदि हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं बजट में, सारे वर्गों को समान रूप से समान पैसा, समान अवसर यदि हम देना चाहते हैं तो हमें किसानों को भी समान अवसर देना चाहिए। क्योंकि वह अन्नदाता अपने देश का, अपने प्रदेश का पेट पालता है, अन्न पैदा करता है। कभी वह प्रकृति की मार में ओलावृष्टि में मारा जाता है, कभी उसके उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो आपने देखा होगा, आलू सड़कों पर फेंके जाते हैं; यदि लहसुन ज्यादा हो गया तो पांच रुपये किलो में जाता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा निवेदन इतना था कि सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि हमने जो बात कही है कि समान भागीदारी और समान वित्तीय प्रबंधन, यह एक नारा नहीं होना चाहिये, स्लोगन नहीं होना चाहिये, आत्मा से होना चाहिये, मन से होना चाहिये और सबके लिये समान अवसर होने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा, बजट 2012 में

(श्री प्रभुलाल सैनी)

किसानों के लिये घोषणाएं की गई हैं और उन बजट घोषणा के पैरा 94 की ओर मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा। बजट में कहा है कि खाद का अग्रिम भंडारण करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, खाद का अग्रिम भंडारण करेंगे, इसमें नई बात क्या है? यह तो हम शुरू से करते आये हैं। वसुंधराजी के राज से दो-ढाई लाख मिट्रिक टन प्रत्येक वर्ष हम राजफेड के माध्यम से सोसाइटीज को बंटवाया करते थे। इसमें क्या बजट घोषणा की जरूरत थी? मैं समझता हूं कि इतना बड़ा काम नहीं था जो किया जाना चाहिये था।

दूसरा, पैरा 95 में उन्होंने कहा कि कृषि छात्राओं की छात्रवृत्ति में हम वृद्धि करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह पहले ही व्यवस्था थी, 2006-07 में हम लोगों ने इसमें पहले ही वृद्धि करके तीन हजार किये थे, जो कि हायर सेकण्डरी कृषि का विषय पढ़ती थीं। जो साइंस में ग्रेजुएशन और पोस्ट-ग्रेजुएशन करती थीं, उनको हम लोग पांच हजार रुपये देते थे; जो पीएचईडी करती थीं, उनको हम दस हजार रुपये देते थे। आप लोगों ने पांच-पांच हजार उनको बढा दिये। मैं समझता हूं, राजस्थान की सारी कृषि व्यवस्था में क्या पांच-पांच हजार रुपये बढ़ाने से सुधार हो जायेगा? अच्छा होता, मुख्य मंत्रीजी बजट में घोषणा करते कि जो कृषि व्यवस्था 75 प्रतिशत लोगों की है, हम कृषि विषय को प्राथमिक स्तर से शुरू करते जो कि आज की आवश्यकता थी। इनको घोषणा करनी चाहिये थी कि जो कृषि सब्जेक्ट ही नहीं है, उस सब्जेक्ट को कक्षा पांच से प्राथमिक स्तर से हम पढ़ाते। बागवानी पढ़ाते, कृषि पढ़ाते, फ्लोरीकल्चर को पढ़ाते, होर्टीकल्चर को पढ़ाते, पोल्ट्री को पढ़ाते। निश्चित रूप से सबको तो नौकरी मिलने वाली भी नहीं है, यह आप भी जानते हैं, आप किसान हैं लेकिन अच्छा होता, इस प्रकार की घोषणा मुख्य मंत्रीजी करें। कृषि विषय को कम्पलसरी कर देना चाहिये ताकि यहां का बच्चा पढ़-लिखकर कम से कम स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, पैरा संख्या 96 में जिस प्रकार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पाली, जोधपुर में खोलने की बात हुई है, इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा। अच्छे काम के लिये बधाई देने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय खोला इसके लिये तो हम बधाई देंगे लेकिन पैरा संख्या 98 को हम देखते हैं कि ड्रिप एवं फर्टिगेशन के लिये हम 90 प्रतिशत अनुदान देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना

(श्री प्रभुलाल सैनी)

चाहूंगा, राजस्थान में 12 लाख जल स्रोत हैं; 8 लाख से ज्यादा से हमने ड्रिप, स्प्रिंकलर, सबसे किसानों को लाभान्वित किया; 4 लाख ऐसे कुएं थे जहां पानी नहीं है, ड्राई जोन की घोषणा हो गई, आप ड्रिप और स्प्रिंकलर तो लगाना चाहते हो लेकिन दूसरी ओर आपने ड्राई जोन घोषित कर दिया पूरे राजस्थान को, लगभग 237 ब्लाक्स में से आप लोगों ने ¾ डार्क जोन घोषित हुआ है। ट्यूबवेल नहीं खोद सकते, आप कुआ नहीं खोद सकते। आप किसमें ड्रिप लगाना चाहते हो? आपको इस विषय पर भी विचार करना चाहिये था।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जितने भी सब्सिडी के प्रकरण हैं, तीन-तीन साल से ड्रिप इर्रिगेशन का भुगतान जालौर-बाड़मेर के लोगों को नहीं हुआ है। क्योंकि सरकार कहती है, लोगों के वहां पर लग जाते हैं लेकिन उनको पेमेंट नहीं होता है। अभी तो आपने एक आदेश और जारी कर दिया कि अब जो ड्रिप इर्रिगेशन और स्प्रिंकलर लगायेगा, हम उस काश्तकार को पैसा देंगे; लेकिन कब देंगे, जब वह काश्तकार अपने स्वयं के संसाधनों से ड्रिप इर्रिगेशन लगायेगा। जिसके पास 2-4 बीघा जमीन होगी, वह 2 से 3 लाख रुपये क्या अपने पास से खर्च करेगा? फिर उसको आफिस-टू-आफिस चक्कर काटना पड़ेगा, दो-तीन साल बाद उसको पैसा मिलेगा। क्या यह फीजिबल है? क्या यह वास्तविकता है?

पैरा संख्या 103 के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, काश्तकार अपने खेतों पर प्रोसेसिंग यूनिट लगायें, हम उनको पूंजीगत निवेश पर सब्सिडी देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, खेत पर कोई भी काश्तकार क्या प्रोसेसिंग यूनिट लगायेगा? जब तक उसको पूरी तरह से असिस्ट नहीं करते, हम उसको बिजली नहीं दे पा रहे, आज बिजली की स्थिति यह है, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी यहां नहीं हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि जो भी काश्तकार ड्रिप और स्प्रिंकलर लगायेगा, हम उनको प्राथमिकता से; दिसम्बर 2009 तक जिन काश्तकारों ने बिजली के फार्म जमा करा दिये, उनको हम लाइट देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा, पूरे राजस्थान एक या दो जिलों में एक-एक, दो-दो कनेक्शन हुए हैं। उसका कारण यह है कि वह व्यावहारिक नहीं था। काश्तकारों से सारा पैसा वसूल करोगे, उसके तार का पैसा, ट्रांसफार्मर का पैसा, उसकी खिंचाई का पैसा, पोल का पैसा उस लघु और सीमांत किसान से लेने की बात कहकर यदि हम किसी योजना को लांच करते हैं, आज मैं कहता हूं कि पूरे राजस्थान में 50 से ज्यादा कनेक्शन भी उस

(श्री प्रभुलाल सैनी)

योजना में नहीं हो पाये होंगे। हमने माननीय मंत्री महोदय का भी ध्यान आकर्षित किया था और हमने यह कहने का भी प्रयास किया था कि माननीय ऊर्जा मंत्रीजी आप किसान हैं, आप किसानों की पीड़ा को समझें। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिये। इन्होंने बजट में घोषणा की थी, 65 हजार किसानों को हम विद्युत कनेक्शन दे देंगे, दे दिये कनेक्शन? 65 हजार किसानों के बजाय 75 हजार किसानों को इन्होंने 2008 तक के डिमांड नोट जारी कर दिये, तीन साल हो गये डिमांड नोट के पैसे लिये हुए, आज दिन तक भी 50 प्रतिशत से ज्यादा किसानों के कनेक्शन नहीं हो पा रहे। हम बिजली भी लगाना चाहते हैं, हम घोषणा भी करना चाहते हैं, हम ड्रिप और फर्टिगेशन भी करना चाहते हैं, और कनेक्शन भी नहीं देना चाहते हैं। यह कथनी और करनी का अंतर, मैं समझता हूं, काश्तकारों के साथ अन्याय है।

उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालन के बारे में आपने बजट में सिर्फ एक घोषणा की है और कहा है कि अब हम पशुओं का इलाज भी आदमियों की तरह फ्री कर देंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा सदन को कि क्या यह सरकार सिर्फ इसलिए पशुपालन में काम करेगी कि हम उस बीमार पशु का इलाज फ्री कर देंगे? अच्छा होता हमारे राजस्थान की जो ब्रीड है, उसको आगे बढ़ाने की बात करते, दूध को बढाने की बात करते, बछडा पालन योजना की बात करते। हमारी जब सरकार थी, हम लोगों ने कल्पना की थी और विचार किया था हम लोगों ने कि हमारा विजन होना चाहिये कि कृषि में कम लागत-अधिक उत्पादन कैसे हो, मार्केटिंग चैनल की स्थापना कैसे होनी चाहिये, पानी का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिये, एक-एक बूंद का उपयोग कैसे होना चाहिये, प्रोसेसिंग वेल्यू एडिशन, इस प्रकार के जो काम हैं जिनमें निर्यात भी है, उनको स्थापित करने की योजना हम लोगों ने बनाई और उस योजना के अन्तर्गत देश के ख्यातनाम विशेषज्ञ एम एस स्वामीनाथन ने कहा था कि राजस्थान में पानी की कमी आने वाली है। राजस्थान में प्रोडक्शन की दृष्टि से आज भी कई जिंसों में देश में नंबर एक पर हम चल रहे हैं, बिना पानी के भी। यदि राजस्थान के किसान को पर्याप्त पानी मिलता है, यदि राजस्थान के किसान को एक एग्रीकल्चर मैनेजमेंट मिलता है, इसके लिये हमने हमारे वक्त में एक टास्क फोर्स का गठन किया और हम लोगों ने उसके 6 थीमेटिक ग्रुप्स बनाये और ग्रुप्स बनाकर यह तय कर दिया, पूरे देश के जो विशेषज्ञ थे उनके सामने ग्रुप्स बनें और उसका उद्देश्य यह था कि राजस्थान की कृषि वैज्ञानिक सोच के

(श्री प्रभुलाल सैनी)

आधार पर होनी चाहिये, हमारे पशु और पशुपालन की ऋण नीति बननी चाहिये। इसकी पहली बैठक राजस्थान में 17-18 अप्रैल, 2006 को हम लोगों ने की और उस बैठक में यह तय कर दिया था कि अब ट्रेडिशनल खेती के बजाय नवाचार के क्षेत्र में हमको काम करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि जो 6 थीमेटिक ग्रुप्स हमने बनाये, उसमें मृदा स्वास्थ्य के बारे में हमने चिंता की। किसान खेती तो करेगा लेकिन उसको यह बताना जरूरी होगा कि आपके यहां सेलिनिटी की यह मात्रा है, फ्लोराइड की मात्रा इतनी है, आपके खेती नहीं हो सकती, फलां फसल आप बो सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट का काम हम लोगों ने हाथ में लिया। तीसरा, टेक्नोलोजी एण्ड इन्पुट मैनेजमेंट यानी तकनीकी और आदान प्रबंधन....

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): मैं तो पहला ही वक्ता हूं, साहब। आप सही कह रहे हो, आपका आदेश तो मानते हैं हमेशा ही, आज भी मानेंगे लेकिन अभी तो शुरू ही हुआ है।

चौथा, वेल्यू एडिशन, एग्रो प्रोसेसिंग...

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी सीट से बोलिए, मैडम। ऐसे नहीं, आप अपनी सीट पर आकर बात करिये।

हां, बोलिए, प्रभुलालजी।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, वेल्यू एडिशन, एग्रो-प्रोसेसिंग और मार्केटिंग स्पाट्स के बारे में हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने यह कहा कि जहां उत्पादन होगा, विपणन वहीं होगा। सोजत में मेहंदी होती है, देश में ही नहीं, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जानते हैं कि मेहंदी कहां पैदा होगी, इसका उपयोग क्या होगा। आज पूरे देश को उसकी जरूरत है। हम लोगों ने सोजत में मेहंदी का स्पेशल मार्केट बनाया। हम लोगों ने सोचा आपके टोंक में मिर्ची पैदा होती है तो मिर्ची का स्पेशल मार्केट टोंक में बनाया; गंगानगर में देखा, किन्नू ज्यादा पैदा होगा, हमने किन्नू का मार्केट बनाया; जोधपुर में देखा, जीरा अधिक पैदा होता है तो जीरे का स्पेशल मार्केट बनाया। इसी प्रकार, हमने सोचा शाहपुरा में टिण्डा होगा, टिण्डे की स्पेशल मण्डी बनाई। यदि चौमूं में आंवला पैदा होगा, हम आंवले का स्पेशल मार्केट बनाएं। मेरे कहने का तात्पर्य है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां उत्पादन वहां विपणन होगा। यह टास्क फोर्स के आधार पर दिये हुए निर्देशों के आधार पर हम लोगों ने काम किया।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

उसके बाद हम लोगों ने इसका पांचवां एक ग्रुप बनाया, उसमें क्रेडिट एंड इंश्योरेंस का बनाया। यह पूरे प्रदेश में यह देखेगा, काश्तकार को लोन कैसे मिले, कहां से मिले, किस प्रकार मिले; यह व्यवस्था हम लोगों ने की। छठा जो था, एनिमल हस्बेंडरी एण्ड फोडर की व्यवस्था कैसे हो।

ये छह बिन्दु बनाये थे लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, तीन साल में पता नहीं लगा वह टास्क फोर्स कहां गया, वह क्यों बंद हो गया, उसका अब क्या नतीजा आने वाला था। अच्छा होगा, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि टास्क फोर्स को फिर से काम पर लगाएं, राजस्थान की कृषि को आगे बढ़ाने की और आगे बढ़ें।

मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा, आपने बजट में घोषणा की, पैरा संख्या 110, और उसमें कहा गया, प्रदेश में पशुपालकों को अधिक दूध उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए आर सी डी एफ के माध्यम से 25 करोड़ रुपये की लागत से पाली में कैटल फीड प्लांट, 40 करोड़ की लागत का जयपुर में पाउडर मिल्क प्लांट का निर्माण करवाया जाएगा। सरकार करेगी; आर सी डी एफ कर रही है, उसमें अपना क्या काम? अच्छा होता सरकार इसमें अपने स्टेट मद से देती। जब आर सी डी एफ को करना है, स्वतंत्र बाडी है, वह तो वैसे भी करती है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी ने मुख्य मंत्रीजी से घोषणा गलत कराई है । इसमें इस बात का ध्यान नहीं दिया कि घोषणा में कैटल फीड प्लांट की जो बात है, पाली में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। उपयोगिता इसलिए नहीं है क्योंकि जोधपुर में अभी कैटल फीड प्लांट है और 50 टन पर-डे कैटल फीड का प्रोडक्शन होता है। पाली में पाउडर मिल्क प्लांट नहीं है, जहां जरूरत थी। जयपुर में जो लगा रहे हैं, जयपुर में आलरैडी यहां पर मिल्क प्लांट, स्कीम्ड मिल्क प्लांट लगा हुआ है और उसमें 15 टन क्षमता का दूध का पाउडर यहां बनाया जाता है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, तीन माह ही चलता है, बाकी लीन सीजन में यह बंद रहता है। यहां पर पाउडर प्लांट की जरूरत नहीं थी, आपने घोषणा की। जहां कैटल फीड प्लांट की जरूरत नहीं थी, वहां आपने उसकी घोषणा कर दी। अच्छा होगा, इस पर भी मुख्य मंत्रीजी विचार करके देखें।

मेरा तो आपसे इतना निवेदन है कि जी डी पी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो हम बात करते हैं सारे सदन में, मैं यह कहना चाहूंगा, ये आंकड़े

(श्री प्रभुलाल सैनी)

है, ये कोरे कागजी आंकड़े हैं। असली जी डी पी है वह मैं आपको मेरे विचारों से निवेदन करना चाहूंगा, जी से मतलब है गुड गवर्नेंस, डी से मतलब है डवलपमेंट, पी से मतलब है प्रोटेक्शन। यह है जी डी पी, असली। अगर हम राज में सुशासन ला सकते हैं, यदि हम विकास दर को बढ़ा सकते हैं, यदि हम सबकी सुरक्षा कर सकते हैं, यह है वास्तविक जी डी पी सरकार की। मैं कह रहा हूं जिस जी डी पी की बात करते हैं, प्रचलन की बात करते हैं, यह व्यावहारिक नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सेन्ट्रल से लेकर नीचे तक यह व्यवस्था होनी चाहिए, सुशासन होना चाहिए, विकास होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। यदि रक्षा, सुरक्षा हम करते हैं तो इससे बढ़िया जी डी पी और कोई नहीं हो सकती।

अब मैं आपको निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कृषि में किसान को पांच चीजें बहुत आवश्यक हैं, पहली, उसको बिजली मिलनी चाहिए; दूसरी, उसको खाद मिलनी चाहिए; तीसरी, बीज; चौथी, पानी; और पांचवीं, मार्केट होना चाहिए उसकी फसलों को बेचने के लिए। ये पांच बिन्दु अगर कोई भी सरकार करती है और पांचों बिन्दुओं पर हमारी सरकार ने काम किया, वसुन्धरा जी के राज में हम लोगों ने काम किया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज हम बात करते हैं टर्मिनल मार्केट की, जहां विपणन के लिए व्यवस्था हम लोगों ने की, पूरे एशिया का सबसे बड़ा मार्केट और उस व्यवस्था में हम लोगों ने कहा था कि इस टर्मिनल मार्केट में फल और फ्रूट का सबसे बड़ा मार्केट होगा, वहां फूलों की मण्डी स्थापित होगी, फूलों की वहां दुकानें होगी। मैं आपके माध्यम से विपणन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा, जो मार्केट फूलों का हम लोगों ने चिह्नित किया था, एप्लिकेशंस मांगी थीं, अलाट की लाटरी निकलने की, उसकी मीटिंग हुई थी; आपकी सरकार आई, आपने उस पूरे प्रस्ताव पर अब तक क्या किया, यह भी पता नहीं लगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि जयपुर में आवश्यकता है, एक फूलों की मण्डी बने, उसकी जगह रिजर्व हम लोगों ने कर रखी है, सरकार उसमें भी ध्यान दे।

दूसरा, मैंने बीज के बारे में आपसे निवेदन किया है। बीज, आप जानते हैं, कृषि का मूल आधार बीज होता है और इस बीज में हम कहीं भी गुणवत्ता में मिलावट करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह देशद्रोह से कम कोई अपराध नहीं। आज बीज की स्थिति राजस्थान में जो हो रही है, उपाध्यक्ष महोदय, बीज

(श्री प्रभुलाल सैनी)

के बारे में आप देखिये, एक माफिया काम कर रहा है, एक वंश चारों तरफ घूम रहा है, मण्डियों से खरीद रहा है और पैक कर रहा है। हम तो मांगते हैं तरबूज और निकलते हैं टेन्डसे; बाजरे की बात करते हैं, बाजरा वह नहीं मिलता; एच एच बी 67 की बात करते हैं, इम्प्रूव्ड क्वालिटी की बात करते हैं और मिलता है दूसरा। यह मैं नहीं कह रहा, यह इसी सरकार के द्वारा जांच कराई गई रिपोर्ट से इनकी टीम ने, इनके अधिकारियों ने कहा है कि वास्तव में पाली में जो बाजरा दिया था, वह एच एच बी 67 नहीं था और उस बीज के कारण से किसानों को नुकसान हुआ। उस समय हम लोगों ने उसकी जांच कराई। एक कम्पनी थी नरसिम्हा रेड्डी, उस कम्पनी को ब्लैक-लिस्ट किया, उस अधिकारी के खिलाफ हम लोगों ने कार्यवाही की। ज्यों ही सरकार बदली, नरसिम्हा रेड्डी बहाल हो गए, अधिकारी बहाल हो गए, उसका भुगतान कर दिया गया। मैं, मंत्रीजी, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मैं समझता हूं, आप बहुत सीनियर हैं, आपका तो मैं सम्मान करता हूं लेकिन आप इसको देखें। आपको लगता है, यह गलत प्रक्रिया होगी। उन किसानों को आज भी उपभोक्ता कोर्ट के समक्ष अपनी गुहार करनी पड़ रही है, सरकार नहीं सुन रही। आपने उस आदमी से एग्रीमेंट क्यों लिखवा लिया कि अगर हम दोषी जायेंगे तो आपको इस मुआवजे का भुगतान कर देंगे? जबकि हम लोगों ने निर्देश दिए थे कि राजस्थान के उन किसानों को जहां एच एच बी 6 है, उनका बाजरा जहां दिया और वह बाजरा वहां नहीं निकला, कमेटी ने उसकी रिपोर्ट की, आज दिन तक उसकी कार्यवाही नहीं हुई।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, दूसरा बीज के बारे में और निवेदन करूंगा, सात ऐसी कम्पनियां हैं, यह सरकार कम्पनियों पर मेहरबान है, और इतनी मेहरबानी कि उन कम्पनियों को कह दिया कि आप बाजरे का बीज, हम तो पैदा नहीं कर सकते, हम तो बिलकुल हेल्पलेस हैं, हम तो समझ पा रहे हैं कि राजस्थान की सरकार के लिए इससे बड़ा बदनामी का कारण नहीं हो सकता। उन कम्पनियों के, जिनके पास रिसर्च नहीं है, जिनके पास एक्सटेंशन के काम नहीं हैं, जिनके पास फील्ड नहीं है, ऐसी कम्पनियों को इन्होंने अधिकृत करके एल ओ आई, लैटर आफ इन्टेंट के माध्यम से खुली छूट दी।

श्री उपाध्यक्ष: करीब आधा घण्टा हो गया, इसलिए कह रहा हूं।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): बस, हो ही रहा है। मैं एक और निवेदन

(श्री प्रभुलाल सैनी)

करना चाहूंगा अभी आपके माध्यम से, कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, कुछ कम्पनियों के साथ एम ओ यूज किए। कम्पनी के साथ एम ओ यूज करने के हम लोग पक्षधर हैं, इसका विरोध हम नहीं करते, हमने भी किए हैं। हम लोगों ने राजस्थान ओलिव कल्टिवेशन लिमिटेड बनाया। हम लोगों ने इजरायल की तकनीक को राजस्थान में लाकर 210 हैक्टेयर में एक लाख पौधे लगाए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय प्रभुलालजी, मेरी बात सुनिये, आप खुद भी एग्रीकल्चर में परफेक्ट हैं, माननीय हरजीरामजी भी हैं, कभी आप दोनों मिलते भी हो कि नहीं मिलते? आप लोग बात भी करते हो कि नहीं करते हो इस मुद्दे पर? यह बता दीजिए आप तो। मिलते रहा करिये आप।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): एक विधायक का यही दायित्व बनता है कि सदन में...

श्री उपाध्यक्ष: यहां बोलना बहुत अच्छा है लेकिन कभी-कभी मिलते रहिये। आप उनका आदर करते हो, सम्मान करते हो।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): अगर वे चाय पर बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: चाय नहीं, आपको काफी पिलाएंगे।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): उनका दोष नहीं है, वे तो ठीक हैं। मैं तो काफी सम्मान करता हूं इनका, मैं इनके बारे में कोई कमेंट नहीं करता। सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

(16.00 बजे)

उसमें जो एम.ओ.यू. हुआ, एम.ओ.यू. के पक्षधर हम भी रहे हैं, हमने भी किये हैं, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, उस एम.ओ.यू. में सात कम्पनियों का हुआ। एक कम्पनी मोन्सेंटो थी जिसके बारे में पूरे देश में छपा, उस कम्पनी ने पेटेण्ट करके पूरे सीड को पूरे नेशनल और इण्टरनेशनल लेवल पर अपना पेटेण्ट करके जो कब्जा करने की सोची-समझी साजिश थी, उस कम्पनी के साथ एम.ओ.यू. हुआ। 11 अधिकारियों ने साइन किये। स्टाम्प महाराष्ट्र से खरीदा, टाइप महाराष्ट्र में हुआ। मैं सदन में आज आपको यह कहना चाहूंगा कि एक भी अधिकारी ने और सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि वह किस तारीख को एम.ओ.यू. हुआ। यह मेरे पास मौजूद है, कहीं भी उसमें यह नहीं लिखा, किस तारीख को यह एम.ओ.यू. हो रहा है; हम जो साइन कर रहे हैं,

(श्री प्रभुलाल सैनी)

वह किस तारीख को कर रहे हैं। यह राजस्थान में लागू होगा, कब से लागू होगा; यह लागू हो गया या अब होगा, या नहीं होगा; सरकार को कोई पता नहीं। इतनी खुली छूट मिल जाए कम्पनियों को, हम उस पर दस्तख्त कर दें, मैं समझता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। राजस्थान की कृषि को बरबाद करने की एक सोची-समझी साजिश है। राजस्थान की कृषि को कम्पनियों के हवाले करके हमारे जो पेरेण्टल सीड हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल सीड हैं, उन सीड को खत्म करके हमारे किसान को एक मूक-दर्शक के रूप में बनाना चाहते हैं।

इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह कहना है, मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा, जब उनको पता लगा कि इस तरह का एम.ओ.यू. हुआ, मुख्य मंत्रीजी ने डायरेक्शन दिये, इसको निरस्त कर दो, कमेटी बना दो। कमेटी बनी, जांच हुई। आई.सी.ए.आर. के डायरेक्शंस आये दिल्ली से कि इसको कैंसिल करिये, यह ठीक नहीं है। फिर कैंसिल हुआ। मंत्रीजी से पूछा पत्रकारों ने कि इसका क्या हुआ; मंत्रीजी कहते हैं, मुझे पता नहीं। कौन यह एम.ओ.यू. कर रहा है? यह कैसी सरकार है? सरकार के मंत्री को यदि सरकार के नुमाइंदे यह नहीं पूछें कि यह एम.ओ.यू. हम कर रहे हैं। इनकी जानकारी में नहीं है। मैं कहता हूं, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

आजकल आपने एक और देखा होगा, कुछ दिन पहले जी.एम. सीड, जी.एम. सीड चला। धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि समय रहते चेत गये। उसमें भी इन्होंने ऐसे ही परमिशन दी। जेनेटिक, मोडिफाइड इंजीनियरिंग का आज जमाना है। मैं कहता हूं, उसकी सारी सम्भावनाओं पर, सारे पर्यावरण पर, उस पर विचार करना चाहिए था। तत्काल उसको निरस्त किया, उस फसल को भी जला दिया, सरसों को। हिन्दुस्तान का पहला राज्य राजस्थान था, जी.एम. सीड के ट्रायल की परमिशन यदि किसी ने दी तो राजस्थान ने दी। मंत्रीजी से पूछा तो कह दिया, मुझे पता नहीं, कौन देता है। इससे बड़ी चिन्ताजनक और दुर्भाग्यजनक बात नहीं हो सकती। यदि जी.एम. सीड का प्रचलन राजस्थान में आता है तो मैं समझता हूं कि हमारी जेनेटिक मोडिफाइड सीड के जो ट्रायल हमारे होंगे, पहले ट्रायल होगा। दूसरा, एक नहीं, छह-छह कम्पनियों को, सरकार के ध्यान में आज भी नहीं है, एक साल ट्रायल करके गत वर्ष, सेकण्ड ट्रायल इस वर्ष था। अभी सरकार को पता लगा कि हमारे राजस्थान में तीन जगह पर ट्रायल दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी के द्वारा कराए जा रहे हैं। हमको पता ही नहीं। हमारे इस राजस्थान में ऐसा होता है कि

(श्री प्रभुलाल सैनी)

पाकिस्तान के लोग एक साल कैम्प लगाकर चले जाएं और दूसरे साल पता लगता है कि यह क्या हो रहा है सरसों में।

यानी फूड के क्षेत्र में, सरसों के क्षेत्र में, राजस्थान ही नहीं, पूरे देश का, बिहार में ऐसी घटना घटी, जहां पर जी.एम. मक्का के बारे में, जी.ई.ए.सी. एक कम्पनी है, जी.ई.ए.सी. को एक अपेक्स बाडी बना रखा है, जेनेटिक मोडिफाइड, उसके रिसर्च के बारे में, उसने परमिशन दे दी। मैं कहता हूं, यह स्टेट गवर्नमेंट का विषय है। यह विषय सेण्टर का नहीं है, कृषि स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट को अधिकार है कि वह परमिशन देगा, नहीं देगा। यह चौधराहट करने वाली, दिल्ली में बैठने वाली वह अपेक्स बाडी कैसे हो सकती है कि वह हमको डायरेक्शन देगी कि फलां कम्पनी मोंसेंटो, फलां आपके राजस्थान में आकर रिसर्च करेगी? यह सम्भव नहीं लगता।

इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा, भविष्य में ध्यान रखें। अभी भी छह कम्पनियों को जी.ई.सी. ने परमिशन दे रखी है, उनको ट्रायल से रोकिये। यदि जानकारी नहीं है तो अपने जिला स्तर के अधिकारियों से बात करें।

मैं आपसे एक और निवेदन कर रहा हूं, अन्त में, अन्त में आ गया। मैं बोलना तो चाहता हूं लेकिन कई बार आपकी मर्यादा का भी ध्यान मुझे रखना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष: आप सदन के नेता की बड़ाई करते हैं तो सबको अच्छा लगता है।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): नहीं, मैं बुराई कर रहा हूं। आपकी अनुमति से ही बुराई भी कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: देखिये, समय का ध्यान रखिये। समय का प्रश्न है ना।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसी मैंने जी.एम. सीड की बात कही है, एक सीड ट्रायल करने में 5 साल के लगभग लग जाते हैं। पहला तो न्यूक्लीयर सीड होता है; ब्रीड सीड बनता है; उसके बाद फिर वह फाउण्डेशन सीड होता है; फाउण्डेशन सीड के बाद में सर्टिफाइड होता है और सर्टिफाइड बनने के बाद में हमारे किसान के पास जाता है। लेकिन आज तो सड़कों पर एक दिन में ही सारा कुछ हो रहा है। अच्छा था,

(श्री प्रभुलाल सैनी)

हमसे तो सत्यनिष्ठ बीज, जो सत्यनिष्ठ सीड था, वह ठीक था। हमारे किसान गांव में, घर में मटकी में रखे हुए, कम से कम अपनी फसल, जब जरूरत पड़ती थी। लेकिन, साहब, मोंसेंटो को कह दिया इन्होंने, 40 करोड़ की मक्का बिना टेण्डर के इस ट्राइब्ल बेल्ट में बांट दो, बांट दी। 75 रुपये में जो चीज मिलती होगी, उस मक्का को 99 रुपये 99 पैसे! कितना शानदार काम्बिनेशन बनाते हैं ये लोग। टेण्डर वाली प्रक्रिया में एक-एक नया पैसा चलता है। इन्होंने 40 करोड़ की मक्का मोंसेंटों कम्पनी को बिना टेण्डर के, उसको बुलाकर कह दिया, तू ले जा और यह एस.टी. बेल्ट के जितने गरीब लोग हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनको दे दे ताकि इनका असली जो पेरेण्टल बीज है वह तीन साल में ही समाप्त हो जाए। फ्री जहर बांटने का काम यदि सरकार ने किया तो इस राजस्थान की सरकार ने किया।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना,... बस, बस।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): साहब, दो मिनट और दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: आप क्यों सिफारिश कर रहे हैं? आपको बोलना नहीं है क्या?

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): अच्छा बोल रहे हैं, साहब।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यह योजना राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में आयी और इस योजना के पीछे मकसद एक था कि वे स्कीम्स जो आन-गोइंग स्कीम्स में नहीं हैं, उनको आप टेक-अप करिये और टेक-अप करने के बाद राजस्थान को, इसकी जनता को लाभ दीजिए। लेकिन इसका सरकार में जितना दुरुपयोग हुआ, मैं तो कहता हूं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का नाम मिनी-किट वितरण योजना कर दिया इन्होंने। दो सौ से पांच सौ करोड़ रुपये आते हैं, बीज खरीदते हैं। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा अन्त में आपसे, आपसे निवेदन मैं इसलिये कर रहा था...

श्री उपाध्यक्ष: मेरे माध्यम से सरकार से करो ना, माननीय सदस्य।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): मुझे परमिशन नहीं दे रहे। इसलिये मैं अंत में यह कहूंगा कि हमारे वक्त में भी, हमारी सरकार में, वसुंधराजी के वक्त में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आई थी, हम लोगों ने उसमें अच्छे काम

(श्री प्रभुलाल सैनी)

किये। इण्टरनेशनल हार्टिकल्चर इनोवेटिव ट्रेनिंग सेण्टर, आज पूरे विश्व के लोग यदि ट्रेनिंग करने आते हैं हार्टिकल्चर, बागवानी की तो राजस्थान में आते हैं। यह हम लोगों ने किया था 21 करोड़ लगाकर। एक काम हमने किया था, नारवा खीचरियान जोधपुर, जोधपुर में। इसमें भी हमने...

श्री उपाध्यक्ष: आपको पता है, प्रभुलालजी, सेल्फ-प्रेज मना है हमारी संस्कृति में। स्वयं की प्रशंसा मना है हमारी संस्कृति में।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): हम प्रशंसा नहीं कर रहे, आपने जो दुर्दशा की है, वह बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें, प्लीज।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): अन्त में, वहां पर हम लोगों ने, हमारी सरकार ने यह कहा था कि हम जर्म प्लाज्म तैयार करेंगे, राठी, थारपारकर, गिर, कांकरेज और उस जर्म प्लाज्म को हमारी जो इंडिजीनस ब्रीड है, राठी, थारपारकर, इनका हम संरक्षण करेंगे, संवर्द्धन करेंगे और हमारा दूध आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार कृषि के क्षेत्र में, किसान के क्षेत्र में विचार करे, सोचे। अभी और बाकी है, अभी 20 तारीख को जब ये रिप्लाई करें तो कृषि में थोड़ा बजट बढ़े।

अन्त में एक निवेदन करूंगा, हमारी सरकार का इकबाल है, राजस्थान का या इस देश की का, government of the people, for the people, by the people होना चाहिए लेकिन आज राजस्थान की जो व्यवस्था बन गयी, वह government of the bureaucrats, by the bureaucrats, for the bureaucrats बन गयी। मंत्रीजी को पता नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री शाले मोहम्मदजी। माननीय श्री शाले मोहम्मदजी।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और आपके माध्यम से आज जो मांग संख्या 37 व 39, कृषि व पशुपालन पर सदन में चर्चा हो रही है, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपने बजट के अन्दर पिछली बार उन्होंने किसानों के लिये बहुत ही अच्छी-अच्छी और बड़ी घोषणाएं की थीं। क्योंकि हमारे मुख्य मंत्रीजी की जो सोच है, वे हमेशा किसान

(श्री शाले मोहम्मद)

का, गरीब व्यक्ति का, आम जन का, हर व्यक्ति का वे ख्याल रखते हैं। आज हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है। भारत में बहुत बड़े हिस्से में कृषि का काम होता है। इसी तरह, राजस्थान के भी बहुत बड़े हिस्से में कृषि का काम होता है। इसलिये मैं मुख्य मंत्रीजी को इसके लिये धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछली बार उन्होंने जो घोषणा की किसानों के लिये, बीच में पाले से, शीत लहर से बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, जो उन्होंने दो सौ करोड़ रुपये की घोषणा की उस घोषणा से, मैं समझता हूं, राजस्थान के किसानों को उसका बहुत बड़ा फायदा मिला है। आपने देखा, पिछले बजट में उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि ख़रीफ़, रबी की बुआई में डी.ए.पी. हो या अन्य उर्वरक हों, उन सभी के लिए आगामी दो वर्षों के लिए उन्होंने दो लाख पचास हजार मिट्रिक टन डी.ए.पी. और दो लाख मिट्रिक टन एस.एस.पी. और पचास हजार मिट्रिक टन काम्प्लेक्स उर्वरक और एक लाख मिट्रिक टन यूरिया राजफेड के माध्यम से उनका अग्रिम भण्डारण करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस कदम से जो किसानों को बहुत बड़ी तकलीफ होती थी, सही टाइम पर डी.ए.पी., यूरिया, जो उर्वरक नहीं मिलते थे, तो मैं समझता हूं कि यदि इसका अग्रिम भण्डारण हो जाएगा तो किसानों को कोई तकलीफ नहीं होगी। उनको सही समय पर अपने उर्वरक, खाद-बीज मिल जाएंगे।

इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही बड़ी घोषणा की, स्वामी केश्वानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के तहत जोधपुर में और उदयपुर के तहत सुमेरपुर, पाली में जो महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है, मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी घोषणा है और जो आने वाली युवा पीढ़ी है, कृषि के लिए जो हमारे नये कृषक आएंगे, उनको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। इसके लिए आने वाले समय में हमारे कृषि के उत्पादन में बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा।

इसके अलावा, जो हमारे खास तौर से पूरे नहरी क्षेत्र में या अन्य जो सिंचित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लिए पिछली बार भी उन्होंने अपने बजट में घोषणा की थी डिग्गियों के लिए और फार्म पोण्ड के लिए और इस बार माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने फार्म पोण्ड की राशि पचास हजार से बढ़ाकर साठ हजार कर दी। नहरी क्षेत्र में जब हमारे जैसलमेर जिले में माननीय मुख्य मंत्री महोदय आये थे तो वहां के किसानों ने यह मांग की थी कि हमारे यहां पर आप डिग्गी निर्माण का काम ज्यादा से ज्यादा करवायें, तब उन्होंने हमारे

(श्री शाले मोहम्मद)

जैसलमेर में ही यह घोषणा कर दी कि वहां पर तीन हजार डिग्गियां अतिरिक्त बनाएंगे। उस समय उनको दो लाख का अनुदान मिल रहा था और बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने वहां पर डिग्गियां भी बनाई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और मुझे खुशी हुई कि इस बार उन्होंने उस राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपये की जगह से उस राशि को तीन लाख रुपये कर दिया। तो मैं समझता हूं कि यह जो राशि है, बहुत बड़ी भारी संख्या में राशि है। वह जो किसानों को, मैं समझता हूं कि तीन लाख में लगभग उनकी डिग्गी, जो उनको थोड़ी-बहुत तकलीफ होती थी, मैं समझता हूं कि अब वह उनको तकलीफ नहीं होगी और मैं समझता हूं कि तीन लाख में उनकी वह डिग्गी तैयार हो जाएगी। क्योंकि सरकार की भी यह बहुत बड़ी योजना है कि पानी का अभी जो दोहन हो रहा है, जिस प्रकार से पानी की कमी आ रही है और पूरा राजस्थान, पूरा देश जिसके लिए चिंतित है कि हमें कम से कम पानी के दोहन को रोकना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि ये जो फार्म पोण्ड्स और डिग्गियां बनेंगी तो इन फार्म पोण्ड्स और डिग्गियों से पानी का दोहन कम से कम होगा। जो अभी हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, श्री प्रभुलालजी बात कह रहे थे, आप भी पूर्व में कृषि मंत्री थे, तब इन्होंने भी, मैं समझता हूं कि इजरायल के, काफी जगह के दौरे किये थे और ये भी चाहते थे कि इस सिस्टम में सुधार लाया जाए, किस प्रकार से इजरायल की जो बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति है, उस योजना को लागू किया जाए। तो इसमें मैं समझता हूं कि यह जो डिग्गियां और फार्म-पोण्ड्स की घोषणा है, इसमें जो सरकार खास तौर से 90 परसेंट अनुदान दे रही है, आज कोई भी किसान वहां पर फव्वारा पद्धति से या बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति से यदि कोई अपना सिस्टम लगाना चाहता है तो सरकार 90 परसेंट छूट दे रही है, तो मैं समझता हूं कि यह राहत भी, जो 90 परसेंट छूट है, यह अपने आप में बहुत बड़ी छूट है और राजस्थान का काफी किसान, खुद लोग अपने आप अपनी इच्छा से आगे आ रहे हैं। वे इस छूट का लाभ भी ले रहे हैं और अपने खेत-खलिहान में फव्वारा सिस्टम भी लगा रहे हैं और इसका बहुत बड़ा राजस्थान के किसान को फायदा भी मिल रहा है।

मैं अभी जब उनको सुन रहा था तब उन्होंने यह बात कही, अभी वे सीट पर नहीं हैं, उनका कहना था कि जब कोई एम.ओ.यू. हुआ तो राजस्थान के कृषि मंत्री को पता नहीं था, उनकी जानकारी में नहीं था। मुझे लग रहा है कि वे अपनी खुद की कहानी बयान कर रहे हैं। उनके समय में उनके साथ

(श्री शाले मोहम्मद)

इस प्रकार के माहौल बने थे। इसलिए उनको बार-बार ये चीजें याद आ रही हैं जब उनके साथ इस प्रकार से होता था, क्योंकि उनकी सरकार में उनको तो सुनने वाला कोई नहीं था। वे अपनी बात रखते थे तो कोई सुनता भी नहीं था। किस प्रकार से बड़े-बड़े अधिकारियों के साथ उनका व्यवहार होता था, किस प्रकार से पेपरों के अन्दर, समाचार-पत्रों के अन्दर यह खुला खेल होता था। वे सब चीजें मैं समझता हूं कि उन्होंने खुद ने देखी हैं, वे उनके साथ सब चीजें गुजरी हैं। तो वे अपनी ही, खुद की ही कहानी अपने शब्दों में बयान कर रहे थे कि मेरे साथ इस प्रकार से हुआ।

मैं यहां पर उनको कहना चाहता हूं कि हमारे जो मंत्रीजी हैं, वे खुद किसान हैं और खुद ने हाथ से खेती की है। कृषक क्या होता है, किसान क्या होता है और किसान के लिए क्या करना चाहिए, ये सब चीज जानते हैं। तो उनको समझाने के लिए, मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य जो बात कह रहे थे कि उनकी बिना जानकारी के यह सब कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जो भी चीजें सरकार करती है, उनकी जानकारी से ही होती हैं। उनकी बिना जानकारी के कभी इस प्रकार के बड़े फैसले नहीं होते।

इसके अलावा, मैं समझता हूं कि अभी काफी सिस्टम, अभी गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों में जो अभी सोलर प्लांट्स डिग्गियों के ऊपर लग रहे हैं, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि काफी इलाके जो नहरी क्षेत्र के हों या दूसरे अन्य क्षेत्र हों, उन क्षेत्रों में बिजली की कमी से यदि कोई किसान अपना पम्प-सेट बिजली से चलाना भी चाहता था तो बिजली बहुत दूरी में होती थी और वह चला नहीं सकता था। पर अभी सौर ऊर्जा के जो पम्प-सेट लगेंगे, यदि सौर ऊर्जा डिग्गियों के ऊपर लग जाएगी तो मैं समझता हूं कि यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और किसान जो अपने पम्प-सेट बिजली के कारण से नहीं चला सकते थे, वे सौर ऊर्जा से चला सकते हैं। काफी किसानों ने सौर ऊर्जा के पम्प-सेट लगाये भी हैं। अभी जो सरकार ने इसके लिए 70 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया है, तो मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि आप इसके लिए प्रावधान और ज्यादा करें ताकि हमारे काफी ऐसे क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों में लोग चाहते हैं कि सौर ऊर्जा के पम्प-सेट लगें ताकि बिजली की भी बचत हो जाएगी और किसानों को डीजल का भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसमें अपना अनुदान जो भी है, वह भी बहुत अच्छी संख्या में है। इसलिए यदि इसकी राशि बढ़ा दी जाएगी तो जो भी किसान अपनी डिग्गी के

(श्री शाले मोहम्मद)

अन्दर सौर ऊर्जा पम्प-सेट लगाना चाहता है, उसको आप पूरी तरह से छूट दे देंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे इस इलाके को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।

इसके अलावा, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में अभी हाइब्रिड बीज उत्पादन करने की जो योजना बनाई है, मैं समझता हूं कि यह भी बहुत अच्छी चीज है।

इसके अलावा, जो भी पर्यवेक्षकों के, सहायक कृषि अधिकारियों के जो 750 पद नये सृजित कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि किसानों को इसकी बहुत अच्छी जानकारी भी मिलेगी और जो जहां पर ये पद रिक्त हैं, वहां पर यदि ये अधिकारी, कृषि सहायक और पर्यवेक्षक लग जाएंगे तो किसानों को उसका और अच्छा फायदा मिलेगा।

इसलिए मैं खास तौर से मंत्रीजी से यही कहना चाहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में आज हमारे इलाके में भी देखें तो जो इंदिरा गांधी नहर आयी है, इसकी वजह से आज वहां पर बहुत बड़ा उत्पादन हो रहा है। चने का भी हो रहा है, ईसबग़ोल का भी हो रहा है, जीरे का भी हो रहा है, गेहूं का भी हो रहा है। तो अब की बार पानी की अच्छी मात्रा थी, पानी किसानों को अच्छा मिला। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई शीतलहर, ओलावृष्टि होने की वजह से थोड़ा किसानों का नुकसान हो गया, पर पानी अच्छा था। तो फिर भी लोगों का कुछ उत्पादन अच्छा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे वहां के किसानों को जो आपने 15 हजार फार्म-पोण्ड्स और डिग्गियां देने का लक्ष्य रखा है, इसके लिए आप हमारे नहरी क्षेत्र के किसानों को विशेष तौर से इसमें छूट दें ताकि जो नहरी क्षेत्र के किसान हैं उनको इसका बड़ा लाभ मिल सके।

इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है, इसमें मैं समझता हूं कि किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिला है। मैं समझता हूं कि यह भारत सरकार और राज्य सरकार की जो स्कीम है, यह बहुत अच्छी स्कीम है क्योंकि आज किसान को सरल तरीके से ऋण मिल रहा है।

इसके अलावा, आप जो खाद-बीज पर सब्सिडी दे रहे हो या लोन दे रहे हो, जो पहले आपकी पचास हजार रुपये की राशि थी, उस राशि को, सहकारिता मंत्रीजी भी बैठे हैं, उसको आपने लाख रुपये कर दिया। तो यह भी मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा कदम है।

(श्री शाले मोहम्मद)

पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि किसानों को कुछ अपने रास्तों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो बीमा क्लेम कम्पनियां हैं, जो फसल का बीमा कर रही हैं, उन कम्पनियों में काफी पहले, अभी जो मौसम आधारित बीमा जो आपका हुआ है, उसमें हमारे लोगों को बहुत कम फायदा मिल रहा है। फायदा तो मिल रहा है पर जितना उन लोगों का नुकसान होता है, उस नुकसान के आधार पर उन लोगों को उसका फायदा नहीं मिलता। मैंने आपसे कल भी इस बारे में निवेदन किया था कि अभी जो आपकी इंश्योरेंस कम्पनियां हैं, आपकी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी और जो आपकी मौसम, यह भारत मौसम बीमा की जो कम्पनी है, उन दोनों कम्पनियों में अभी लोगों का नुकसान हुआ है। मैंने आपसे निवेदन किया कि अभी जो बीमा कम्पनियों ने सर्वे किया, जिस प्रकार के आपके जो केन्द्र लगे हुए हैं, उन केन्द्रों के अनुसार बीमा कम्पनियां जो तापमान था, उस तापमान की रीडिंग चाहे हमारा चांदन क्षेत्र हो, चाहे हमारा राजमथाई का बेल्ट हो, उस बेल्ट में तापमान माइनस दो से भी नीचे चला गया था; कई जगह बहुत ही हालात खराब हो गये थे पर उसके बावजूद भी बीमा कम्पनियों के जो सेंटर लगे हुए हैं, एम सी सी के और इसके अलावा भारतीय मौसम विभाग के, जिला स्तर पर आपके जो सेंटर हैं, उन सेंटरों के अन्दर जो एम सी सी वाले हैं, वहां तो कोई आदमी काम नहीं करता और जो वहां पर सेंटर संभालता है, वह मैं समझता हूं कि वह सिर्फ एक-दो बार सेंटर पर आकर चला जाता है और जब ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय शाले मोहम्मद जी, थोड़ा शार्ट में।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): चांदन का जो सेंटर था, उस सेंटर में जो इसरो के और काजरी के जो आंकड़े आये, उनके भी इस प्रकार के सेंटर लगे हुए थे, उनका जो तापमान था, वह माइनस दो था; जबकि कम्पनियों के जो सेंटर थे उसमें अलग ही आंकड़े पेश किये गये। तो वास्तव में किसानों को जो क्लेम मिलना चाहिये था, वह क्लेम किसानों को नहीं मिला।

इसबगोल में बरसात में क्लेम देते हैं, जो मापदण्ड आपके हैं, जीरे में बरसात और नमी पर देते हो; गेहूं में आप तापमान और बारिश पर देते हो; चना और राइडे में कम तापमान पर देते हो। हमारे जिले का जो मौसम है, बारिश भी अभी हुई, अभी जो ओलावृष्टि दो दिन पहले हुई, इतनी जबरदस्त

(श्री शाले मोहम्मद)

ओलावृष्टि हुई, प्रेस में फोटो छपे हैं, वहां बर्फ की पूरी परतें बिछ गयी थीं। वहां ओलावृष्टि से इतनी परतें जम गयीं, उपाध्यक्ष महोदय, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वहां पर जितनी अरण्डी की फसल खड़ी थी, वह खतम हो गयी। उनकी जो दूसरी फसलें थीं, गेहूं था, वह खतम हो गया; इसबगोल था, वह भी खतम हो गया। भारी संख्या में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है किसानों का। दो दिन पहले जो ओलावृष्टि हुई, उस ओलावृष्टि से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो आपकी बीमा क्लेम कम्पनियां हैं, वे कम्पनियां सिर्फ तीन-चार महीने सर्दी पड़ती है, उसी समय यह ध्यान देती हैं। उसके बाद चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे शीतलहर हो, उसमें आपके सी आर एफ के नोर्म्स में वे नहीं आ रहे हैं। किसानों को जो नुकसान होता है, वह बेमौसम होता है। बेमौसम में ये बीमा कम्पनियां क्लेम नहीं देतीं। तो किसानों का अपने आप में यह बहुत बड़ा नुकसान है।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें, प्लीज।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की बात है और आज बहुत ही इम्पोर्टेण्ट विभाग है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आज सभी माननीय सदस्य किसानों के बारे में ही बोलेंगे।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): बस, मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप कोई नई बात कह रहे हैं क्या? (व्यवधान) सगीर साहब, अपना टाइम दे रहे हैं क्या?

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): दिया, साहब, दिया। मेरा टाइम दिया।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): इनकी भी सिफारिश है। मैं जो बात कर रहा हूं, सभी किसानों के लिये कर रहा हूं। किसानों के वास्तव में जो हालात हैं, उन हालात की बात कृषि मंत्रीजी और आप सबको बताना चाहता हूं कि आपके अभी जो नोर्म्स हैं, उन नोर्म्स में किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे जिले में आपके जो सेंटर लगे हुए हैं, वे सेंटर भी 13-14 लगे हुए हैं और ये जो सेंटर लगाते हैं, वे ऊंचाई पर लगाते हैं। फसल जो खराब होती है, वह उसके नीचे तापमान पर असर पड़ता है। ऊंचाई पर जो सेंटर लगे हुए

(श्री शाले मोहम्मद)

होते हैं, उनकी तापमान की रीडिंग अलग होती है और जो नुकसान होता है, वह नीचे के स्तर पर होता है। जैसलमेर के अन्दर जो आपका सेंटर लगा हुआ है, वह एक पहाड़ी पर लगा हुआ है। आप उनका डिग्री सेल्सियस देख सकते हो, वह कभी भी सही नहीं आया। चांदन का सही है तो उसको बंद कर देते हैं। राजमथाई का उन्होंने भीखोडाई में रखा, जबकि वहां सिंचित क्षेत्र भी नहीं है, जहां नमी नहीं रहती। जहां सिंचित क्षेत्र होता है, वहां नमी रहती है; वहां नुकसान होता है और जहां पर नमी नहीं है, वहां पर नुकसान भी नहीं होता। इस प्रकार के उन्होंने सेंटर लगा दिये। जैसे मोहनगढ़ का सम लगा दिया, तो सम मोहनगढ़ से 110-15 किलोमीटर है, जबकि उसके पास में रामगढ़ है, वह 65 किलोमीटर है। मतलब इतनी दूरी पर इन्होंने सेंटर लगा दिये कि उन किसानों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। जो बीमा कम्पनियों के ये सेंटर लगे हुए हैं, इनके लिये कृषि मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि ये सेंटर वास्तव में सही जगह नहीं लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जहां पर सिंचित क्षेत्र है, जहां ट्यूबवेल का एरिया है या जहां पर नहरी एरिया है, उसी क्षेत्र में इस प्रकार के सेंटर लगाये जायें। क्योंकि आप मौसम आधारित फसल बीमा दे रहे हैं, तो उस जगह यदि सेंटर नहीं रहेंगे तो किसानों को उसका फायदा नहीं मिलता। हम यह चीज इसलिये कह रहे हैं, क्योंकि अभी किसानों का जो नुकसान हुआ है, वह नुकसान हमने अपनी आंखों से देखा है। बीमा कम्पनी का कोई आदमी नहीं आता, वह तो अपने सेंटर के जो आंकड़े हैं, वह देकर चले जाते हैं। उनको नुकसान से मतलब नहीं है कि किस-किस किसान के खेत में कितना नुकसान हुआ है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि वास्तव में लोगों को बहुत बड़ा नुकसान है, इस नुकसान को आप सही तरह से आंकें और जो नुकसान हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बस दो मिनट और लूंगा, जो नुकसान हुआ है उसकी आप पुनः जांच करायें। वास्तव में जो नुकसान हुआ है, उसकी वास्तविक जांच कराकर किसानों को उसका फायदा दिलायें।

दूसरा, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो मांग संख्या 49-पशुपालन है, मुख्य मंत्रीजी ने अभी जो घोषणा की थी, अब पशुओं के लिये निःशुल्क दवा वितरण योजना जो निकाली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 60 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, यह भी मैं समझता हूं कि यह पशुपालकों की बहुत बड़ी मांग थी। क्योंकि पशु बीमार हो जाते थे, इतनी महंगी दवाइयां थीं कि हर

(श्री शाले मोहम्मद)

आदमी उनको खरीद नहीं सकता था। यदि ऊंट बीमार हो गया तो एक इंजेक्शन 700 रुपये में लगता था। यदि किसी के 10-15 ऊंट एक साथ में बीमार हो जाते अज्ञात बीमारियों से, तो उनका इलाज बिलकुल नहीं हो पाता था। तो उन पशुपालकों को बहुत बड़ी तकलीफ होती थी। मैं समझता हूं मुख्य मंत्रीजी ने यह जो निःशुल्क दवा की घोषणा की है, मैं समझता हूं, यह पशुपालकों के लिये बहुत ही अच्छी बात है।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद, शाले मोहम्मदजी।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि सरकार जो कृषि में घोषणाएं कर रही है, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री फूलचन्दजी भिण्डा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय उपाध्यक्षजी, कृषि एवं पशुपालन की मांगों पर मैं निवेदन करना चाहता हूं। कृषि को हमने जो कृत्य है, उसके आधार पर नाम दिया है। वास्तव में तो दर्शन के हिसाब से और व्यवहार के हिसाब से भी इसका नाम खेती होना चाहिये था। कृषि नहीं, खेती होना चाहिये था। यही कारण रहा कि आजादी के बाद में खेती पिछड़ती चली गयी, स्वावलम्बन समाप्त हो गया। इसके लिये अगर कोई दोषी है तो हमने उसका नाम ही गलत दे दिया। अगर खेत को प्लान करके हम कुछ करते तो निश्चित तौर पर खेती का स्वावलम्बन, दीनदयाल उपाध्याय ने पहली बार लिखा कि खेती का स्वावलम्बन चाहिये इस देश में, इस कारण से खेती के स्वावलम्बन की बात मैं कर रहा हूं। दर्शन के हिसाब से भी खेती की प्लानिंग नहीं हुई। इस कारण से न तो प्रत्येक खेत को पानी मिला और न प्रत्येक हाथ को काम मिला। इस कारण से इस प्रकार की दुर्गति एग्रीकल्चर की हुई।

कृषि प्रधान कर्म है, श्रम प्रधान कर्म है, उपभोग प्रधान कर्म है, आधारभूत कर्म है और अर्थव्यवस्था का आधार है। इस बात को आधुनिक युग में जितने लोग हैं, जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो बजट की बात करते हैं, जो देश के विकास की बात करते हैं, वे इस बात को भूल जाते हैं और इस कारण से बार-बार झटके लगते हैं। बार-बार झटके पहले भी लगे हैं, अभी भी लगे हैं। अभी कुछ दिनों पहले रिकार्ड तोड़ लहसुन इस राजस्थान में हुआ और यहां का मुख्य मंत्री और यहां का कृषि मंत्री यह नहीं कह पाया कि 10 करोड़

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

रुपये हम दे रहे हैं, उस लहसुन को हम खरीदेंगे, चाहे खड्डे में डालना पड़े। अमेरिका के लोग तो किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिये दस-दस साल का गेहूं इकट्ठा करके फिर समुद्र में डालते हैं, फिर भी किसान लोग निराश नहीं होते। यह उदाहरण है इस बात का।

इस सदन से मैं यह निवेदन कर रहा हूं मैंने 30 साल तक अर्थशास्त्र पढ़ाई है; एग्रीकल्चर पढ़ाई है, एक शख्स ने, ताऊ देवीलाल ने। एक बार 600 रुपये से 860 रुपये सरसों के भाव कर दिये तो राजस्थान एक नम्बर पर आ गया। कभी सोचा नहीं था हमने। अर्थशास्त्र के किसी विद्यार्थी ने नहीं सोचा था कि राजस्थान कभी एक नम्बर पर आ सकता है। हम आत्मनिर्भर हो गये एक प्रोत्साहन के कारण से।

इस कारण से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि ऐसा कर्म नहीं है; उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अथर्ववेद को पढ़िये, उसमें कृषि के बारे में क्या कहा गया है। हमने उसका उल्टा किया है। अथर्ववेद में कहा गया, ब्रह्माजी ने कहा, इन्द्र, तुम जाओ और कहां खेती करो, सरस्वती के किनारे। उस सरस्वती को तो हम भूल गये। जैसलमेर जाकर इतिहास संकलन समिति के कुछ लोगों ने मालूम किया और वहां कुएं खोदे गये, 25 साल में आधा इंच पानी भी नहीं टूटा उससे। यह इतिहास में लिखा हुआ है। अथर्ववेद में कहा है कि जाओ और खेती करो। आज कौन खेती करता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसको दिया गया, सोचो आप। केन्द्र में किसको दिया गया, क्या उसकी रूचि है? क्या इम्पोर्टेन्स रहती है? लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण देवता है इन्द्र, उसको कहा कि तुम जाकर खेती करो। उसके बाद और कहा। आज हम उसको विषमय बना रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, धीरे-धीरे करके इसको अमृतमय बनाया और जौ की खेती के लिये कहा पहले उन्होंने। यह आज हम डायबिटीज के पेशेंट हैं, मैं भी हूं, उसका कारण है, हम गेहूं को प्रधानता देते हैं। अन्न की जो संख्या दी गई है कृषि उत्पादन की, उसमें 50वें नम्बर पर गेहूं है, एक नम्बर पर जौ था, जिसको हम भूल गये।

और इतना ही नहीं, अथर्ववेद के ज्ञान के बारे में कोई सोच नहीं सकता है कि खेती के बारे में, बैल का, उपाध्यक्ष जी, जो आपके खेती करने वाले हैं, जो बैल का जूड़ा है और जूड़े की भी जो नाप है, हल में जो चऊ लगती है लकड़ी की या लोहे की, उनके भी नाप अथर्ववेद में दिये हुए हैं। इतना

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

पराकाष्ठा का ज्ञान हमारे यहां था, जिसको हम भूल गये और वहां कहते हैं कि तुम यज्ञ, यज्ञ करके गौ मूत्र के माध्यम से, गाय के गोबर से, हरी खाद के माध्यम से अमृतमय बनाना। हम यूरिया डाल-डाल कर उसको जहर बना रहे हैं। यह स्थिति हमारी पैदा हो गयी। इस कारण से असली कर्म को भूल गये क्योंकि खेत की चिंता नहीं रही। हमें तो गेहूं का ज्यादा उत्पादन हो जाए, यह उत्पादन ज्यादा हो जाए, इस कारण से यूरिया डालो, चाहे जितना डालो लेकिन खेत की चिंता नहीं की, खेत में क्या होगा। पहले तीन पानी में तीन बार सिंचाई करते थे, जौ पैदा हो जाता था, गेहूं पांच बार में पैदा हो जाता था, आप तो किसान हैं इसलिए कह रहा हूं मैं, आज बारह-बारह पानी देता है किसान, तब जाकर गेहूं पैदा होता है। यह खेत की चिंता नहीं की न हमने, अनुसंधान करते समय भी खेत की चिंता नहीं की, यह इसका दुष्परिणाम है।

इतना ही नहीं, आज एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है? एग्रीकल्चर में राजस्थान में 1 करोड़ 31 लाख परिवार खेती से जुड़े हुए हैं और साढ़े 25 लाख परिवार खेती श्रमिक के रूप में हैं, 1 करोड़ 56 लाख हो गये। टोटल परिवार कितने हो गये, अंदाज लगाओ। और हम कर रहे हैं कि 6 परसेंट एग्रीकल्चर पर खर्च करेंगे, 6 परसेंट। कितना आप अन्याय कर रहे हैं। पर-कैपिटा जो एक्सपेंडिचर है एग्रीकल्चर का वह 1,280 है, इस बजट का; 2012-13 के बजट की बात कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे। केवल 1,280 पर-हैड खर्च होगा एग्रीकल्चर में यहां पर और शेष लोगों पर, 47,037 रुपये खर्च होगा पर-हैड! कितना बड़ा अन्याय, वन थर्ड। वन थर्ड खर्च करेंगे किसान पर जो रोटी देता है; रोटी ही नहीं देता है, आपका जो इंडेक्स है, इंडस्ट्री का जो इंडेक्स है उसको कम बनाये रखने में अगर किसी का योगदान है, सस्ता बनाये रखने का किसी का योगदान है तो एग्रीकल्चर का है। उसको भी हम भूल जाते हैं। इतना ही नहीं, जब आप प्राइस तय करते हैं, इंडस्ट्री की जब प्राइस तय करते हैं तो वहां एक कालम होता है, लैण्ड एण्ड बिल्डिंग; क्या किसान के प्राइस तय करने में कभी आपने तय किया? कभी सोचा कि लैण्ड और बिल्डिंग उसके पास भी है, क्या उस पर उसकी कीमत नाप करके आप कास्ट में जोड़ रहे हैं? नहीं जोड़ रहे। यह भी अन्याय है।

दूसरा अन्याय है, उपाध्यक्ष महोदय, इस कारण से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, एक बार एक कवि ने राजा के बारे में कहा है-

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

'कवि राजा खेती करो हल से राखो हेत, बीज जमीन में डाल दो ऊपर माटी रेत'; आज हेत नहीं है खेत के प्रति, हल के प्रति भी नहीं है। अगर हल के प्रति हेत होता तो यह 1,280 रुपये नहीं देते, उनको भी 47 हजार में से पांच हजार देते क्योंकि वह अन्नदाता है, वह चिड़ी को भी खिलाता है, वह चींटी को भी खिलाता है, वह भिखारी को भी खिलाता है, वह पशु को भी खिलाता है, वह सब को खिलाता है; वह आपको दूध भी देता है, आपको वह किसान बैल भी देता है और पर्यावरण को भी संतुलित रखता है। किसान पेड़ भी लगाता है खेत में। उसकी फसल पैदा होती है, उसके आधार पर पर्यावरण भी संतुलित होता है। इतना काम वह करता है, इसके बाद भी यह दुर्गति है।

इस कारण से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो स्थिति है, उस स्थिति को ठीक करने की आवश्यकता है।

इसमें ही, और जगह नहीं, मैं केवल 2011-12 की उपलब्धि की बात करूंगा, हम कितने चिंतित हैं, कितने हितैषी हैं किसान के। उपलब्ध राशि 749 करोड़ रुपये और खर्च हुई 314 । और बिल और आ जायेंगे तो हो सकता है, वह भी फ्राड में चला गया होगा।

फव्वारा सिंचाई की हम बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपका शासन आया, सरकार के ये बड़े दावे करते हैं, उस समय 37 हजार लोगों ने आवेदन किया फव्वारा सिंचाई के लिए, पिछली सरकार की बात कर रहा हूं, उन्होंने 30,863 को, लगभग 80 परसेंट को फव्वारे की सब्सिडी दे दी। उसके बाद शुरू होता है, बड़ा तगड़ा काम करने वाली सरकार का काम होता है, उसमें एप्लिकेशंस आयीं 49,399 और दिया केवल 34 हजार को। आगे और देखिये, आपने खूब प्रचार किया विज्ञापन से, मैं भी टेलीविजन में देखता हूं, उसके कारण से अगले वर्ष आ गयीं 1,09,729 और उसमें से आपने दिया है 49 हजार को; बाकी कितने रह गये, 58 हजार। यह उपलब्धि है आपकी। किसानों के प्रति चिंतित हैं न, किसानों की सरकार है, किसानों के प्रति वफादार। इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है, यह ठीक नहीं है।

इसी प्रकार से एक निवेदन करना चाहता हूं, बूंद-बूंद सिंचाई की बात हुई, आपकी आडिट रिपोर्ट क्या कह रही है इस सिंचाई के बारे में? ''जल स्रोतों

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

में रिसाव और बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्र नहीं होने से संग्रहित जल के किफायती होने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।'' पानी को बचाने के लिए खर्च कर रहे थे न पैसा? पानी को बचाने के लिए हम कर रहे थे न? यह तो आडिट रिपोर्ट कह रही है इसमें हमने यंत्र ही नहीं लगाये, यंत्र दिये ही नहीं किसानों को। कहां से होगा?

बागवानी मिशन, बागवानी मिशन में 13,53,683 वर्ग मीटर यह लगना था, बागवानी वह संरक्षित खेती होनी थी, केवल 3 लाख में। 13 लाख की जगह 3 लाख में; 27 परसेंट। जैविक खेती, बड़ा प्रचार हुआ, 8,290 टन का लक्ष्य था, 4 हजार के लगभग हुआ; 49 परसेंट। पशुओं के प्रबन्ध की बात हम लाये कि हम किसानों को ट्रेंड करेंगे, उसमें उपलब्धि है 287 लाख में से 43 लाख रुपये; 15 परसेंट। औद्योगिक प्रसार का बड़ा दावा किया गया, उसमें 1,790 लाख रुपये दिये, केवल मात्र 218 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपये। नवाचार, नवीन नवाचार की बात हमने शुरू की थी, उसको भी तहस-नहस कर दिया; 1,265 लाख रुपये आपने अलाट किये, केवल 257 लाख रुपये खर्च हुए। यह स्थिति है।

इतना ही नहीं, यह कहा, एस.टी., एस.सी. और महिलाओं को अलग से देंगे, उसकी रिपोर्ट भी पढ़ देता हूं, 16 परसेंट होना चाहिए था एस.सी. वालों के, केवल 10 परसेंट। महिलाओं का तीस परसेंट होना चाहिए और 9.3 परसेंट उपलब्धि है आपकी। यह एक वर्ष की उपलब्धि दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दे रहा।

पिछली सरकार में 1998 से 2003 में बड़ा विज्ञापन निकला, कोई उस समय का मंत्री होगा तो जानता है, आंवला जिला घोषित किया था जयपुर जिले को। क्या दुर्गति है? 13 साल बाद भी दो रुपये किलो बिक रहा है और लोग उखाड़ रहे हैं। यहां राव साहब बैठे हैं, राव साहब कहां चले गये, उनके नहीं, उन्होंने देसी लगाये। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है। आंवला जिला बनाने की अगर बात थी, अगर जिला ही बनाना है तो उस डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ को बनाओ जहां बेचारा वनवासी रहता है। वहां आप आम लगाकर देखो, अगर वहां का वनवासी दस साल में खड़ा न हो जाए, क्योंकि वह आम को काटेगा नहीं। आम मौसम के कारण से, जयपुर जिले में तो अगर कोई आम लगाता है तो एक साइड में फल आता है क्योंकि ठण्डी हवा चल जाती है, वहां नहीं चलती, आप वहां जाकर के देखो। इससे आपका वन भी

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

सुरक्षित होगा। वहां दीजिए न 500 करोड़ रुपये। माननीय शांताकुमारजी ने दिये थे, आप वहां जाकर देखिये, वहां सेब की क्या स्थिति है। उन्होंने पैसे देकर सब्सिडी दी तीन साल तक। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, एक बार 500 करोड़ की योजना तो बनाकर देखो और चारों जिलों में आम लगाकर देखो, नसीब पनप जायेगा और एक नम्बर पर आ जायेंगे हम, आम की खेती में भी एक नम्बर पर आ जायेंगे। ऐसा मेरा दावा है।

श्री उपाध्यक्षः लम्बा बहुत हो गया।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अब तो मैं केवल सुझाव ही दूंगा।

मेरा पहला सुझाव है, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाय, कम से कम 20 परसेंट किया जाय क्योंकि 1 करोड़ 56 लाख परिवार उस पर आश्रित हैं। 20 परसेंट तो करो, 6 परसेंट से आगे तो बढ़ो। पहले बढ़े थे, कोई जानता है तो पहले प्लान में 23 परसेंट था, भारत सरकार ने 23 परसेंट किया। एक रुपये मण, कच्चा मण एक रुपये में मिलता था। यह 56 तक चला और 57 में उन्होंने, समाजवादी समाज की स्थापना की कांग्रेस ने तो बंटाढार हो गया और 62 में आते-आते तो भूखे मरने लग गये, 65 में आते-आते और दुर्गति हो गयी। इस प्रकार की दुर्गति हमारी हुई।

दूसरा मेरा निवेदन है कि पशुपालन में आपने निःशुल्क दवा की व्यवस्था की बात कही है, मैं बहुत अच्छी बात मानता हूं, मैंने पहले भी लिख कर दिया था लेकिन इसमें जो पशु बीमा है, उसमें 50 परसेंट सब्सिडी दी है, इसको 80 परसेंट करने की आवश्यकता है क्योंकि गिरते ही भैंस मर जाती है। अभी मेरे विधान सभा क्षेत्र में 200 के लगभग भैंसें मर गयीं, किसी ऊपर के सरकारी अधिकारी ने जाकर देखा भी नहीं। डाक्टर गये और डाक्टर से बात की तो कहा, साहब, यह तो मालूम ही नहीं पड़ रहा, क्या है। तो कम से कम इसका बीमा तो करवा दो। बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा भैंसों का बीमा कराने में। वह आपको ज्यादा दूध देगा, सस्ता दूध देगा वरना दूध भी ऊपर ही जायेगा, वरना नकली दूध बनेगा।

तीसरा, मेरा यह निवेदन है कि जो दुग्ध उत्पादक हैं, उनको रियायती दर पर कृषि कनेक्शन दिया जाय। आपने पहले देखा होगा, घास के नाम पर,

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

आपकी पुरानी सरकार ने दो रुपये यूनिट के हिसाब से दिये थे उसके कारण से कई किसानों ने बाद में कटवा लिये। इस कारण से उनको रियायती दर पर कनेक्शन दिया जाय।

इसी प्रकार से प्याज, लहसुन, जीरा और यह पाला और ओला, उपाध्यक्षजी, आप बताइये, अलवर में पाला छोड़कर चला गया और दौसा में आकर गिर गया। जहां आपने कहा, वहां पड़ गया। यह होता है क्या कभी? किसान से आप इस प्रकार से भेदभाव कर रहे हो। गंगानगर छोड़कर के बीकानेर में और जैसलमेर में पाला पड़ गया, वह छोड़कर चला गया। प्रकृति ऐसा करती है क्या? किया है आपने। इस कारण से इस प्रकार की जो ये चीजें हमारे यहां ज्यादा पैदा होती हैं, प्याज भी होता है, लहसुन भी होता है, जीरा भी होता है, इनको पृथक करना चाहिए। यह केन्द्र की योजना का मामला नहीं है कि यह केन्द्र देगा तभी होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): बस दो बात, दो मिनट और लूंगा।

एक कृषि भूमि का जो अधिग्रहण है उसको पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाय और उसके बारे में अगर दिया जाय तो फिर हरियाणा की उस पर दिया जाय।

एक निवेदन करना चाहूंगा कि बीज उगता नहीं है, बाद में हम इंक्वायरी कराते हैं। किसान को कुछ मिलता नहीं है। उसकी बापड़े की एक फसल जल जाती है। उसका बीमा नहीं; बीज का बीमा भी, अंकुरित होने की गारंटी का बीमा भी आप करवाएं। उस कारण से हम सुरक्षित होंगे।

इसी प्रकार से कृषि वित्त की हम बात करते हैं, कृषि वित्त की बात पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में पहले कभी प्रयास हुआ? अब तक 1947 के बाद में जितने टैक्स लगे किसानों पर, ट्रैक्टर पर, मशीनों पर, खाद पर, सेल्स टैक्स डीजल पर, लगाया किसने, केवल कांग्रेस की सरकारों ने टैक्स लगाया और अगर माफ किया, कम किया तो बी जे पी और जनता दल, जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है यह।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री भगवानसहायजी सैनी।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): एक निवेदन और करना चाहूंगा, एक मिनट चाहूंगा आपसे। मैं यह कहना चाहता हूं कि बी जे पी की सरकारों ने एक परसेंट ब्याज कम किया...

श्री उपाध्यक्ष: यह आप डाक्टर साहब के मोहपाश में आ जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): नहीं, मैं नहीं आ रहा, मैं यह कह रहा हूं, मैं एक शब्द की व्याख्या करूंगा केवल। दीनदयालजी उपाध्याय ने एक बात कही कि खेती को अदेवमात्रिका बनाओ, जो देवताओं पर निर्भर नहीं हो। अभी तो इक्कीस परसेंट सिंचाई की व्यवस्था कर पाए हैं हम। यह देवमात्रिका कृषि के लिए अभी राठौड़ साहब कह रहे थे कि पानी बहकर चला गया, सिंध में चला गया, कब किसमें चला गया, कनाडा में चला गया; यह पानी को पूरी तरह व्यवस्थित करके अदेवमात्रिका जो कृषि है, इसके बारे में दीनदयाल उपाध्याय जो हमारे माननीय सदस्य थे, उन्होंने बार-बार कहा, उसके कारण से आज हम पीने के पानी के लिए भी रो रहे हैं और रोयेंगे, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ।

आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: आपने पूरा समय लिया है मुझसे।

माननीय श्री भगवान सहायजी सैनी।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में अनुदान की मांग संख्या 37-कृषि और 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में पशुपालन के लिए पशुधन की चिकित्सा हेतु सर्वाधिक उपयोग में आने वाली सभी दवाइयां निःशुल्क दिलवाने की घोषणा की है। यह एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी घोषणा है। अब तक राजस्थान के इतिहास में जो भी जन-प्रतिनिधि आए, विधान सभा के मुखिया आए, कभी इस बारे में नहीं सोचा। राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, अशोकजी गहलोत ने पहली बार यह महसूस किया कि पशुओं की दवाइयां बहुत मंहगी आती हैं। जैसा हमारे सम्माननीय मोहम्मद शाले साहब ने बताया कि एक साथ 15-15, 20-20 ऊंट बीमार हो जाते हैं, 700-800 रुपये के इंजेक्शन लगते हैं तो कितना मंहगा पड़ता है। पशुधन आकृति में मानव से बड़े होते हैं, उसी तरह उनकी दवाइयां भी मंहगी होती हैं। एक भैंस बीमार हो जाए, उसके दस हजार, पन्द्रह हजार

(श्री भगवान सहाय सैनी)

रुपये लगाकर भी वह ठीक नहीं होती है, ऐसी स्थिति आती है। तो ऐसी स्थिति में निःशुल्क दवा योजना जो यहां चालू करने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है, हम मुख्य मंत्रीजी के बहुत-बहुत आभारी हैं। निश्चित रूप से किसानों को इसका फायदा मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पशुपालन को अधिक दूध उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेयरी फेडरेशन के माध्यम से पच्चीस करोड़ रुपये की लागत से पाली में कैटल फीड प्लाण्ट व जयपुर में पाउडर मिल्क प्लाण्ट चालीस करोड़ की लागत से बनाने की जो घोषणा की है, निश्चित रूप से इससे भी फायदा मिलेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 400 नवीन पशु चिकित्सा केन्द्र और 200 पशु चिकित्सा उप-केन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा इस बजट में की है। ये सब स्थापित होने के बाद पशुपालकों को पशुधन की सुरक्षा के लिए काफी अहम व्यवस्था हो जाएगी।

जोधपुर में पशुपालक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना से पशुपालकों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वे अपने पशुधन का सही रूप से रखरखाव करें। किसानों के लिए उर्वरक समय पर मिलें, इसके लिए राजफेड के माध्यम से अग्रिम भण्डारण की व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्रीजी ने करने की घोषणा की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रीजी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। प्रदेश में निःशुल्क दवा वितरण योजना चालू है, निःशुल्क जननी सुरक्षा योजना है और पशुधन के लिए भी दवा निःशुल्क कर दी है, तो मेरा, कृषि मंत्रीजी आपसे निवेदन है कि कृषि के लिए किसानों को भी निःशुल्क विद्युत उपलब्ध करवाई जाए जिससे किसानों को राहत मिले और इस राजस्थान का किसान उबर सके। माननीय कृषि मंत्रीजी, उर्वरक, आज डी ए पी 488 रुपये से 910 रुपये हो गया है, यूरिया के 250 से 305 रुपये हो गये हैं। भारत सरकार से सब्सिडी बंद कर दी, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन राजस्थान सरकार किसानों को फ्री बिजली देकर के राहत पहुंचा सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिला कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो हमारी छात्राएं कृषि में सीनियर हायर

(श्री भगवान सहाय सैनी)

सेकण्डरी पढ़ती हैं, उनको तीन हजार से पांच हजार; जो बी एससी, एम एससी करती हैं, उनको पांच हजार से दस हजार; पीएच डी करने वाली छात्रओं को पन्द्रह हजार बोनस देने की भी घोषणा की है। वह भी एक अच्छी योजना है। निश्चित रूप से महिलाएं इसमें आगे बढ़ेंगी और शिक्षा मिलेगी।

जोधपुर और सुमेरपुर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना करने की भी घोषणा की गई है। कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारियों के 700 नवीन पद सृजित किये जाने की भी बात इस बजट में कही गयी है। अभी हमारे पूर्व कृषि मंत्री और भिण्डा साहब चर्चा कर रहे थे कि तीन साल की सरकार ने ये किया, वह किया; उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने चौमूं में आंवला मण्डी, टोंक में मिर्च मण्डी, मनोहरपुर में टिण्डा मण्डी, जोधपुर में जीरा मण्डी, इनको अलग-अलग मण्डी करके करोड़ों रुपये खर्च किये। मैं चौमूं से आता हूं, चौमूं की बात बता रहा हूं कि जब से यह करोड़ों रुपये लगाकर के मण्डी बनाई गई, आज तक उस मण्डी में एक रुपये का भी आंवला नहीं बिका। इनको बनाने से पहले सोचना चाहिए था कि आंवला मण्डी बना तो दी, आंवला एक जगह अलग से कैसे बिकेगा? सम्मिलित मण्डी में तो बिक सकता है लेकिन अलग से आंवला कहां से बिकेगा? टोंक में मिर्ची मण्डी की बात करें, आज तक एक बोरी मिर्ची टोंक की मण्डी में नहीं आयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी उस क्षेत्र के नजदीक से चुनकर के आते हैं, आपको भी जानकारी होगी, एक बोरी मिर्ची की वहां पर नहीं आयी। जीरा मण्डी, जैसी मुझे जानकारी है, इस वर्ष से वह चालू हुई बताई। तीन साल इस गवर्नमेंट को हो गये, दो साल पहले, पांच साल से करोड़ों रुपये खर्च किये, आज वह चालू हुई है। चौमूं आंवला मण्डी और टोंक की मिर्ची मण्डी आज तक चालू नहीं हुई। केवल पैसे को खुर्द-बुर्द करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह काम किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष का काम केवल आंकड़े बताना और इधर-उधर करना और कोई भी काम अच्छा नहीं किया, करना होता है जबकि कांग्रेस सरकार जो कहती है, वह करती है और हमेशा किसानों की हितैषी रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुन: मैं आपके समक्ष यह मांग रखते हुए कि कृषि मंत्रीजी किसानों को नि:शुल्क बिजली देने की व्यवस्था करवाएं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री बनवारीलालजी सिंघल।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37-कृषि और मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा पर मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं। माननीय कृषि वर्ष जिसका अभिप्राय 1 जुलाई से प्रारम्भ होकर 30 जून तक समाप्त होने वाले वर्ष से होता है और कृषक, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं या सेवकों द्वारा या अभिचारियों द्वारा कृषि से पूर्णतया या मुख्यतया अपनी आजीविका का उपार्जन करता है। सत्ता पक्ष के हमारे साथी, माननीय मुख्य मंत्रीजी का बजट भाषण प्रस्तुत करते समय की बात हो या उसके पश्चात डिमांड की बात हो, यह बजट किसान ने बनाया, यह बजट झोंपड़ी में बना, मुख्य मंत्रीजी ने झोंपड़ी की बड़ी चिन्ता की, इस बात को लेकर चर्चा करते नजर आते हैं।

सत्ता पक्ष के मेरे माननीय साथियों को, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जहां कृषि से प्राप्त आय थोड़ी ही हो, जो वह उसकी आजीविका का आधार नहीं हो, ऐसे मामले में किसी को कृषक नहीं माना जा सकता। इस राजस्थान की विधायिका, यह विधान सभा जो बजट को बनाती है, इसमें सम्मिलित जितने भी हमारे साथी हैं, माननीय मंत्री गण, राजस्थान के हमारे माननीय मुख्य मंत्री, इन सबको कृषक की श्रेणी में भी नहीं माना जा सकता; हां, किसान पुत्र जरूर कहे जा सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात में, राजस्थान में पूर्व में अनेक ऐसी घोषणाएं जो राजस्थान की सरकार ने कीं और उनको करके सरकार इस प्रकार से भूल गयी जैसे राजस्थान की सरकार को इन घोषणाओं से किसी प्रकार का कोई लेना-देना नहीं था, केवल वोट लेने तक आधारित थीं। इनमें मैं सबसे पहला बिन्दु लेता हूं, क्योंकि आज कृषि और पशुपालन दोनों डिमांड पर चर्चा होनी है, राजस्थान की सरकार ने पिछले दिनों गौवंश में लगातार गिरावट को देखते हुए एक आदेश, राजस्थान में निरन्तर घटते गौवंश को देखते हुए जारी किया, आदेश संख्या 1035-12071260/20.8.2009 जिसमें राजस्थान की सरकार ने राजस्थान प्रदेश में पंजीकृत गौशालाओं के रखरखाव हेतु एवं उनमें रह रही गायों के भरण-पोषण हेतु प्रति वर्ष मण्डी शुल्क से प्राप्त आय का 5 प्रतिशत गौशालाओं को...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 6 बजे तक बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की राय है, सदन का समय 6 बजे तक बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय 6 बजे तक बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): प्रति वर्ष मण्डी शुल्क से प्राप्त आय की 5 प्रतिशत राशि राज्य में पंजीकृत गौशालाओं के रखरखाव, पशुओं के चारे एवं पानी के लिये आरक्षित करने की स्वीकृति दी गयी थी।

एक दूसरा आदेश 20.8.2009 के आदेश के पश्चात् जिसकी ओर आपका और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 2.9.2009 को राज्य सरकार ने पुन: एक आदेश जारी किया जिसमें सरकार ने यह प्रति वर्ष 5 प्रतिशत राशि जो गौशालाओं को दी जानी थी मण्डी शुल्क में से, इसमें 'प्रति वर्ष' शब्द को विलोपित कर दिया। यानी 2009 में केवल गौशालाओं के रखरखाव के लिये, गायों के रखरखाव के लिये यह राशि दी जाना ऐसा सरकार ने तय किया।

तीसरा आदेश 2.2.2010 को फिर सरकार ने किया। इसकी ओर फिर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं, आदेश संख्या 43952- इसमें सरकार ने इन दोनों आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगा दी, इन दोनों आदेशों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। ऐसी हमारी राजस्थान की यह सरकार जो पशु संरक्षण..., हमारे राज्य में किस प्रकार से देशी गायों का लगातार ह्रास हो रहा है, लगातार गायों को किस तरह से पड़ोस के राज्य हरियाणा में ले जाकर काटा जा रहा है। स्थिति यह आने वाली है कि आने वाले समय में हम लोग हमारी देशी नस्ल की गायों को, आने वाली पीढ़ियों को जब गाय की पूजा की जरूरत पड़ेगी, या गौ उत्पाद की आवश्यकता पड़ेगी तो पोस्टर्स से काम चलाने की स्थिति हमारी आने वाली है।

माननीय, मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा, प्रदेश में जो पूर्व में

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

आदि काल से पशु मेले लगाने की परम्परा चल रही थी, उन पशु मेलों की परम्परा के कारण से आज जो पशु मेले लग रहे हैं, पूर्वी, उत्तरी राजस्थान में यह स्थिति हो गयी है, उन मेलों में जाकर अगर देखा जाए तो केवल मात्र गाय की बिक्री के अलावा कोई दूसरा पशु आपको बिकता हुआ नजर नहीं आयेगा। राज्य सरकार जिस प्रकार से रवन्ने के माध्यम से और राजस्व आय के माध्यम से यह मानती है कि बहुत सारी आय इन पशु मेलों के माध्यम से हो रही है, मंत्री महोदय, राजस्थान में केवल अगर कोई चीज घट रही है इन पशु मेलों के माध्यम से तो वह केवल गाय घट रही है। इस पर तुरन्त रोक लगाये जाने की आवश्यकता है। यह जो तीन-चार इस प्रकार से अलग-अलग आदेश करके गौशालाओं को राशि दिये जाने पर जो रोक लगी है, इसको रोका जाना आवश्यक है।

आज प्रत्येक पुलिस नाके पर अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से गायों के ट्रक के ट्रक भरकर जाते हैं और राजस्थान की पुलिस 50-50, 100-100 रुपये लेकर एक-एक पुलिस के नाके पर इन गायों को निकलवा रही है, यह भी दुर्भाग्य और चिन्ता का विषय है। इस ओर भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

राजस्थान की सरकार ने एक फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री के बारे में अपने पिछले बजट 2010 में घोषणा की थी। राजस्थान की फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री जिसमें आंवला, इसबगोल और संतरा जैसे उत्पादों को प्रोसेस करने वाली इण्डस्ट्रीज को 50 प्रतिशत अनुदान देने की बात की गयी थी, इस अनुदान में राज्य सरकार ने जो किया, इन इण्डस्ट्रीज को अनुदान की बात तो दूर, आज उनकी सुध लेना भी सरकार के लिये दूर हो गया। सरकार इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं दे रही है। 1 करोड़ रुपये अधिकतम या 50 परसेंट जो भी कम हो, ऐसी सब्सिडी आंवला, इसबगोल इण्डस्ट्रीज पर दिये जाने की राज्य सरकार ने घोषणा की थी। अलवर जिला आंवला उत्पादन के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है किन्तु अब यह सब्सिडी बन्द कर देने के कारण से अघोषित रूप से नयी आंवला और दूसरी फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज का लगना बन्द हुआ है। इसके कारण से आंवला उत्पाद की स्थिति यह हो गयी है कि अब नये जो उत्पादक हैं आंवले के, न तो वे आंवले के पेड़ों को लगा रहे हैं और जो पुराने आंवला उत्पादक हैं, उनका उत्पाद भी 10 रुपये, 8 रुपये, 5 रुपये किलो में बिकने की

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

स्थिति आ रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो 1 करोड़ या 50 परसेंट तक सब्सिडी थी, इसमें फिफ्टी परसेंट होर्टीकल्चर डिपार्टमेंट का और फिफ्टी परसेंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का था, जो दोनों ही डिपार्टमेंट अब वर्तमान में कुंडली मारे बैठे हैं। किसी भी प्रकार की आज की तारीख में इनके द्वारा कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। राजस्थान का प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन कृषि विभाग का मेरे हाथ में है, इसमें पृष्ठ संख्या 16 को अगर देखेंगे तो इसमें बिन्दु संख्या 9 पर राजस्थान की सरकार ने एग्रीकल्चर में कालेज एजुकेशन के लिये 1 करोड़ रुपये की घोषणा की थी और इसमें खर्च जीरो-जीरो। एक रुपया खर्च नहीं किया। कालेज एजुकेशन में 1 करोड़ रुपये की घोषणा और खर्च जीरो। ऐसी हमारी राजस्थान की सरकार केवल घोषणाओं मात्र पर टिकी हुई है। मेरा यह मानना है कि यह सरकार अपनी इन घोषणाओं पर अमल भी, मूर्त रूप दिलाए।

अभी एक प्रश्न जिसका उत्तर मेरे पास आज ही आया है, राजस्थान की सरकार कहती है कि हम प्रदेश में चरागाह भूमि पर प्रभावशाली लोगों के कब्जे हटायेंगे। इसके अलावा, बी पी एल, एस टी, एस सी को बंजर भूमि का आवंटन करेंगे। यह राज्य सरकार के चुनाव घोषणा पत्र 2008 में है। राजस्थान की सरकार ने कितने बी पी एल, एस टी, एस सी लोगों को कृषि योग्य बंजर भूमि का आवंटन किया? मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि यह भी आंकड़ा शून्य होगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत भूमि का विकास करेंगे; इन परिवारों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिये भूमि का आवंटन करेंगे। आज मेरे हाथ में एक उत्तर है, मैंने पूछा, क्या यह सही है कि राजस्थान के विधान सभा चुनाव 2008 के समय राजस्थान की सरकार ने नयी भूमि अवाप्ति नीति लाने की घोषणा की थी; सरकार कहती है, जी हां। क्या आपने उक्त घोषणा की बाबत कोई नीति निर्धारित की है; सरकार कहती है, जी नहीं। दूसरे बिन्दु में मैंने पूछा है, क्या सरकार; इसकी ओर विशेष ध्यान दें, माननीय कृषि मंत्रीजी; क्या सरकार ने उक्त नीति को किसानों के हित में 2013 से पूर्व लाने की कोई योजना रखी है; सरकार कहती है, केन्द्र सरकार ने संसद में बिल पेश कर दिया है, अतः केन्द्र सरकार के बिल पास होने की प्रतीक्षा में अभी राज्य में नयी भूमि अवाप्ति नीति के प्रारूप पर अंतिम निर्णय विचाराधीन है।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र मेरे हाथ में है जिसमें राज्य की सरकार ने यह कहा, हरियाणा की तर्ज पर हम कृषि भूमि की अवाप्ति नीति लायेंगे। यह कांग्रेस के घोषणा पत्र में अंतिम पृष्ठ पर है, ''किसानों को कृषि भूमि का अधिग्रहण किये जाने पर उनकी भूमि का उचित मुआवजा दिया जायेगा। साथ ही हरियाणा की तर्ज पर उन्हें उनकी भूमि का किराया मिल सके, इसके लिये प्रभावी कानून बनाकर किसानों को लाभान्वित किया जायेगा।'' राजस्थान की सरकार को अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखना चाहिये था कि अगर केन्द्र की अवाप्ति नीति आयेगी तो हम करेंगे। क्यों राजस्थान के किसान को सपना दिखाया कि अगर हरियाणा की तर्ज पर आपको भूमि की अवाप्ति का मुआवजा लेना है तो आप हमें वोट दीजिये? इस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के किसान के साथ धोखा करने का काम किया है जो बहुत निन्दनीय है। अगर सरकार जरा भी संवेदनशील है तो दो तिहाई समय से ज्यादा गया और वन थर्ड बचा है, अगर इनको जरा भी चिन्ता है राजस्थान के किसान की, अपने किये हुए वायदे की तो इनको तुरन्त नयी अवाप्ति नीति लानी चाहिये। आज किसान आन्दोलित है, सड़कों पर आन्दोलन कर रहा है, सरकार के खिलाफ कहता है, जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। ऐसी स्थितियां आज राजस्थान में हो रही हैं।

किसानों के लिये बड़ी-बड़ी घोषणाएं करने की बात होती है। अभी हमारे सत्ता पक्ष के दोनों विधायक साथी सरकार का जो गुणगान कर रहे थे, ऐसा लगता है, पहले एक बार बहुत सारा गुणगान करते हैं और उसके बाद अपनी मांग पर आते हैं। सीधी-सीधी बात कहना ही ठीक है, जो मांग है उसको कहो।

अभी पिछले दिनों कितनी बड़ी मांग उठी सदन में दोनों पक्षों से। जिस प्रकार से पाले से फसलों को नुकसान हुआ, राज्य सरकार ने पूरे हाउस की बात को नहीं माना। बात करती है किसान की लेकिन पाले से बरबाद हुई फसलों के मुआवजे के लिये कोई घोषणा राजस्थान की सरकार ने नहीं की।

अभी बिन्दु संख्या 6 जो इस चुनाव घोषणा पत्र में है, उसमें किसानों को प्रामाणिक खाद, बीज, कीटनाशक उचित मूल्य पर समय पर उपलब्ध कराना। वर्तमान शासन काल में डी ए पी, यूरिया की स्थिति जो हो रही है, तीन गुणा तक दरें ले गये डी ए पी और यूरिया की। उसके पश्चात् भी यह

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

स्थिति है कि किसान डी ए पी और यूरिया अपने खेत में समय पर डालने में सक्षम नहीं है। पूरा पैसा देने के बावजूद उसको डी ए पी और यूरिया समय पर उपलब्ध नहीं हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार गौशाला विकास के कार्यक्रम की बात करती है, कितनी गौशालाओं का विकास राजस्थान की सरकार ने अपने स्तर पर ऐसा किया कि राज्य सरकार के स्तर पर इतनी गौशालाएं स्थापित होंगी? इनमें देशी सांड, जैसे देशी गायों का संवर्धन किया जा सके...

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा छोटा करिये, प्लीज।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): साहब, वैसे तो मैं इतनी स्पीड से, मेरा तो पहले ही बुलट ट्रेंस में नाम आया कि यह इतना तेज बोलते हैं, और तेज बोल रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष: आपको 15 मिनट हो गये इसलिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): 15 कहां हो गये, साहब?

श्री उपाध्यक्ष: देखिये आप घड़ी।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मेरा समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो अपना समय दे चुके। बार-बार हरेक को कैसे दोगे आप ?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी मैं अपनी यह बात बजट के समय रख चुका हूं, अलवर जिले के नौगांव में एक कृषि अनुसंधान केन्द्र है। अब एक तरफ तो राजस्थान की सरकार घोषणा करती है एग्रीकल्चर कालेज एजुकेशन की, बात करती है कृषि स्नातकों की, स्नातकोत्तर की और दूसरी ओर कालेज एजुकेशन के लिये मात्र 1 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के बावजूद जीरो-जीरो खर्च, यानी शून्य। कोई खर्च नहीं हुआ। मेरी यह मांग है कि राजस्थान में नौगांव में जो एक एग्रीकल्चर रिसर्च सेण्टर है उसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलने का काम सरकार करे।

(17.00 बजे)

इसके अतिरिक्त, अलवर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को आज की तारीख में राजस्थान की सरकार सब्सिडी नहीं देकर तरसा रही है। नई

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

इंडस्ट्रीज डवलप हों, किसान आंवला और इसबगोल के उत्पादन की तरफ जावें, इस ओर राजस्थान की सरकार को ध्यान देकर जो पूर्व में इंडस्ट्रीज डवलप हो चुकी हैं, उनको सब्सिडी जारी की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक विशेष बिन्दु जिसकी ओर मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि वर्तमान में सिंचाई, सीवरेज के पानी या गंदे नाले, जिनका नाम ही गंदा नाला है, ऐसे गंदे नालों से सब्जी और खेती की सिंचाई हो रही है जो सीधे-सीधे बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों की कारक है। आज जिस प्रकार के केमिकल्स और जिस प्रकार के पेस्टिसाइड्स, दवाइयां प्रयोग हो रही हैं सब्जी में और कृषि में, वे वैसे ही लोगों को बहुत सारी बीमारियां परोस रही हैं। ऐसे में ये गंदे नाले जिनमें सीधा सीवरेज का पानी जा रहा है, केमिकलाइज्ड पानी जा रहा है, साबुन का पानी जा रहा है, सर्फ का पानी जा रहा है, ऐसे पानी से जो सिंचाई हो रही है वह निश्चित रूप से आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। मेरी मांग है कि जहां गंदे नालों से सीधे सिंचाई हो रही है, सब्जी की या दूसरे उत्पादों की या फसलों की, इनको भी रोकने का काम किया जाये।

वैसे तो बोलने के लिए मैंने तैयारी बहुत की थी। लेकिन आपने ब्रेक लगाया है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्रीमती बसंतीजी मीणा।

श्रीमती बसंती देवी मीणा (सलूम्बर): उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं बोलना चाहूंगी कि आज सदन में मांग संख्या 37-कृषि एवं मांग संख्या 39-पशुपालन पर चर्चा हो रही है। मैं भी अपने आपको इसमें सम्मिलित करते हुए यहां निवेदन करना चाहती हूं कि गांवों में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। आधुनिक युग में कृषि एवं पशुपालन बहुत कठिन कार्य हो गये हैं। अधिक मेहनत करने के बाद भी लाभकारी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की विशेष जिम्मेदारी बन जाती है कि किसानों एवं पशुपालकों को अधिक सहायता प्रदान करे। कृषि से पैदा होने वाली उपज का पर्याप्त लाभ मिले, इसके लिए सरकारी खरीद केन्द्रों की संख्या बढ़ायें तथा सब्जी आदि के लिए कोल्ड स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था की जाये। समय पर खाद, बीज नहीं मिलने से किसानों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। अत: बीज एवं खाद साथ-साथ ही देने चाहिए।

(श्रीमती बसंती देवी मीणा)

उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालन में भी लोग बड़ी रुचि लेकर काम करते हैं लेकिन पशु चिकित्सा के अभाव में भी किसान निराश हो जाते हैं। मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, उसमें दो तहसीलें सलूम्बर और सहाड़ा हैं। दोनों तहसीलों में मात्र एक-एक पशु चिकित्सक कार्यरत हैं, बाकी सभी पद रिक्त पड़े हैं। एक आदेश जारी कर पशु चिकित्सा सहायकों एवं पशुधन सहायकों के पद तोड़ दिये गये हैं। इसकी वजह से पशु औषधालय वीरान हो जायेंगे तथा किसान दुःखी हो जायेंगे। अतः मेरी मांग है कि उदयपुर सम्भाग में पशु चिकित्सा सहायकों, पशुधन सहायकों के पद पुनः यथावत रखें। साथ ही रिक्त पड़े हुए चिकित्सकों के पद भरने के आदेश फरमायें।

पशु चिकित्सा सहायक के लिए पदोन्नति का कोई प्रावधान विभाग में नहीं होने से यह वर्ग हताश है। विगत 25-30 वर्षों से निरन्तर ये एक ही पद पर सेवारत रहते हुए सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

पशु धन सहायक जो विभाग की समस्त योजनाओं को पशुपालकों के द्वार तक उपलब्ध करवाता है, वह विभाग में पंजीकरण नहीं होने से निराश हैं। नर्सिंग काउंसिल के अनुरूप पशुधन सहायक काउंसिल का गठन कर इस वर्ग का पंजीकरण करने हेतु मेरा सुझाव है।

पशुपालकों को अधिक सफल करने के लिए अधिक से अधिक चिकित्सालय एवं औषधालयों को खोलने की आवश्यकता है। साथ ही चिकित्सकों की पर्याप्त भर्ती की जाकर किसानों को लाभ पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री कानसिंहजी कोटड़ी।

श्री कानसिंह कोटडी (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 37-कृषि और 39-पशुपालन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। कृषि जो भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या के जीवन निर्वाह का साधन था, परन्तु सरकार की विभेदकारी आर्थिक नीतियों के कारण जो खेती प्रमुख थी वह आज नीचे के पायदान पर आ चुकी है जिसके कारण किसान की जो समृद्धि और जो उसकी सहन शक्ति है, वह भी शून्य हो गयी है। आज मौसम का जोखिम, बाजार का जोखिम, आधुनिक तकनीक का जोखिम, सरकारी तंत्र का जोखिम एवं विश्व बाजार का जोखिम रहता है। अगर इनमें से एक भी फेल हो जाता है तो किसान उस मार को सहन नहीं कर सकता है। इसी का कारण है कि गत एक वर्ष में उड़ीसा, महाराष्ट्र और केरल के अन्दर 1 हजार दुर्घटनाएं हुई और विगत

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

15 वर्षों के अन्दर सवा 2 लाख व्यक्तियों ने आत्महत्याएं की हैं। ये कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं है, ये कृषि की जो आर्थिक नीतियां हैं, उनके कारण हुई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मजदूर का वेतन बढ़ा है, आज कर्मचारी का वेतन बढ़ा है, सेवा क्षेत्र में वेतन बढ़ा है, उद्योग-धंधों में बढ़ा है, व्यापार का लाभ बढ़ा है लेकिन आज किसान की जो आय है वह घटी है। आज किसान की फसल की विफलता, बैंकों का ऋण भार, उत्पादों की कम कीमत, आज कर्मचारी को 14 हजार रुपये मिलते हैं, मजदूर को 5 हजार रुपये मिलते हैं, जबकि आज भारत की औसत जो 1 हैक्टेयर लैंड होल्डिंग्स है, आज अगर किसान अपने नलकूप से 2 बार सिंचाई करे तो प्रति महीने 1 हजार रुपये ही वह कमाने में सक्षम है। आज किसान की हालत मजदूरों से भी बदतर हालत है। आज छोटे और सीमांत जो किसान हैं उनकी हालत खस्ता है। आज भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले किसानों की संख्या 52 प्रतिशत है। 40 परसेंट मजदूरों की है, 22 परसेंट दस्तकारों की है। मेरा आपसे निवेदन है कि किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे जिससे किसानों की फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे सिवाना विधान सभा क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि की दृष्टि से मेरा क्षेत्र समृद्ध था। आज से 15 साल पहले हमारे क्षेत्र के 65 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी लेकिन आज हमारे क्षेत्र के अन्दर नदियां नहीं आने के कारण जो क्षेत्र है, वह वन थर्ड, 21 हजार ही रह गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से और कृषि मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने हमारी नदियों को रोककर बांध बनाये हैं, आप इस बात पर भी विचार करें और बांध के अन्दर एक सीमा तय करें और प्रति तीसरे वर्ष पानी हमारी नदियों के अन्दर आये? ताकि हमारा भी जो कृषि क्षेत्र है जो कि आज असिंचित होता जा रहा है, वह वापस दो फसली हो। यह जो योजनाएं पानी की हैं, वे भी नदियों के किनारे आयी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा, मेरा क्षेत्र पहाड़ी भी है, वहां पर भी नलकूप बिलकुल सूख चुके हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां पर भी एनिकट बनें ताकि नलकूपों के अन्दर पानी रिचार्ज हो और खेती में बढ़ोतरी हो।

मैंने बजट के समय भी निवेदन किया था और आज भी आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिवाना में 5 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में अरंडी की फसल थी। शीतलहर और पाला प्राकृतिक आपदाओं के अन्दर

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

नहीं होने के कारण, प्रमुख फसल अरंडी में भी उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि प्राकृतिक आपदा के अन्दर शीतलहर और पाले को लिया जाये और अरंडी हमारे क्षेत्र की जो प्रमुख फसल है, उसको भी फसल बीमा के अन्दर लेने का मैं निवेदन करना चाहता हूं। और भी थोड़ा बहुत जो हमारे जीरा बचा था, 13 और 14 अप्रैल को जो बेमौसम की बरसात हुई और ओले पड़े, उससे वह भी बिलकुल नष्ट हो चुका है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर भी आप विचार करें।

आपने बजट भाषण के पैरा संख्या 94 और 103 में किसानों की सुविधा के लिए जो बात की है, मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां 23 कृषि पर्यवेक्षक हैं, 9 पोस्टें खाली हैं, 2 ए ई ओ की पोस्टें खाली हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे पोस्टें भरी जाएं।

आपने जो अनुदान बढ़ाया है, मेरा निवेदन है कि फार्म पोण्ड्स में अनुदान बढ़ाया जाए। हमारे सिवाना में मटियाली जमीन है वहां ड्रिप इर्रिगेशन सक्सेसफुल नहीं होता। 800 मीटर पर जो पाइपलाइन की व्यवस्था की है, 15 हजार रुपये की, मैं माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके अन्दर बढ़ोतरी की जाए।

मेरे सिवाना विधान सभा क्षेत्र में समदड़ी में कृषि सेवा केन्द्र है, वहां एक भी वैज्ञानिक नहीं है, मण्डोर से वैज्ञानिक आता है। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि वहां 17 बीघा जमीन है, वहां वैज्ञानिक अपाइंट किया जाए ताकि हमारे किसानों को कृषि की टेक्निक की जानकारी मिल सके।

गत वर्ष हमारे क्षेत्र में क्लस्टर के अनुसार 3 हजार हैक्टेयर में बाजरी के बीज की सुविधा दी गई थी, 1 हजार हैक्टेयर में हमारे मूंग के बीज की सुविधा दी गई थी; मैं कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें बढ़ोतरी की जाए।

मांग संख्या 39 के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा पशुओं के लिए जो नि:शुल्क दवा की व्यवस्था की गई है, उसके लिए तो मैं सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में साढ़े तीन

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

लाख के करीब मवेशी हैं, वहां मात्र 14 पशु चिकित्सालय हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सिवाना जहां प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय है, वहां पर न तो डाक्टर है और न वहां पर किसी प्रकार का भवन है। मैं माननीय कृषि मंत्री और माननीय पशुपालन मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सिवाना जैसे बड़े कस्बे के अन्दर जहां उप-खण्ड कार्यालय है, वहां पर न तो डाक्टर है और न वहां पर भवन है। अतः यह सुविधा दी जाए।

मेरा निवेदन है कि आपने जो मौसम यंत्र किसानों के फसल बीमा के रूप में लगाये हैं, इनको हटाकर क्रोप कटिंग का पहले का जो सिद्धान्त था फसल बीमा का, वह लगाया जाए ताकि हमारे किसानों को नष्ट फसल का मुआवजा मिले।

आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री रूपाराम डूडी।

(17.14 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37 एवं मांग संख्या 39 पर मैं आज निवेदन कर रहा हूं। सम्पूर्ण उत्तरी भारत में वर्ष 2009 के दौरान अकाल था। 2009 की गिरदावरी में पंचायत समिति डीडवाना में 90 और 100 प्रतिशत अकाल दर्शाया गया, अकाल घोषित किया गया जिसमें विधान सभा क्षेत्र डीडवाना की 45 पंचायतें एवं विधान सभा क्षेत्र लाडनूं की 12 पंचायतें शामिल हैं, जहां 17 हजार किसानों ने अपनी फसलों का बीमा प्रीमियम जमा कराया। लेकिन तहसीलदार डीडवाना, श्री रिछपाल बुरड़क एवं कृषि अधिकारी, भंवरलाल बाजिया ने अलग-अलग खसरा नम्बर में क्रोप कटिंग करवाई। किसानों के बीमा क्लेम स्वीकृत नहीं होने की सूचना मिली तो काश्तकारों ने डीडवाना, मुख्यालय पर एक आम सभा की। तहसीलदार डीडवाना रिछपाल बुरड़क एवं कृषि अधिकारी, भंवरलाल बाजिया को सभा में बुलाया, सारे कर्मचारियों को भी बुलाया। काश्तकारों ने अपनी सारी बात सामने रखी। तहसीलदार एवं कृषि अधिकारी पर दबाव बनाया गया और किसानों ने कहा कि आपकी गलती से हमें बीमा क्लेम नहीं मिला है। इससे सहयोगी

(श्री रूपाराम डूडी)

कर्मचारियों ने भी अपना मुंह खोल दिया कि तहसीलदार, रिछपाल बुरड़क एवं कृषि अधिकारी ने हमसे खाली फार्मों पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर करवा लिये। इतना उजागर होते ही किसान आक्रोशित हो गये तथा तहसीलदार डीडवाना एवं कृषि अधिकारी को खरी-खोटी सुनाई। ज्यों ही किसान वहां से निकले, तहसीलदार एवं कृषि अधिकारी मंत्रीजी, बुरडक साहब के पैरों में आ पड़े और कहा कि डीडवाना में हम नहीं जा सकते, हमारी वहां पर हालत खराब है। इस हालत में तहसीलदार डीडवाना को हाथोंहाथ कृषि मंत्रीजी ने अपने प्रभाव से लाडनूं बी डी ओ लगा दिया एवं कृषि अधिकारी को हाथोंहाथ बदल कर सीकर लगा दिया।

आंदोलन पर उतारू किसानों का लम्बे समय तक आंदोलन चला। बाद में जिला कलक्टर, नागौर के द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई जिसमें एस डी एम डीडवाना, एस डी एम परबतसर, एस डी एम नागौर, जिला कृषि अधिकारी नागौर एवं सी ई ओ नागौर की एक कमेटी बनाई और उससे जांच कराई। जांच के पश्चात् सारी रिपोर्ट आई। उसमें यह साफ हो गया कि 2002 और 2004 में जो काश्तकार मर गये थे, उनके भी 2009 में फर्जी दस्तखत करवा कर, उस खसरे की जांच रिपोर्ट में उस खसरा नम्बर की क्रोप कटिंग कराई।

मैं निवेदन कर रहा हूं कि इतना सब कुछ, सारी बात लम्बे टाइम तक चली और उसमें यह सामने आया कि बीमा कम्पनी द्वारा कृषि मंत्रीजी के लड़के को मैनेज किया गया, उन्होंने एक बड़ी गाड़ी फोर्च्यूनर, चढ़ने के लिए दी गई। उस क्रोप कटिंग के तहत 33 करोड़ का नुकसान डीडवाना पंचायत समिति के काश्तकारों का हुआ।

इसमें मेरा निवेदन यह है कि जो कमेटी बनाई गई, उसने साफ तौर पर यह क्लीयर कर दिया कि क्रोप कटिंग हुई है; उसमें काश्तकारों के फर्जी दस्तखत कराये गये; वहां मौके पर वह अधिकारी गये ही नहीं; और जो 2002 और 2004 में काश्तकार मर गये थे वह भी पूरा एकदम सामने आ गया, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र भी पंचायत से प्राप्त हुए। इतना बड़ा घोटाला हमारी डीडवाना पंचायत समिति के किसानों का हुआ जिसकी कोई पूर्ति नहीं की जा सकती।

इस बारे में मैं भारत सरकार के कृषि मंत्री पवार साहब, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सोनिया गांधीजी और कई बार हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी और चीफ सेक्रेटरी को बार-बार लिखने के बाद भी कोई अभी तक

(श्री रूपाराम डूडी)

सुनवाई नहीं की गई। मेरा आपसे निवेदन है कि जांच में यह क्लीयर हो गया, कलक्टर की, इस क्रोप कटिंग में बड़ा भारी घोटाला हुआ है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस घोटाले में 17 हजार किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। इस मामले में मैंने कृषि मंत्रीजी को बार-बार कहा लेकिन उन्होंने मूक होकर इसका कोई जवाब नहीं दिया। कई बार मैंने इस बारे में क्वेश्चन भी लगाये लेकिन उनका भी कोई पर्याप्त जवाब नहीं आया। मैं विशेषकर निवेदन कर रहा हूं, इस मामले में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पूरी जांच होने के बाद में भी हमारे किसानों को कृषि क्लेम बीमा का नहीं मिला।

इसी तरह से इस साल किसानों की बाजरी खरीदने के लिए रेट तय की गई और ये दुकानें लगाई गईं लेकिन बाजरी का सैम्पल फेल कर दिया। उस बाजरी का सैम्पल खराब हो गया तो उन किसानों का कोई दोष नहीं है। उनके नुकसान को मानते हुए उस बाजरी का फसल बीमा भी सरकार को देना चाहिए। एक तरफ सरकार बात करती है किसानों के हित की, पक्ष और विपक्ष में बैठने वाले सब किसानों की बात करते हैं लेकिन जो सही स्थिति वह आपके सामने होते हुए भी किसान का कुछ होने वाला नहीं है। बाजरी कितने क्विंटल, कितनी कम या कितनी काश्त की गई, उसकी कितनी खरीद राजस्थान सरकार ने की, यह सारा नाप-तौल आप करें, बाजरी का जो सैम्पल खराब हुआ उसका भी किसानों को बाजरी की फसल का इस साल का बीमा मिले, मेरा यह निवेदन है।

इसी के साथ-साथ मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरह से हमारा 2009 का और इस साल का बाजरी का बीमा नहीं मिल रहा है, मैं विशेषकर कृषि मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं कि आपने जयपुर में मछली मार्केट स्वीकृत किया था लेकिन उसका भी आंदोलन चला, उसमें भी बड़े घोटाले की बदबू आ रही है। कृषि मंत्रीजी ने यहां पर इजाजत दे दी और आनन-फानन में अधिकारियों ने रिपोर्ट मंगा कर यहां पर मछली मार्केट करने के लिए, वहां पर लोगों द्वारा आंदोलन चलाया गया और वहां के विधायक द्वारा हमको भी यह सूचना मिली, कई लोग मिले। हमने मुख्य मंत्रीजी को लिखा, तब जाकर उसको रोका गया। तो इसकी भी पूरी जांच करवाई जाए।

इसके साथ-साथ, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरह से

(श्री रूपाराम डूडी)

इनके लड़के के द्वारा यह मंत्रालय चलाया जा रहा है, फोर्थ क्लास के चपरासी का भी ट्रांसफर, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि इनके लड़के से जाकर मिलेगा तभी जाकर के ट्रांसफर होगा। इसके बारे में मैं सदन को अवगत कराता हूं कि इस बात की जांच करवा लें, अगर असत्य बात है तो मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूं कि मैं इस सदन से इस्तीफा दे सकता हूं। इसके बारे में तीन साल की जांच करवाई जाए।

यह उत्पत्ति, तिवाड़ीजी, आपकी है। 1967 में स्वतंत्र पार्टी में थे हरजीरामजी और उस उत्पत्ति को हमारे लिए यहां भेज दिया तोहफा और हम यह भोग रहे हैं। इसलिए आप लोग, भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है, इस तोहफे को वापस लो और हम कांग्रेस को रिहा करो। मेरा यही निवेदन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब तो राम जी से कहो।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): राम जी को तो कह देते, अब की बार अगर सरकार में मंत्री नहीं बनते तो। अब तो माननीय मुख्य मंत्री से कहा कि अब तो इनकी शादी करनी पड़ेगी, दुबारा जवान हो गये।

श्री सभापति: मैं दोनों सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि आपस में वार्तालाप न करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं करेंगे लेकिन, सभापति महोदय, दुबारा शादी करेंगे, दुबारा लड़का होगा। इनके तो वही आफत आएगी।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): मछली मार्केट का मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि इसके बारे में सारी जो बात हुई है, आपके सामने और सारी रिकार्ड पर बात है। इसके बाद में वहां की जनता ने आंदोलन किया और गंगा देवी वहां की जो विधायक हैं, इसके अलावा सी एल प्रेमी, जाकिर हुसैन, मैंने स्वयं ने इसके बारे में मुख्य मंत्रीजी को लिखकर दिया है तब जाकर के उसको रोका गया है। इस तरह के बड़े घोटालों के खिलाफ मैं आपको, सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि जांच करवाई जाए और जो गिरदावरी रिपोर्ट है, जो कलक्टर ने कमेटी बनाई है, 5 एस डी एम अधिकारियों की भी रिपोर्ट है और जो मैंने पत्र लिखे हैं, ये सारे पत्र मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं और इनके खिलाफ जांच करवा करके जो किसानों को बीमा नहीं मिला, उनको बीमा दिलाया जाए और नहीं तो इनके खिलाफ जो जांच मैं कह रहा हूं, उसकी जांच करवाई जाए। यह मैं सारी पत्रावली सदन की मेज पर रखता हूं।

(माननीय सदस्य, रूपाराम डूडी द्वारा सम्बन्धित पत्र सदन की मेज पर रखे गये)

श्री सभापति: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने मंत्रीजी पर गम्भीर आरोप लगाये हैं।

श्री सभापति: आसन को निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है, विराज जाइए ...(व्यवधान) सम्माननीय सदस्य, विराज जाइए। श्रीमान् सदस्य, विराज जाइए। ज्ञानदेव जी आहूजा के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है, यह कहा जाता है और 80 प्रतिशत हम लोग, यहां की जनता कृषि पर आधारित है। हमारा राज्य राजस्थान भी क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 342 लाख हैक्टेयर है, उसमें सकल एवं शुद्ध कृषि में क्षेत्र लगभग 60 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत है। राज्य का मुख्य व्यवसाय भी कृषि है और कृषि पर आधारित है। परन्तु संयोग है, सौभाग्य है या दुर्भाग्य है कि कभी अतिवृष्टि से, कभी ओलावृष्टि से, कभी पाले से और कभी न्यून वर्षा से प्रभावित होने के कारण किसान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। हम लोगों ने, राजस्थान सरकार ने जो 10 सेक्टर जलवायु की दृष्टि से बनाये हैं, वे सेक्टर बना तो दिये हैं लेकिन उन सेक्टरों के बारे में कोई सोच बहुत क्लीयर नहीं है। जहां किसान को बिजली चाहिए, विद्युत चाहिए, वहां विद्युत नहीं है, वह मैं बहुत आलोचना नहीं करूंगा क्योंकि आलोचना बहुत हो चुकी परन्तु यह बात निश्चित है कि राजस्थान सरकार उतनी विद्युत भी नहीं दे पा रही है कि किसान सिंचाई कर सकें और कृषि उत्पाद सही ढंग से हो सकें और हम उस पाले की मार और ओलावृष्टि, इन सब का ध्यान भी हम लोग रख सकें।

मैं बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे कृषि बजट का जो हिस्सा है, वह बहुत कम रखा गया है। रियल में तो बजट की कोई स्पष्ट घोषणा बजट के प्रपत्रों में नहीं है और बीज वितरण में देरी और असमानता, यह किसी भी व्यवस्था के कारण से एक त्राहि-त्राहि कराता है। इसी प्रकार से, उर्वरकों की जो सप्लाई है, वह या तो ब्लैक से या नकली खाद व बीज, दोनों होने के कारण बार-बार कृषि अधिकारियों को हमारे क्षेत्र में और जिले के किसानों ने अपील की लेकिन कोई सुनवाई समय पर नहीं होती। उर्वरक का रेट तो 500 की बजाय एक हजार तक पहुंच गया। पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध भी नहीं होते और प्रामाणिक बीज भी नहीं। यह प्रामाणिक बीज का प्रतिवेदन मैं देख रहा था, प्रामाणिक बीज भी उपलब्ध

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

नहीं होते। इस कारण से किसान बहुत दुःखी है। जहां तक जैविक खाद है, जैसे देशी खाद से और केंचुआ खाद से, कम्पोस्ट हमारी खाद से किसानों को लाभ हो, कम पानी व लागत में अच्छी फसल हो, इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कृषि को ऐसा मान लिया गया।

पहले कहा जाता था, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी करे लाचार; अब उलटा हो गया, उच्च नौकरी; खेती को नीचे ले जाया गया। अब उस स्थिति में वह लाचार है जो कृषि करे। लेकिन एक आशा की किरण जगी है, गुजरात ने और महाराष्ट्र ने कृषि पर विशेष ध्यान दिया है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र पैटर्न में अब तक जो गांव खाली करके लोग आते थे कि अब तो रोजगार शहरों में मिलेगा, गांव के गांव, ग्रामीण पलायन कर रहे थे लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से वहां काफी कुछ उपलब्ध करवाया है। कुल 700 करोड़ की योजना बनाई जिसमें 491 करोड़ विश्व बैंक से और इसके 700 करोड़ का टोटल बकाया महाराष्ट्र सरकार उसमें लगाएगी । वहां पर महाराष्ट्र विश्व बैंक से मिलकर अपने उत्पादों, प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, पैकेजिंग जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सात सौ करोड़ की व्यवस्था कर रहा है। मैंने आपसे निवेदन किया है, माननीय सभापति महोदय, ऐसा पायलट प्रोजेक्ट, इससे देश में 3,500 हाटों में 300 हाट नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज, इलेक्ट्रोनिक इंफार्मेशन टिकट बार स्थापित किया जाएगा और इन गर्मियों में हाटों, भण्डारण, इत्यादि का इंफ्रास्ट्रक्चर नया तैयार करके और नये बाजारों का निर्माण किया जाएगा। हमारे कृषि अधिकारी जो राजस्थान के हैं, माननीय सभापति महोदय, और कृषि मंत्री महोदय, ये उस तरफ ध्यान देंगे तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अपने ढंग से राजस्थान में भी इसी प्रकार से..., गुजरात ने भी विश्व बैंक के सहयोग लेकर के काम किया है। यह नई चीज है और नया सुझाव है जो राजस्थान सरकार और मंत्री महोदय को मानना चाहिए।

(17.28 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

मैं, माननीय सभापति महोदय, आपका ध्यान वर्तमान में जो कृषि का उत्पादन हुआ है, गेहूं को विशेष रूप से, गेहूं हमारे यहां का मुख्य अनाज है, गेहूं हमारे यहां का मुख्य उत्पाद है, एक जिंस है जिसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। वर्ष 2010-11 में कुल उत्पादन गेहूं का हुआ राजस्थान में,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

माननीय सभापति महोदय, एक करोड़ 4 लाख 24 हजार टन और राजस्थान सरकार ने 304 खरीद केन्द्र बनाकर और ग्राम सहकारी समितियों की संख्या 5,271, उनमें से सिर्फ 6 प्रतिशत ग्राम सहकारी समितियां, यानी 304 में कुल खरीद 13 लाख टन गेहूं कीकी, जो मात्र 12.50 प्रतिशत होती है। अन्य प्रदेशों में तुलना में, हरियाणा में 60.44 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 60.43 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 54.88 प्रतिशत की खरीददारी हुई। अब, माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2011-12 में कुल राजस्थान में उत्पादन का जो अनुमान आया, बहुत स्पष्ट अनुमान आया, जनवरी के प्रथम अनुमान के अनुसार 85 लाख 46 हजार 503 टन और एक अप्रैल से खरीद घोषित की गई लेकिन अभी तक खरीद कई जगह चालू नहीं हुई है और 6 मार्च को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के अनुसार, जो आपकी मंत्रिमण्डल की बैठक हुई, खरीद का लक्ष्य 15 लाख टन था जो 20 लाख टन कर दिया, जो कुल उत्पादन का 17.55 प्रतिशत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं किसान नहीं हूं, कृषक नहीं हूं, कृषक पुत्र हूं, लेकिन मैं किसानों का ऋणी हूं, जमींदारों का ऋणी हूं जो उत्पादन करते हैं, सब्जियां, फल, अनाज, अन्य जिंस और जिनका हम उपभोक्ता के रूप में उपयोग करते हैं। मैं ऋणी होने के नाते निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार कुल 20 लाख टन गेहूं खरीदना चाहती है और शेष 85 लाख में से 65,46,503 टन, कुल उत्पादन का 82.45 प्रतिशत गेहूं किसान कहां ले जाय? वह व्यापारियों के हाथ में आएगा। सरकारी मूल्य, समर्थन मूल्य उनको मिलेगा नहीं। किसान को 27,12,90,36,550 रुपये का घाटा होगा। ये आंकड़े कृषि विभाग से ही आये हैं, 2,712 करोड़ रुपये। जबकि पिछले वर्ष मूंग, उड़द, मूंगफली, मक्का, चना एवं गेहूं की फसलों का अनुमानित घाटा 3,964 करोड़ रुपये था, जिसमें अकेले गेहूं का घाटा 1,980 करोड़ रुपये था। सरकार ने किसानों को दीपावली के तोहफे के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उड़द, मूंग एवं बाजरा खरीद की घोषणा की थी, 25 अक्टूबर, 2011 को तत्कालीन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बाबूलाल नागर की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के अनुसार; जिसमें उड़द एवं मूंगफली की खरीद ही नहीं की और कुल उत्पादित 460 लाख क्विंटल बाजरे में से मात्र 946 क्विंटल बाजरा 28 में से एक केन्द्र पर खरीद किया, जो कुल

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

उत्पादन का 0.002 प्रतिशत, नगण्य है। मूंग की खरीद की तो चर्चा ही नहीं की। इस वर्ष सरकार ने 317 खरीद केन्द्र बनाये हैं जबकि ग्राम पंचायतों की संख्या 9,178 तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों की संख्या 5,271 है जो क्रमशः साढ़े तीन तथा 6 प्रतिशत होने से नगण्य हैं। प्रदेश में अभी तक खरीद की स्थिति दयनीय है। किसानों को दर-दर भटक कर कम भावों पर अपना गेहूं बेचना पड़ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2010-11 में राजस्थान में गेहूं की खरीद अन्य पड़ोसी प्रदेशों की अपेक्षा कम रही, जो निम्न सारणी के अनुसार है। मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा में 114.62 लाख टन है और यह 60.44 प्रतिशत था। इस वर्ष का मैं निवेदन करता हूं, किसानों को घाटा 39,64,07,68,500 रुपये है। 2011-12 का बाजरा, मूंगफली, उड़द का घाटा इससे बढ़कर है। आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत हैं, मैं सम्पूर्ण आंकड़े इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि समय कम है।

मेरे कुछ सुझाव हैं-

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं व अन्य अनाजों की खरीद सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति को स्थायी खरीद केन्द्र बनाया जाय।

शीतलहर एवं पाले के कारण नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिलाया जाय।

मेहंदी, धनिया, जीरा, लहसुन, मोठ, ग्वार, अरण्डी, मेथी, आदि सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर घोषित किये जायं, जो पूर्व में हमारे कोटड़ी के माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण को रोका जाय तथा भूमि अधिग्रहण का मुआवजा सम्मानपूर्वक जीवन जीने योग्य दिया जाय।

जंगल विस्तार या अन्य राष्ट्रीय कार्य हेतु जिन गांवों या गांववासियों को विस्थापन के कारण उजाड़ा जा रहा है, उनके विस्थापन की एवं जीविकोपार्जन की समुचित व्यवस्था की जाय; ऐसे परिवारों में से कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाय। पूर्व में दिये गये पत्र एवं ज्ञापनों पर सरकार तत्काल कार्यवाही करे; मैंने बार-बार सरकार को पत्र भेजे थे।

किसानों को प्रामाणिक बीज, कीटनाशक दवाइयां, खाद, डीजल उचित मूल्य पर सही समय पर उपलब्ध कराया जाय।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

सड़क बनाने वालों को जहां पेट्रोल पम्प का, डीजल पम्प का अलग से पम्प दिया जाता है, वहां किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाय।

नदी जोड़ो कार्यक्रम एवं प्रदेश में लम्बित सभी सिंचाई योजनाओं सहित चम्बल, यमुना आदि नदियों पर बनी परियोजनाओं को आरम्भ किया जाय।

बढ़ते हुए डार्क जोन में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की जाय।

प्राकृतिक प्रकोप से फसलें नष्ट होने पर समर्थन मूल्य की सीमा तक मुआवजा दिया जाय एवं छह माह तक फसल के लिए बिजली, पानी की व्यवस्था की जाय।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, ये कुछ सुझाव हैं जो मैं लिखकर सरकार को दे दूंगा, आपने घण्टी बजायी है।

श्री सभापति: सुझाव दे देना।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अब मैं पशुपालन के बारे में निवेदन करूंगा, यदि आप अनुमति दें तो।

श्री सभापति: पशुपालन के बारे में भी लिखे हुए सुझाव दे दो आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): वह दे देंगे। माननीय सभापति महोदय, आप ऐसा न करें, कृषि विपणन बोर्ड और पशुपालन पर दो-दो मिनट आपकी अनुमति से लूंगा।

कृषि विपणन बोर्ड में जो सड़कें बनायीं, उन सड़कों का अब नवीनीकरण या उनकी मरम्मत करने के लिए पी डब्ल्यू डी तैयार नहीं है, जबकि उनको सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दिया गया है।

इसके साथ ही एक विशेष निवेदन इस सदन में आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में अभी-अभी बड़ौदामेव में कृषि उपज मण्डी का नया बोर्ड गठित किया गया है और उस बोर्ड में पूरा राजनीतिकरण किया गया है। हम सब लोग भाजपा या कांग्रेस सरकार में कोई भी हों, लेकिन इस मुद्दे पर कृषकों के हित में, किसानों के हित में कम से कम बोर्ड का गठन करें तथा राजनीति से ऊपर उठकर करें। माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि वहां जो बोर्ड बनाया गया है, उस बोर्ड की जो प्रेमिसेज हैं, उसका जो एरिया है, उसमें बड़ौदामेव, गोविंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़ का एरिया

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

आता है। वहां से पहले खेड़ली कृषि उपज मण्डी के 6 डायरेक्टर चुने हुए हैं, जनता ने उनको चुना है; उन्होंने पैसा खर्च किया, भागदौड़ की, चुने गये। उनमें से एक भी नहीं लिया गया है और सारे गैर चुने हुए सदस्यों को लिया गया है। मेरा कृषि विपणन राज्य मंत्रीजी से निवेदन है कि उनको भी उसमें शामिल करें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

पशुओं के कई बीमारियां हैं, उनको दूर करने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं बहुत सारे पशु चिकित्सालय के लिए सुझाव हैं, लेकिन अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं, माननीय कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री, दोनों को कि 12 ग्राम सेवक के पद खाली हैं। मेरे क्षेत्र के बड़ौदामेव कस्बे में असिस्टेंट एग्रीकल्चर डायरेक्टर आफिस 2007 से पूर्व कार्यरत था, किन्तु अब उसको हैडक्वार्टर में ले गये हैं। मेरा निवेदन है कि किसानों की समस्या को देखते हुए इसे पुनः वहां स्थापित करें।

साथ ही, ग्राम पंचायत गन्डूरा, घाट, सैक्ष्मपुरा, पाटा, बगड़ राजपूत में पशु चिकित्सा केन्द्र खोले जाये तथा ग्राम पंचायत नीकच, ग्राम पंचायत खो वापिसपुर, ग्राम पंचायत इन्दपुर, ग्राम पंचायत फाइरी में उप-चिकित्सा केन्द्र खोले जायें।

पशुओं के लिए निःशुल्क दवाइयों के लिए राजस्थान सरकार ने जो घोषणा की है, मैं इसका स्वागत करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम।

श्री सभापति: श्री सूरजभान धानका।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 37 व 39, कृषि व पशुपालन पर मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 70 परसेंट जनता गांवों में बसती है और उनका मुख्य धंधा कृषि है। कृषि में कहते हैं ग्यामन, धीणा, हरी खेती, जब मुख पड़े तब की आस, अभी यह चरितार्थ हुआ जब हमारी फसल तैयार थी मेरे क्षेत्र में और भारी ओलावृष्टि, बड़बेरी के आकार से 200 ग्राम तक के ओले पड़े तो पकी हुई खेती बरबाद हो गई। फसल बरबादी के साथ बाड़ी व बागवानी भी खतम हो गई क्योंकि किसान का धान चौड़े में रहता है।

आज कृषि का व्यवसाय फायदेमंद नहीं रहा। हम कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, या जो भी, उनको अच्छा वेतन, अच्छी बैठने की जगह मिलती है।

(श्री सूरजभान धानका)

लेकिन वह किसान जो अन्नदाता कहलाता है, चींटी से लेकर हाथी तक के लिए भोजन देता है, सर्दियों में रात को पाले में उसको पानी में आकर खड़ा होना पड़ता है। बिजली रात में देते हैं तो रात में जाना पड़ता है; दिन में लू चल रही है तो दिन में भी उसको काम करना पड़ता है। फिर भी उसको यह पता नहीं कि भगवान की क्या माया हो जाए और पकी हुई खेती भी उसके यहां नहीं आती। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जो अभी किसानों के लिए मुआवजे की प्रार्थना की गई है तो मुआवजा उनको दिलाएं। इसके अलावा जो बीमा राशि है, वह भी उचित दिलाएं।

किसानों के लिए हमारी सरकार ने जो रास्ते का प्रोग्राम बनाया है, पहले बीच में किसी का खेत पड़ जाता था तो उसको अन्दर जाने के लिए बड़ी समस्या होती थी लेकिन एक गजट बनाकर, नियम बनाकर किसानों को राहत दी है ताकि वह अपने खेत तक जा सके।

उसके अलावा, समय पर कृषि कनेक्शन मिले, बिजली का उत्पादन बढ़ाएं। पानी से ही फसल चलती है और पानी की व्यवस्था तभी होगी जब बिजली पूरी होगी। जो किसान हैं उनके लिए कोई ऐसी योजना बनाएं ताकि वे अपने परिवार का पालन-पोषण करते हुए अच्छी शिक्षा-दीक्षा लें। योजनाएं ऐसी हों जैसे कृषि विद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय हैं, इनमें आम बच्चों को एडमिशन दिया जाए ताकि आगे जाकर वे हमारे कृषक के बच्चे वैज्ञानिक बनें और जमीन से जुड़े होंगे तो निश्चित रूप से हमारे कृषकों का भला करेंगे।

दूसरा, पशुपालन के लिए हमारी सरकार ने आदमियों के साथ-साथ पशुओं को भी फ्री दवाइयों की सुविधा की है, इसके लिए कृषकों को बहुत राहत मिलेगी। इसके अलावा, मैं मंत्रीजी से यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 108 एम्बुलेंस आदमियों के लिए लगाई है, इसी तर्ज पर पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस लगाई जाए। क्योंकि मरीज को तो गाड़ी, साइकिल, बस, किसी में भी ले जा सकते हैं लेकिन पशु को ले जाने में बहुत दिक्क्त आती है। इसलिए मोबाइल टीम लगाएं या 108 की तर्ज पर एम्बुलेंस दें। जो पशुओं के लिए चिकित्सालय हैं उनको क्रमोन्नत करें और पंचायत स्तर पर पशु औषधालय खोलें ताकि पशुओं को दूर ले जाने में दिक्कत नहीं हो।

इन्हीं बातों के साथ, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, ये कह रहे हैं

(श्री श्रवण कुमार)

कि पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस लगाओ; तो जो डाक्टरों को लगा रखा है वे ही गांवों में नहीं ठहरते, शहर में आकर सोते हैं। 12 बजे सारे वापस आ जाते हैं।

श्री सभापति: श्री महेन्द्र चौधरी।

सूचना

जयपुर में पीले पानी की आपूर्ति

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति जी, एक मिनट। सभापति जी, मैं आपका एक मिनट लूंगा।

पूरे जयपुर में पिछले सात दिन से पीला पानी आ रहा है। हमारा सदन चल रहा है और जब सदन चल रहा है तब हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज जलदाय मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं। पहले तो आफिसर्स ने यह कहा कि यह जो पीला पानी आ रहा है, इसमें कोई टेक्निकल फाल्ट हो गया और वहां जलकुम्भी, वगैरह से यह पीलापन हो गया जिससे यह पीला पानी जयपुर के लोगों के पास आ रहा है। इससे कोई अधिकारी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। हम सदन में बैठे हैं, हम जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पीला पानी आए और पीला पानी आने के बाद जनता शांति से इंतजार करे कि दो-तीन दिन में स्थिति ठीक हो जाएगी, अधिकारी जवाब दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? किन लोगों ने बीसलपुर की पाइपलाइन बिछाई? प्लानिंग कहां थी, प्लानिंग कहां फेल हुई और कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? डे-बाई-डे बार-बार अखबारों में आया कि यहां रिसाव हो रहा है, यहां पाइप लाइन टूट रही है, यहां गड़बड़ है। सब अखबारों ने बार-बार चेताया इसके बावजूद अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। तो यह सदन की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर फैसला होना चाहिए कि कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते। पहले तो डर था कि बीसलपुर में पानी नहीं आएगा पर यह इस सरकार की किस्मत है कि बीसलपुर भर गया, राजस्थान को आशीर्वाद मिला और जयपुर को पानी मिल रहा है। बीसलपुर में पानी तो है लेकिन वह पानी खराब हो जाए और गंदा पानी, पीला पानी आए तो ऐसे में, सभापति जी, इस सदन को आपके जरिए मैं कहना चाहूंगा, सरकार तक संदेश जाना चाहिए, सरकार सारे अधिकारियों को बुलाए और बुलाकर उनको पाबंद करे कि किसी भी कीमत पर जयपुर में जो पीला पानी आ रहा है, वह क्यों आ रहा है यह स्पष्ट हो और आगे से इस

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

तरह की स्थिति खराब नहीं हो, उसके लिए अधिकारियों को ताकीद किया जाए। सरकार इसको गम्भीरता से लेकर जयपुर में स्वच्छ जल की व्यवस्था करवाए।

श्री सभापति: श्री महेन्द्र चौधरी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही गम्भीर विषय है।

श्री सभापति: बात हो गई न।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): जब उनकी सुन ली तो मेरी भी सुन लो।

श्री सभापति: आप भी वही बात कह रहे हो न?

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, उसी विषय पर दूसरी बात कह रहा हूं। जब उनकी सुन ली तो मेरी भी सुन लो।

बात यह है कि जलदाय मंत्रीजी को सदन में बुलाया जाए, उनका वक्तव्य लिया जाए। सारे विधान सभा सदस्य जयपुर में ही रहते हैं और उनके भी स्वास्थ्य का विषय है। सारे जयपुर शहर की जनता के स्वास्थ्य का विषय है। इतना गम्भीर विषय है और सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया। तो मैं चाहता हूं कि सरकार वक्तव्य दे और जिन-जिन अधिकारियों ने इसमें गलती की है, मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि जब वे बोले ही नहीं....

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, मेरे एम एल ए क्वार्टर में भी पीला पानी आ रहा है। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): पीला पानी आ रहा है और बार-बार सरकार से...

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): मैं कई बार आपके क्वार्टर से पानी लेकर जाता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं कई बार आपके क्वार्टर से पानी लेता हूं। मेरे एम एल ए क्वार्टर में पीला पानी आ रहा है, इसलिए मैं इनके क्वार्टर से पानी ले जाता हूं।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): आपकी बात आ गई है, उन्होंने कह दिया है।

श्री सभापति: समय तो बढ़ाने दो।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सात बजे तक बढा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय सात बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय सात बजे तक बढ़ाया गया।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मेरी बात कम्प्लीट नहीं हुई। आप व्यवस्था दे दीजिए। मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं, आपके आदेश हैं।

श्री सभापति: बात हो गई। माननीय सदस्य, जो बात विस्तार से कह दी है, उस चीज को आप बार-बार कहो। आ गई न बात सरकार के ध्यान में। आपने सदन में बोल दिया, सरकार के ध्यान में आ गई। प्लीज, आप विराजो।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मैं व्यवस्था यह चाहता हूं कि जलदाय मंत्रीजी सदन में वक्तव्य दें।

श्री सभापति: विराजो आप। श्री महेन्द्र चौधरी।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सम्माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 37-कृषि और मांग संख्या 39-पशुपालन पर चर्चा हो रही है। अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। जहां पर कृषि का मामला आता है, वहां सीधा-सीधा किसान से जुडा हुआ मामला आता है। इस प्रदेश की धरती पर आज भी 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, कृषि के ऊपर आधारित हैं। हमारा राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता है। उस किसान के दर्द को, उस किसान की तकलीफ को वही व्यक्ति समझ सकता है जिन्होंने किसान का काम किया हो, जिनके परिवार ने किसान का काम किया हो, नजदीकी में रहा हो।

आज हमें गर्व है धरती पुत्र, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, अशोक जी गहलोत पर, जिन्होंने इस प्रदेश के अन्दर चौथा बजट पेश किया और जब-जब भी बजट पेश किया तो किसान का विशेष रूप से उन्होंने ध्यान

(श्री महेन्द्र चौधरी)

रखा है। बजट तो पूर्ववर्ती सरकार ने भी पेश किए थे लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के बजट महल के कंगूरों पर बनते थे और यह राजस्थान की कांग्रेस सरकार के बजट गरीब की झोंपड़ी के अन्दर बना करते हैं। आज मोहनलाल जी गुप्ता को धोती पहना दें, साफा पहना दें तो ये किसान नहीं हो सकते। आज ये हजार बीघा जमीन खरीद के आ जाए और यह कह दें कि मैं किसान हो गया हूं; ये कभी किसान नहीं हो सकते। किसान की तकलीफ को, किसान के दर्द को ये लोग नहीं समझ सकते। ये कहते हैं, मैं गाय रखता हूं, गाय के कूलर लगाए रखता हूं। ये गाय की सेवा के लिए कूलर नहीं लगा रहे हैं, उसके पीने वाले उस दूध के लिए कूलर लगा रहे हैं। इनको अच्छी तरह से पता है कि उस सिन्थेटिक दूध जिसमें मिलावट आती है, उससे हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है, हमारे बच्चों की तबीयत भी खराब हो सकती है इसलिए उस गाय को ये रखते हैं।

किसान की तकलीफ हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। किसान जो अन्नदाता कहा जाता है इस देश का, धरती का सीना चीर के उस धरती में बीज डालता है, समय-समय पर उसमें खाद डालता है और भगवान से अरदास करता है कि भगवान, मैं इसमें बीज डाल रहा हूं, मुझे अच्छी फसल देना, उस भगवान के हाथ में रहता है क्योंकि उसकी फसल का उसको जो परिणाम मिलना है। वह खुले आसमान के नीचे रहता है और सेठ लोगों का जो धन होता है, वह बंद पेटियों में रहता है। किसान, जो उपज की आस किए हुए किसान अपना चाहे कड़कती धूप में हो, चाहे सर्दी में हो, खड़ा रहता है फसल के लिए और अगर उसमें ओलों की बरसात हो जाए, प्राकृतिक आपदा की कोई भी विपदा हो जाए तो बेचारा किसान किसी को कह नहीं सकता, वह चुपचाप बैठा रहता है।

उनकी तकलीफ को समझा है राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी, अशोक जी गहलोत ने, कि हर विपरीत परिस्थिति के अन्दर किसान को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उनकी हर बात का ध्यान रखते हुए किसान को फायदा देने के लिए किसान की बूंद-बूंद सिंचाई की योजना में जो अनुदान की दर 70 प्रतिशत हुआ करती थी, उसको 90 प्रतिशत किया। उससे 140 करोड़ का भार आएगा। डिग्गी और टांकों का निर्माण कराना, किसान के हित में इस बजट के अन्दर इसका उल्लेख किया गया है।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्द्धा योजना हो, चाहे उदयपुर में कन्या छात्रावास हो, ये भी किसान के हित के अन्दर लागू किए गए हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस ज़िले से आता हूं, नागौर जिला एक कृषि प्रधान जिला है, जिसके अन्दर बाजरा, ज्वार, मूंग, मोठ, मटर, सरसों, तिल, तारामीरा के साथ-साथ मेथी, काला जीरा, काली मिर्च, ज्वार बीज, आदि की फ़सलें बोई जाती हैं। नागौर ज़िले में सिंचाई की सुविधा को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। माननीय कृषि मंत्रीजी यहां बैठे हैं, खुद भी नागौर ज़िले से हैं, मैं उन्हें विशेष से रूप कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार सरकार ने कृषि फिल्मों का प्रदर्शन, ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहन, किसान भवनों का निर्माण, हर जिला हैडक्वार्टर पर पशु चिकित्सा शिविर, भैंस बीमा योजना, भेड़-बकरी प्रजनन नीति जो लागू की हैं, उनका गांवों में बहुत अच्छा असर जा रहा है।

इसके साथ-साथ में हमारे कृषि विपणन मंत्रीजी भी यहां बैठे हुए हैं, क्योंकि आज कृषि और पशुपालन के साथ-साथ कृषि विपणन बोर्ड भी है, उसके बारे में मेरा एक सुझाव है। एक प्लेज लोन जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कृषि मंडियों में शुरू किया गया है, यह पहले शुरू किया गया बालोतरा में, अटरू में, प्रतापगढ़ में और मालपुरा (टोंक) में; यहां पर यह प्लेज लोन शुरू किया गया। इस प्लेज लोन का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि किसान उसकी उपज का 75 प्रतिशत पैसा वहां से ले सकता है। अप्रैल-मई में जब उसकी पहली फसल तैयार होती है, उसके बाद में जब उसको अपने बच्चों की शादी करनी होती है तो प्लेज लोन के माध्यम से वह पैसा ले लेता है और जो है, उसको शादी के काम में लगा लेता है। अक्टूबर-नवम्बर में सर्दियों में अगली फसल बोने के लिए बीज के लिए उसको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, उसमें वह अपने उत्पाद का 75 प्रतिशत पैसा ले लेता है। मैं मांग करता हूं कि मेरे कुचामन के अन्दर भी यह प्लेज लोन लागू किया जाए और यह पूरी मंशा के साथ में लागू किया जाए। खाली कागजों में नहीं, सरकार की पूरी इच्छा हो कि प्लेज लोन लागू करना है, उस इच्छा-शक्ति के साथ में लागू किया जाए और उसमें जो बीस हजार रुपए अधिकतम सीमा है, उसको बढ़ाकर एक लाख रुपए तक किया जाए ताकि लोगों को इसका भी फायदा मिल सके।

कृषि विपणन कृषि मंडियों के लिए पहले सड़कें होती थीं, अब मेरा सुझाव है कि ग्रामीण गोदाम बनाये जाएं गांवों के अन्दर। ग्रामीण गोदाम

(श्री महेन्द्र चौधरी)

बनाने से उस किसान को जिसको अनाज रखने के लिए स्थान नहीं होता है, बाहर अगर अनाज को रखता है तो बरसात आ जाती है, उसका अनाज खराब हो जाता है, धूप में उसका अनाज खराब हो जाता है; अगर ग्रामीण गोदाम बना देंगे नाबार्ड की प्रक्रिया से आप तो उसमें ग्रामीण गोदाम बन सकते हैं। इसमें लोन और 25 परसेंट सब्सिडी भी मिलती है। इसकी प्रक्रिया बहुत लम्बी है, बैंकों की इसमें मनमानी होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह प्रक्रिया मण्डी अपने कंट्रोल में ले और ग्रामीण गोदाम बनाये जाएं। ग्रीन हाउसेज बनाये जाएं, कोल्ड स्टोरेज बनाये जाएं ताकि उस कोल्ड स्टोरेज के अन्दर मूंग, मोठ, सब्जी, नागौर की पान मेथी, जीरा, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स उसके अन्दर रख सकते हैं।

इसबग़ोल भी एक इस प्रकार की खेती है जिसमें मारवाड़ के किसान को राहत दी, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने वैट-मुक्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के शासन के अन्दर इसबग़ोल पर 4 परसेंट का वैट लगाया गया था लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इसबग़ोल को वैट-मुक्त कर दिया। उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का आभारी हूं। क्योंकि नागौर, जालौर, सिरोही और बाड़मेर के अन्दर विशेष रूप से इसबग़ोल की जाती है। इसबग़ोल किसान मंडी में नहीं बेचता क्योंकि उसको वहां पर कम मूल्य मिलता है। किसान इसबग़ोल को लेकर जाता है 500 किलोमीटर दूर गुजरात के अन्दर, वहां जब वह उसको बेचकर के आता है तो उसको लूट लिया जाता है। वहां के लोगों को पता रहता है कि यह पैसा लेकर के आ रहा है, तो उसको कई बार लूट भी लिया जाता है, उसकी जान को भी खतरा रहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर इस सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान में भी जब-जब कांग्रेस की सरकार बनी, चाहे किसान का 72 हजार करोड़ के कर्जा माफी की बात हो, चाहे किसान के उपज के समर्थन मूल्य की बात, भारी बढ़ोतरी की बात हो, कांग्रेस की सरकार ने किसान का हमेशा ध्यान रखा है, किसान के ऊपर पूरा ध्यान रखते हुए कार्य किया है।

नागौर बैल की बात मैंने पहले भी कही थी और आज फिर कहूंगा, क्योंकि नागौर का बैल पूरे वर्ल्ड के अन्दर प्रसिद्ध है। नागौर का बैल, एम पी, यू पी, पश्चिम बंगाल के वहां पर नागौर का बछड़ा जाता था। वहां पर चावल की खेती होती थी, क्योंकि गोड़े शुदा-शुदा पानी के अन्दर ट्रैक्टर नहीं चल सकता, वहां इस चावल की खेती का काम यह बैल करता था। लेकिन पिछली सरकार

(श्री महेन्द्र चौधरी)

के अन्दर तीन साल के बछड़ों पर रोक लगा दी गई। यह रोक यह कह कर लगा दी कि यह बछड़ा आगे कटने के लिए जाता है। इस प्रकार की रोक लगने से, हमारे नागौर में इस बछड़े को बंद करने से पशु पालकों को बड़ी तकलीफ हो रही है। इसलिए मैं सरकार के माध्यम से यह चर्चा करना चाहता हूं कि मेले भरते हैं, अभी सिंघल साहब ने बताया था कि मेलों में बहुत कम पशु आते हैं। इसका मुख्य कारण यह भी है क्योंकि जहां पशुओं के मेले भरते हैं, वहां तीन-तीन साल के बछड़ों पर रोक लगा दी गई। मेलों में पहले बछड़े आते थे, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहले नागौर के बछड़ों को जाना था, लोग वहां से खरीद करके ले जाते थे उन बछड़ों को और अब उन बछड़ों को कोई नहीं ले जाता है। दो-तीन साल के होते हैं तो कहते हैं कि यह तो कामरेड हो गया, इसको खुला छोड़ दो; खुला छोटा हुआ रहता है। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन बछड़ों की जो रोक हटाने की मांग है इसको भी पूरा करायें।

माननीय मंत्री महोदय, कृषि विस्तार के अन्दर कृषि विस्तार केन्द्र, चितावा जो नावां क्षेत्र के अन्दर आता है, यह मेरा एक कार्यालय आप यहां से ट्रांसफर करके खुद के विधान सभा क्षेत्र लाडनूं के अन्दर आप ले गए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे यहां पर किसान लोग रहते हैं और इस कृषि का जो कार्यालय वहां गया है, उससे वहां के लोगों के अन्दर भारी रोष है। मैंने आपको पूर्व में भी निवेदन कर दिया है, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इस कृषि विस्तार केन्द्र, चितावा को पुनः चितावा के अन्दर खोला जाए।

दूसरी और भी कई प्रकार की मांगें हैं, जिनके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके शासन के अन्दर, मैंने पहले भी कहा है कि किसान के साथ में अगर किसी भी पार्टी ने धोखा किया है, किसान के हित की बातें घोषणा पत्र में लिख दी लेकिन उनकी पालना नहीं की है, समय आने पर उस किसान ने उस पार्टी को निपटा दिया है। आपने भी जब अपना घोषणा पत्र दिया था तो उस घोषणा पत्र के अन्दर आप लोगों ने किसान के हित के लिए कहा था कि 250 करोड़ का किसान सहायता कोष बनाएंगे, पूरे पांच साल के अन्दर आपका वह किसान सहायता कोष नहीं बन सका। आपने लिखा 175 करोड़ का किसान कल्याण कोष बनाएंगे, वह आपसे पूरे पांच साल के अन्दर नहीं बन सका। आप बात करते हैं किसान की,

(श्री महेन्द्र चौधरी)

(18.00 बजे)

आपके समय में पांच साल में सबसे ज्यादा किसान परेशान हुआ। किसानों के ऊपर आप लोगों ने, जब भी किसानों ने सिंचाई का पानी मांगा, आपने पानी का जवाब गोली और लाठियों से दिया, जिसके उदाहरण हैं राजस्थान में। चाहे अक्टूबर, 2004 में रावला-घड़साना का मामला हो, चाहे जून-2005 में सोहेला का मामला हो जिसमें पांच मौतें हुईं। किसान जब आठ घंटे आपसे बिजली मांगता था, तो चार या पांच घंटे से ज्यादा आपके शासन में बिजली नहीं मिलती थी। किसानों के दस हजार करोड़ के कर्जे माफ करने की घोषणा की थी आप लोगों ने घोषणा-पत्र में लेकिन आपकी घोषणा घोषणा रह गई, आप लोगों ने उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि किसान का जब मामला आता था तो आपके खुद के भी सांसद जो बाड़मेर-जैसलमेर से आते थे, मानवेन्द्र सिंह जी, किसान अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर 9 दिनों तक वे उपवास पर रहे; आपके एम पी भी आपकी सरकार के खिलाफ में बैठे थे। उससे आप जान सकते हैं कि किस प्रकार किसान के हित की बात किया करते थे। किसान की बात करते हैं, इस देश की सीमाएं बेचने वाली सरकार जिसने इस किसान की जहां-जहां पर भी जमीनें देखीं, उन जमीनों को किस प्रकार कब्जे में लिया जा सकता है, इस प्रकार का भी प्रयास आपके शासन काल में हुआ है।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि यह जो बजट आया है, इस बजट में जो आज ये कृषि पर और पशुपालन पर बातें आयी हैं, उसमें पूरा ध्यान रखा गया है राजस्थान की सरकार द्वारा।

कुछ मांगें जो मैंने अपनी ओर से कही हैं, उन मांगों के लिए मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं और यही कहना चाहता हूं कृषि मंत्रीजी से कि आज आपने इस बजट में जो चार सौ नये पशु उप-केन्द्र और दो सौ उप-केन्द्रों को क्रमोन्नत करने की घोषणा की है, ये वास्तव में बहुत अच्छी घोषणाएं हैं। इसको शहर में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं समझ सकता। गांव और ढाणी में रहने वाला व्यक्ति, जिस प्रकार अभी सूरजभान जी ने कहा था, जिस प्रकार मुख्य मंत्रीजी ने निःशुल्क दवा वितरण योजना का राजस्थान की जनता को एक तोहफा दिया, इस बजट में पशुओं के लिए भी जो दवाइयां मुफ्त कर दीं और जब पशुओं को दवाई मुफ्त मिल रही है, उसका बड़ा इम्पेक्ट जा रहा है, बड़ा

(श्री महेन्द्र चौधरी)

फायदा जा रहा है लोगों को। क्योंकि आदमी बीमार हो जाता है, उसकी दवा के दो सौ और डाक्टर के पास जाता था तो डाक्टर सौ रुपये फीस लेता था। आज अगर किसान का बछड़ा बीमार हो जाता है, किसान की गाय बीमार हो जाती है तो वह व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर जाता है उस डाक्टर के पास; डाक्टर उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर आता है, उसके घर पर आता है, उसके इंजेक्शन लगाता है गाय के, एक हजार रुपये ले जाता है; उसको वापस भी छोड़ कर आना पड़ता है। तो यह तकलीफ है। इस तकलीफ को देखते हुए जिस प्रकार 108 एम्बुलेंस व्यक्तियों के लिए दी गई है, उस प्रकार की गाड़ियों की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए, ताकि बीमार जानवर को अस्पताल में लाकर दिखा सकें। इस प्रकार की इनकी मांग का मैं भी बहुत-बहुत समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज सरकार ने जो पशु उप-केन्द्र खोले हैं छोटी-छोटी जगह, उनका बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है, जानवर को वहां का वहां दिखाकर उसका इलाज कराया जा सकता है।

मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, इस राजस्थान के किसान पुत्र के लिए उन्होंने इतनी अच्छी योजनाएं किसान के हित में कृषि और पशुपालन में इस राजस्थान की जनता को देकर जो लाभान्वित किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूं। पुनः एक बार आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री नरपत सिंह राजवी। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, 1952 में कृषि का बहुत व्यापक परिभाषा के साथ विभाग आरम्भ किया। इसमें हार्टीकल्चर भी है; एग्रीकल्चर भी है; फ्लोरीकल्चर भी है; डेयरी, पशुपालन, फिशरीज, ये सारे इसी में निहित हैं। लेकिन दो चीज मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। कृषि मंत्रीजी बैठे हैं, इन्होंने खुद ने खेती भी की है, यूनेस्को की रिपोर्ट इसके ऊपर है कभी आपने इसका अध्ययन किया है क्या? या आपके प्रिंसिपल सेकेटरी ने कभी अध्ययन किया है क्या? यह अल्फाटाक्सिन एक फंगस है; 80 परसेंट आपकी मूंगफली एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, रिजेक्ट होती है क्योंकि उसमें अल्फाटाक्सिन लगी है। आपने बीज उपचारित करके लगाया, खेती भी अच्छी तरह से कर ली लेकिन पोस्ट-हार्वेस्ट

(श्री नरपत सिंह राजवी)

तकनीक हम नहीं अपना पाए। उसके कारण से आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोड्यूस आपने की है चाहे वह खाद्यान्न हो, चाहे तिलहन हो, उसमें नुकसान होता है। गेहूं की रिजेक्शन रेट है रैट ड्रोपिंग्स और मिट्टी के कारण, कंकर के कारण, 68 परसेंट है। अभी इराक युद्ध के दौरान जब आपके एक पूर्व केन्द्रीय मंत्री का नाम, फूड-फार-आयल में नाम आया था, तो उस समय पूरे दो शिपलोड रिजेक्ट हुए थे क्योंकि पोस्ट-हार्वेस्ट तकनीक हमारे पास नहीं है। अब बात किसान की कर रहे हैं, खेती की कर रहे हैं लेकिन कम से कम आज के परिप्रेक्ष्य में उसमें सुधार होना चाहिए।

भण्डारण की व्यवस्था यहां पर नहीं है और जितनी भी व्यवस्था थोड़ी बहुत है, वह एक ही धन्ना सेठ को दे दी। तोलेगा भी वह ही और रखेगा भी वह ही। अभी जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि मेरी प्रोड्यूस मैं इसमें एक हजार टन रखना चाह रहा हूं उसका 75 परसेंट अगर रिटर्न मेरे को एडवांस मिल जाए तो न तो वह खराब होगा; भण्डारण आपके नीचे होगा या किसी कंपनी के नीचे होगा, वेयरहाउसिंग कारपोरेशन रखेगा और उसके बाद में उचित मूल्य आ गया तो उसमें बेच भी सकेंगे। अभी जितना भी एफ सी आई खरीद रही है गेहूं, वह कितना परसेंट है? टोटल प्रोड्यूस का बहुत नगण्य परसेंट है। उससे कहीं अधिक, अब अस्सी-पिच्यासी लाख मिट्रिक टन उत्पादन का अगर आप अनुमान लगा रहे हैं, तो वह कोई फीता थोड़े ही लगा दिया नाप थोड़े ही हो गया। जहां पर मान रहे थे कि फसल का नुकसान हुआ है, निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है लेकिन पूरे राज्य में, इतने बड़े राज्य में भण्डारण की व्यवस्था, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कांग्रेस 1952 से लेकर अधिकांश समय तक सत्ता में रही है लेकिन कभी बुद्धि नहीं लगाई और बुद्धि अगर लगाते तो कम से कम... छोटे देश जो आपसे बहुत बाद में आजाद हुए हैं वे कहीं आगे निकल गये।

आज काटन में विश्व में सर्वाधिक औसत पर-हैक्टेयर चाइना का है। हो सकता है, आने वाले पाँच वर्ष में हम उससे आगे निकलेंगे लेकिन आज उसमें सरकार की देन क्या है? बीटी काटन जेनेटिकली मोडिफाइड काटन है, उसके बारे में आपको पूछेंगे, आपको स्वयं को पता नहीं है। यहां पर आपने मोंसेंटो से जो एग्रीमेंट किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे तो मेरे ख्याल से एक दिन की चर्चा चाहिए। उसको जस्टिफाई आप कैसे करेंगे? जितने भी माडल फार्म आपने उनके लिये थे, जिसमें खेती आपके विभाग की देखरेख में

(श्री नरपत सिंह राजवी)

कर रहे थे, मोंसेंटो की देख रेख में कर रहे थे, उनको बाद में जलाना क्यों पड़ गया? आंख मीच कर निर्णय नहीं होते, मंत्री महोदय। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर मंत्री भी इसमें दोषी हों तो कम से कम उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाखों लोगों को नुकसान पहुंच जाए और एक आदमी अपना गलत निर्णय करके सिर खुजाते हुए बाहर निकल जाए। अकाउंटेबिलिटी हमारे को तय करनी है, हमको जनता के बीच में वापस जाना है।

एक निवेदन और करना चाहता हूं, अभी आपके विभाग ने सूक्ष्म खेती, ड्रिप इर्रिगेशन के बारे में 22.02.2012 को एक सर्कुलर निकाला। ये सर्कुलर तो आपने निकाल दिया, बिलकुल सही है; होनी चाहिए, विधि तो ऐसी ही होनी चाहिए लेकिन आप और आपका विभाग और मुख्य मंत्रीजी और साथ में लग जाएं तो भी अगर दस परसेंट भी अगले साल का टारगेट आप एचीव कर लें तो मैं सोचूंगा कि मैंने गलत कहा है और गलती होगी तो क्षमा भी मांग लूंगा। कोई भी आई एस आई मार्क अप्रूव्ड जो सिस्टम उत्पादन करती है, वह कंपनी, वह नब्बे परसेंट पहले खुद की जेब से जमा करायेगा। खुद की जेब से खर्च करने के बाद में आपके अगर बजटरी डेफिसिट हो गया तो अगले वर्ष उसमें से वह पूरा लेगा। आज कौन किसान हण्ड्रेड परसेंट अपनी जेब से खर्च करने के बाद, एक साल बाद निरीक्षण होने के बाद वह वापस उसकी सब्सिडी आप उसको दोगे। उसमें ब्याज भी इतना लग जाएगा कि आपकी सब्सिडी उसको ओवररूल कर जाएगी। मैंने इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी को लिखा था एक पत्र। ये बात सिर्फ स्टार्ट हुई है, बीकानेर के जिलाधीश ने एक यह निकाला कि जो भी सब्सिडी रिलीज की जाएगी, वह कृषक को दी जाएगी। कृषक को पहले दे दो और उसमें दस परसेंट खर्च कर लिया। उसकी जेब से दस परसेंट खर्च करने की हिम्मत नहीं है, वह सौ परसेंट खर्च करके और एक साल बाद तक आपका इंतजार करे, ऐसा मेरे ख्याल से सूक्ष्म सिंचाई का जो आपका प्रयोग है, यह केन्द्रीय सहायता का है और इसके अन्दर आप जो भी यूज कर रहे हैं, जितना डिले कर रहे हैं, मेरे खयाल से यह नुकसान किसान का ही कर रहे हैं, और किसी का नहीं कर रहे हैं।

राजस्थान में कुल पानी कितना उपलब्ध है, सरफेस वाटर तो मेरे ख्याल में बहुत कम है, उस कम पानी में भी ड्रिप इर्रिगेशन से सेव कर सकते हैं। इजराइल का पैटर्न हमने अपनाया, जल संग्रहण नीति अपनाई। खुले नाले में

(श्री नरपत सिंह राजवी)

से अगर देते थे तो 30 परसेंट सीपेज लास होता था। इसीलिए पूरी इंदिरा गांधी कैनाल को पक्का किया, खालों को पक्का किया, खालों की कवरिंग भी की। इससे 30 परसेंट पानी सेव हुआ है और उससे खेती का विस्तार हुआ है। उससे भी सूक्ष्म जाने पर स्प्रिंकलर इर्रिगेशन स्टार्ट हुई; स्प्रिंकलर से भी ज्यादा पानी की बचत करनी है, और भी कम पानी है तो ड्रिप इर्रिगेशन सिस्टम लागू हुआ। आपके कई माडल फार्म हैं, माडल नर्सरी हैं, किसी ने तकलीफ की है क्या जाकर देखने की? ओलिव फार्म का प्रोजेक्ट बी जे पी ने शुरू किया, बी जे पी की सरकार ने शुरू किया लेकिन कभी जाकर देखा है क्या? और बी जे पी ने शुरू किया, इसलिए आपको दर्द होना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से दर्द से आप कराहते रहें, आने वाले टाइम में आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा।

आज अनूपगढ़ में मैं बरोड़ फार्म में जाकर आया हूं, कुन्नर साहब, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आप तो उधर जाते रहते हैं, एक बार जाकर देखें, ओलिव पहली ही फ्रूटिंग में 20 किलो प्रति प्लांट के हिसाब से मिल रहा है। ओलिव किसान के लिये एक इतना अच्छा साबित हो सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं। दो-तीन साल में इसका पूरा रिजल्ट सामने आ जायेगा। लाभ करने वाली चीज है तो निश्चित तौर पर उसमें आगे बढ़ना चाहिये।

डिग्गियों के निर्माण में, अब मंत्रीजी तो लाडनूं के हैं, लाडनूं में आजादी से पहले की कितनी डिग्गियां सीमेंट की बनी हुई हैं? एक भी नहीं होगी लेकिन सौ-सौ साल पुराने टांके मैंने स्वयं ने देखे हुए हैं। जैसलमेर में चले जाये यहां पर, पहले कैलाश नाथ उज्ज्वल एक रिटायर्ड पुराने अधिकारी हैं, उदला में जितना बड़ा टांका है, राजस्थान में उतना बड़ा टांका नहीं है, वह चूने का है। चूना और मूडिया काकर से तो आपको कोई कमीशन मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा तो वहां पर नुकसान किसको होगा? उसमें कोई क्रेक्स नहीं आते, उसमें सीपेज लासेज भी नहीं हैं। सीमेंट तो है कैल्शियम सिलिका ट्राइ-आक्साइड और चूना सुर्खी के साथ मिलाते हैं, वह कैल्शियम सिलिका मोनो-आक्साइड है जो सौ साल बाद में ट्राइ-आक्साइड बनेगा। उसकी उम्र कितनी है, किसान को लाभ कितना मिलेगा, इसका आप एग्जाम्पल के तौर पर कहीं प्रैक्टिस करके देख लें, आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास इतने बड़े फार्म पडे हैं लेकिन आपने कहीं कोशिश नहीं की।

डिग्गी निर्माण में, कम्युनिटी डिग्गी हैं, पहले पैमाइश छोटी थी, आजकल 165 बाई 165 बाई 12 फीट। साढ़े सात लाख में आप घर में बनवा

(श्री नरपत सिंह राजवी)

लोगे क्या? अगर बनवा लो तो साढ़े सात लाख का चैक मैं देता हूं आपको। आज ईंटें जिस कास्ट में आती हैं 3,200 रुपये मिनिमम, ट्रांसपोर्टेशन अलग; एस टी पी शीट इसके नीचे लगानी है और वह भी 250 से 500 माइक्रोन की, साढ़े सात सौ में वह पूरी नहीं हो सकती। केन्द्र सरकार से आपको मिलता है दस लाख रुपये प्रति डिग्गी, आपने साढ़े सात का कर दिया; बहुत अच्छी बात है। किसानों के हित की बात अगर करेंगे, असत्य पीठ अगर आप थपथपायेंगे तो ऐसे तो आपकी हां में हां कोई भरने वाला नहीं है, सदन में आपको जवाब देना होगा।

सभापति महोदय, ट्रैक्टर के बारे में कहना चाहूंगा; मंत्री महोदय शायद अभी आपके पास सूची नहीं आई होगी, न ही आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास आई है, ट्रैक्टर ट्राली को इंश्योरेंस परपज से कामर्शियल कैटेगिरी में डाल दिया है। वैसे ही 10 परसेंट ज्यादा पर लोन से जो ट्रैक्टर लेता है, वह कोई इंश्योरेंस नहीं करवाता; कराना चाहिये लेकिन कामर्शियल में डालने के बाद में अगर कोई एक भी आदमी या आप स्वयं भी इंश्योरेंस करा लें तो मुझे बता देना। आपको हस्तक्षेप करना चाहिये, मुख्य मंत्रीजी को हस्तक्षेप करना चाहिये कि यह कामर्शियल एक्टिविटी नहीं है, यह एग्रीकल्चर एक्टिविटी है और एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जो वास्तव में काम आ रहा है ट्रैक्टर उसका इंश्योरेंस कामर्शियल एक्टिविटी मानकर नहीं करना चाहिये।

मैंने तत्कालीन मुख्य मंत्री, वसुंधरा जी को एक पत्र लिखा था कि अगर आपको एवरेज हाउसहोल्ड इनकम बढ़ानी है तो राजस्थान जैसी जगह जहां पर पानी कम है, डेयरी यूनिवर्सिटी और वेटेरिनरी यूनिवर्सिटी हमारे को अलग से बनानी पड़ेगी। वह क्रम आरम्भ किया, रिपोर्ट मंगवाई; अशोक गहलोत साहब ने वेटेरिनरी यूनिवर्सिटी की घोषणा की, वह कार्य आरम्भ हुआ, बीकानेर में खुली। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है लेकिन साथ में इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि यहां की प्रजाति को और ज्यादा दुग्ध उत्पादक बनाने के लिये रिसर्च का एक प्रोजेक्ट इनको दिया जाना चाहिये ताकि पशुपालक की आमदनी बढ़े।

ग्लोबल वार्मिंग की बात तो बेमानी नहीं है, सबको पता है और जो सीजन का चेंज हम देख रहे हैं, इंग्लैण्ड में तो गेहूं अब कटेगा और वह बर्फ के नीचे दबने के बाद ही सीड अंकुरित होता है लेकिन वहां के जींस अलग हैं।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

हमको यहां अलग हमारे दूसरे बीज तैयार करने पड़ेंगे। अभी आपने एक भी प्रोजेक्ट हाथ में लिया है क्या? आंवले मैंने स्वयं के अपने खेत में भी लगाये थे, उसमें फ्रोस्ट मोर्टेलिटी 45 परसेंट तक होती है। यह आपकी स्वयं की रिपोर्ट कहती हैं। लेकिन हिमाचल में आंवला नहीं होता है क्या? एक साइंटिस्ट थे, मैंने भी उनसे डिस्कस किया। वहां से क्रास पोलिनेशन किया, उस क्रोस-पोलिनेशन के बाद में आज फ्रोस्ट रेसिस्टेंट आंवले की वैराइटी डवलप हो चुकी है। तो वैसे ही दूसरे सीड्स आप तैयार करवा सकते हैं। आज की बदली हुई मौसम की परिस्थिति जो आज से आने वाले 10-15 साल बाद में हम फेस करेंगे, उसके बारे में आज चिंता करेंगे तब जाकर पार पड़ेगी।

अभी नेशनल हार्टीकल्चर मिशन में सोलर पम्प दिये हैं, अच्छी संख्या में दिये हैं, गंगानगर को बहुत अच्छा लाभ मिला है लेकिन यह पूरे राजस्थान में क्यों नहीं? कहीं कोटा 10 का है, कहीं 15 का है। इसमें तो किसी का नुकसान नहीं है। आटो-ट्रैकिंग सिस्टम पहले तो इसमें लागू नहीं किया था। मैंने इसमें बार-बार हस्तक्षेप किया, आटो-ट्रैकिंग के बिना आदमी उसको शिफ्ट कैसे करता रहेगा? आज आटो-ट्रैकिंग के माध्यम से जैसे-जैसे सूर्य की दिशा बदलती है, वह ट्रैक बदलेगा और उससे कम से कम तीन घंटे औसत प्रति दिन अधिक ऊर्जा मिलती है, उससे बिजली का लाभ होता है। लेकिन तीन हार्स पावर तक की तो डिग्गियों में काम कर जायेगी, अगर छोटा-मोटा इसको और बढ़ा सकते हैं, पांच हार्स पावर तक अगर आप करेंगे तो ऐसे क्षेत्रों में जहां थोड़े पानी से खेती करनी है या होल्डिंग छोटी है तो उसने अगर पोली हाउस लगा लिया, ग्रीन हाउस कर लिया या नर्सरी लगा ली तो दो-चार हजार लीटर से वह अपना काम चला लेगा और किसान को लाभ भी अच्छा हो जायेगा और उसको खर्चा भी ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो कम से कम पांच हार्स पावर तक की तो आपको सिफारिश करनी चाहिये। यह नई बात नहीं है, पंजाब में दस हार्स पावर तक की लगा रहे हैं और खूब लोगों ने लगाई है। यहां पर यह प्रतिबंध लगाना, पता नहीं, कौनसी रिसर्च की है, कौनसा आइडिया निकाला है, समझ में नहीं आता।

अभी सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे फसल बीमा के बारे में, फसल बीमा वाला क्रम तो बंद हो गया लेकिन मौसम आधारित बीमा तो चालू है। माननीय पार्लियामेंटरी अफेयर्स मंत्री महोदय, आपसे पूछना चाहूंगा, अरंडी की फसल अगर 10 महीने लेती है तो उसको 6 महीने में

(श्री नरपत सिंह राजवी)

किसान काट देगा क्या? आज उनको वहां सिर्फ इसलिए इंश्योरेंस के कवर का लाभ नहीं मिल रहा कि दस महीने हो गये, हमने तो खरीफ में इंश्योरेंस किया था अब तो रबी की फसल आ गई। यह बैंक कह रही हैं और इंश्योरेंस कम्पनीज कह रही हैं। अगर उस आधार पर ही मौसम आधारित यह जबरन वसूली करनी है तब तो मुझे कुछ कहना नहीं है, वरना राज्य सरकार का जो अंशदान जाता है तो कम से कम साल में एक-दो बैठक करके उनसे इस बारे में चर्चा की जानी चाहिये कि क्राप का इंश्योरेंस किया है, पीरियड का इंश्योरेंस नहीं है। गुजरात में कौनसा क्राप इंश्योरेंस नहीं हो रहा है? मौसम आधारित वहां पर भी है लेकिन गुजरात में तो मिल रहा है, अन्य जिलों में भी मिल रहा है? बाड़मेर और जालौर में नहीं मिल रहा। वहां पर किसानों ने आंदोलन किया, एम एल ए साहब ने भी उसमें काफी कुछ योगदान दिया। इस पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस पर काम करे।

पोस्ट-हार्वेस्ट टेक्निक में थ्रेशर को सब्सिडी मिले, स्टोरेज और स्टोरेज के बाद में मार्केटिंग, यह सारी व्यवस्था पूरी करेंगे तब जाकर किसान को सही मूल्य मिलेगा; आधी-अधूरी बात करने से कोई लाभ नहीं होने वाला।

सभापति महोदय, एक्सटेंशन सर्विसेज, जहां-जहां पांव पड़े सन्तन के, हो गया बंटाधार; आपने जब से यहां काम सम्भाला है, राजस्थान में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज तो नगण्य हो गईं। 68 में जब हम लोगों ने, गंगानगर में पहली बार घड़साना में पानी आया, 70-71 में ग्राम सेवक आता था, यह खेती इस तरह से होगी, इस तरह से आप कीजिए, बताता था किसानों को। लेकिन 80 के दशक के बाद में आजकल ग्राम सेवक, एक्सटेंशन सर्विस वाले कहीं नहीं आते। कहां चले गए? सारे रिटायर हो गए क्या? रिटायर नहीं हुए तो सारे लाडनूं में तो नहीं बस रहे? अधिकारियों को खेंचिए कि वे क्यों नहीं जाते। काहे को आप इसमें इन्टरवीन नहीं करते, मेरे समझ में नहीं आता।

कृपया आप इन सब बातों पर जो कुछ सुझाव मैंने दिये हैं, ठीक लगें तो इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: श्री शंकरलाल अहारी। श्री शंकर लाल अहारी।

श्री संतोष सहारण।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय...

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): मैं आ गया हूं।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): मैं बैठ जाऊं या ये बाद में बोलेंगे?

श्री सभापति: कोई बात नहीं, बाद मैं आपका नाम पुकारूंगा। श्री संतोष सहारण।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37-कृषि और मांग संख्या 39-पशुपालन पर बोलने के लिए आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय, हमारा प्रान्त, हमारा जिला गंगानगर कृषि आधारित जिला है और किसान विषम परिस्थितियों में खेती का कार्य करता है और अपनी पैदावार करके अपना पेट भरता है, अपने जिले, प्रान्त का, देश का पेट भरता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में किसान की बहबूदी के लिए, इलाके की बहबूदी के लिए व्यवस्थाएं की हैं। खरीफ की बुआई के लिए डी ए पी की व्यवस्था के लिए 2 लाख 50 हजार मैट्रिक टन डी ए पी, 2 लाख मैट्रिक टन एस एस पी, 50 हजार मैट्रिक टन काम्प्लेक्स उर्वरक एवं 1 लाख मैट्रिक टन यूरिया की राजफैड के माध्यम से स्टोरेज की व्यवस्था की है।

कृषि के उत्थान के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एग्रीकल्चर कालेजेज की स्थापना करने की घोषणा की है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से और माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है, गंगानगर में एक एग्रीकल्चर कालेज की स्थापना कराने की इस बजट में व्यवस्था करावें।

कृषि को बढ़ावा देने के लिए, पानी की कमी को देखते हुए बूंद-बूंद सिंचाई की व्यवस्था के लिए 140 करोड़ रुपये तथा फर्टिगेशन आधारित ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहन देने हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। सौर ऊर्जा के लिए राज्य में 2 हजार 200 सौर ऊर्जा आधारित पम्पसेट स्थापित करने की घोषणा की ,प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने के लिए भी दो करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि को और किसान को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और माननीय कृषि मंत्रीजी का आभारी हूं, फिर भी मैं अपने इलाके के लिए, कृषि के विकास के लिए कुछ अपने सुझाव देना चाहता हूं। जिले में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध सिंचाई जल के आदर्श वितरण एवं अधिकतम सदुपयोग के लिए यह अत्यन्त

(श्री संतोष कुमार सहारण)

आवश्यक है कि कृषकों के खेत में नियोजित एवं नियंत्रित सिंचाई प्रणाली अपनाकर, जल बचत करके इससे लगभग 30 प्रतिशत अतिरिक्त क्षेत्र की सफलतापूर्वक सिंचाई हो सकती है। डिग्गी निर्माण पर श्रम और मैटेरियल नई बी एस आर के आधार पर सरकार ने 2 लाख की बजाए 3 लाख का अनुदान किया है, इसके लिए इलाके का, राजस्थान का किसान माननीय मुख्य मंत्रीजी का और कृषि मंत्रीजी का आभारी है। सामूहिक पोण्ड के लिए भी राजवी साहब ने भी फरमाया, 10 हजार रुपये का अनुदान था; निर्माण सामग्री बहुत मंहगी है, लेबर बहुत मंहगी हो गई है, मेरा एक सुझाव है कि किसान को सामूहिक पोण्ड बनाने के लिए उसकी सब्सिडी वापस 10 लाख रुपये करने का मैं सुझाव रखता हूं, मैं निवेदन करता हूं। बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति द्वारा फसल को प्रतिदिन पानी एवं पोषक तत्वों की पूर्ति कर फसल के उत्पादन में क्रमश: 25 एवं 25, कुल 50 प्रतिशत वृद्धि सम्भव है। इस पद्धति को प्रभावी ढंग से लागू करवाने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष निम्नानुसार वित्तीय प्रावधान कराने की व्यवस्था करावें। इसमें कुछ सुझाव हैं- प्रत्येक सिंचाई डिग्गी पर सोलर संयंत्र अनुदान स्वीकृत करावें; शत-प्रतिशत घुलनशील उर्वरकों पर 50 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत करावें व इनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करावें; ड्रिप द्वारा फर्टिगेशन की समग्र सिफारिशें निर्धारित की जाएं।

क्षेत्र में खजूर की खेती की व्यापक समस्याओं के दृष्टिगत खजूर की खेती के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार द्वारा पौधों की लागत का 90 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जाता है। वर्तमान में पौधों की कृषक हिस्सा राशि 36,500 रुपये प्रति हैक्टेयर है, कृषि के हित को ध्यान में रखते हुए मेरा सुझाव है कि इस अनुदान राशि को बढ़ाकर कृषक हिस्सा राशि 10 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर रखा जावे ताकि खजूर की पैदावार को किसान ले सके।

इसके साथ-साथ पौधों की जल मांग के दृष्टिगत दो समानान्तर लाइन आधारित ड्रिप संयंत्र पर अनुदान स्वीकृत करावें; बागों की सुरक्षा हेतु फेंसिग पर 75 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत करावें; पोस्ट-हार्वेस्ट तकनीक के प्रोत्साहन के बारे में श्रीगंगानगर में एग्रो फूड पार्क स्थापित करवाने की व्यवस्था करावें ताकि कृषकों को कृषि उत्पाद के अच्छे भाव मिल सकें व रोजगार के नवीन अवसर सृजित हो सकें, किन्नू प्रोसेसिंग यूनिट, होशियारपुर, पंजाब में स्थित है, उसकी तर्ज पर गंगानगर में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाए; कृषि यंत्रीकरण के प्रोत्साहन हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत

(श्री संतोष कुमार सहारण)

लेजर गाइडेड लैण्ड लेवलर रोटावेटर, सीड-कम फर्टिलाइजर ड्रिल, आदि आधुनिक कृषि यंत्र स्थानीय क्रय-विक्रय सहकारी समितियों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों को अनुदान पर उपलब्ध कराकर कृषि यंत्र बैंक स्थापित करवाये जाएं ताकि क्षेत्र के सभी श्रेणी के किसानों को सस्ती दर पर, किराये पर यंत्र उपलब्ध हो सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे जिले में सुपर फास्फेट के निर्माण हेतु घड़साना या सूरतगढ़ के टिब्बा क्षेत्र में सरकारी भूमि उपलब्ध करवाकर एक संयंत्र स्थापित किया जाए; उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में सिंगल सुपर फास्फेट के निर्माण हेतु आवश्यक कच्चा पदार्थ, जिप्सम एवं गंधक का तेजाब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है; जिससे स्थानीय स्तर पर फास्फोरस-युक्त उर्वरक की मांग के अनुरूप आपूर्ति हो सके एवं रोजगार के नवीन अवसर भी सृजित हों। राज्य में जिप्सम की पर्याप्त उपलब्धता होने के बावजूद भी कृषि ग्रेड जिप्सम की आपूर्ति एक मात्र आर.एस.एस.एम. लिमिटेड द्वारा पूर्ति न किये जाने के कारण मेरा सुझाव है कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में अतिरिक्त इकाइयां स्थापित कराई जाएं ताकि समयबद्ध कृषि ग्रेड जिप्सम की आपूर्ति निश्चित हो सके।

हरियाणा एवं पंजाब राज्यों की तरह पौध संरक्षण व रसायन संरक्षण, व रसायन से वैट हटाया जाए। श्रीगंगानगर क्षेत्र किन्नू उत्पादन में अग्रणी है अतः कृषक हित को मध्यनजर रखते हुए कृषि उपज मण्डी समिति श्रीगंगानगर को किन्नू मण्डी घोषित किया जाए। जोजोबा पर कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिये अनुदान राशि बढ़ाई जाए। बागों को सर्दी एवं गर्म लू से बचाने के लिये विण्ड-ब्रेकर के रूप में निःशुल्क पेड़ यथा जामुन, पापलर, अरडू, आदि उपलब्ध करवाए जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब से नरेगा हमारे हिन्दुस्तान में शुरू हुआ है, कृषि के लिये मजदूर मिलना असम्भव हो गया है। मजदूर की बहुत भारी प्राब्लम है। मजदूर को मजदूरी मिलती है लेकिन कृषि के लिये मजदूर अवेलेबल नहीं हैं। मेरा सुझाव है, पहले भी मैंने अर्ज किया था कि कृषि को नरेगा से जोड़ा जाए; आधा पैसा किसान दे, आधा पैसा सरकार उसका देवे तो खेती के अन्दर मजदूर मिलेगा, खेत के अन्दर उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो मेरा निवेदन है कि इसको, चाहे स्टेट लेवल का

(श्री संतोष कुमार सहारण)

मामला हो, कैसे भी इसको किया जाए, या नेशनल लेवल पर, जैसे भी हो, इसको किया जाए, नरेगा को कृषि से जोड़ा जाए।

मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां सिंचाई के तीन साधन, तीन सिस्टम काम करते हैं, तीन सिस्टम में, गंग कैनाल, भाखड़ा और आई.जी.एन.पी. हैं। पानी के बिना हमारे यहां खेती सम्भव नहीं है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि गंग कैनाल को पक्का करने के लिये एक सिस्टम बनाया गया था जिसको लिंक चैनल कहा गया है, गंग कैनाल बनने के बाद में वह लिंक चैनल बंद हो गया। जब लिंक चैनल बना तो उसके साथ-साथ सैकड़ों, हजारों ट्यूबवैल्स लगें। उसमें जब पानी प्रवाहित हुआ, वे ट्यूबवैल्स मीठे पानी के खूब चले। उसमें किसानों की बहुत अच्छी खेती हुई। लगातार खेती होती रही लेकिन उसके बाद में जब लिंक चैनल बंद हो गया तो उन ट्यूबवैल्स का पानी खारा हो गया। आज स्थिति यह बनी हुई है कि वह लिंक चैनल भी खाली पड़ा हुआ है और ट्यूबवैल्स भी खारे हो गये हैं। तो मेरा इसमें सुझाव है कि उस लिंक चैनल के रखरखाव के लिये कोई दो-चार करोड़ रुपये या दो सब-डिविजन बनाने हों, बनाकर के उसके अन्दर पानी प्रवाहित किया जाए, उसके अन्दर पानी हेल्ड-अप किया जाए, रोका जाए। उसमें फिशरीज भी डवलप हो सकती है, ट्यूबवैल्स भी रिचार्ज होंगे; ट्यूबवैल्स रिचार्ज होंगे तो किसानों की पैदावार बढ़ेगी।

मेरा इसमें एक सुझाव है, मेरा एक निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, आज 'राजस्थान पत्रिका' के अन्दर एक समाचार प्रकाशित हुआ है, कार्बाइड-फ्री आम। गुजरात सरकार फल व्यवसाइयों को अनुदान देगी, इथाइल गैस आधारित भण्डारण कक्ष व आम परिवहन के लिये अवशीतन सुविधा वाला वाहन उपलब्ध कराने हेतु गुजरात सरकार सब्सिडी देगी। तो मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान के अन्दर इस प्रकार भी जो यूनिट्स हैं, इस प्रकार की जो सब्सिडी है, वह हमारे व्यवसाइयों को हमारी राजस्थान सरकार भी देवे। इससे, बाहर से केला आता है, केला पकता है; केला पकाने का जो सिस्टम है, गलत दवाइयों से बनता है, गलत प्रकार की गैसेज से वह पकता है। आम भी उसी प्रकार से। इसमें लिखा हुआ है कि इससे कैंसर होने के आसार रहते हैं। तो राजस्थान सरकार भी उसमें सब्सिडी देवे, इस प्रकार की यूनिट्स को।

सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत अधिकतम 5 हैक्टेयर से बढ़ाकर कृषक की लैण्ड सीलिंग सीमा तक किया जाना चाहिए ताकि कृषक पूरे खेत को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति पर आधारित कर सके।

(श्री संतोष कुमार सहारण)

फसल कटाई उपरान्त प्रबन्धन एवं विपणन व्यवस्था की आवश्यकता है। क्षेत्र में फलों का उत्पादन एवं क्षेत्र बढ़ाने के लिये पड़ोसी राज्य पंजाब के अबोहर में स्थापित बहु-उद्देशीय ज्यूस फैक्टरी की तर्ज पर राजस्थान सरकार के सहयोग से बहु-उद्देशीय ज्यूस फैक्टरी की स्थापना की जानी चाहिए ताकि नींबू वर्गीय फलों, गाजर, टमाटर व अन्य सब्जियों के ज्यूस तैयार कर उनका विपणन किया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से थोड़ा-सा निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति: थोड़ा आप संक्षिप्त करें, बस दो मिनट।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): पशुपालन, बस पशुपालन पर थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा। बहुत बड़ी बात हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में दी, काबिले तारीफ है, पशुधन...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): वाह, क्या कहने।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): बिलकुल, बिलकुल। भाई साहब, मैं आपकी सेहत की बात कर रहा हूं।

पशुपालन किसान का एक बराबर की पैदावार देने वाला धन है और उसकी आजीविका का साधन है। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि आज के दूषित वातावरण में जिस प्रकार मनुष्य बीमार होता है, उसी प्रकार पशु बीमार होते हैं। चाहे उनका चारा हम उसमें यूरिक एसिड डालते हैं, स्प्रे करते हैं तो उनका असर उसके शरीर पर पड़ता है और वह दूषित खाने-पीने से बीमार होते हैं। उनका दूषित दूध हम लोग पीते हैं। तो इस प्रकार, इन्होंने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने निःशुल्क दवा की जो व्यवस्था की है, यह काबिले तारीफ है, मैं उनकी तारीफ करता हूं। आप कह रहे हैं तो आपकी सेहत के लिये, इसलिये जब पशु स्वस्थ रहेगा तो सबको दूध भी साफ मिलेगा, अच्छा मिलेगा।

जो उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनको बढ़ाने का, 400 उप-स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, नवीन पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने की व्यवस्था बजट में की गयी है और 200 पशु चिकित्सा उप-केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में तब्दील करने की बात कही गयी है। मैं धन्यवाद देता हूं इनको और मैं यह निवेदन करता हूं कि जो उप-स्वास्थ्य केन्द्र खुले हैं, जो हास्पिटल्स बने हैं उप-स्वास्थ्य केन्द्रों से, उनके अन्दर माननीय कृषि मंत्रीजी से, पशुपालन मंत्रीजी

(श्री संतोष कुमार सहारण)

से मैं निवेदन करूंगा कि उनको सुचारु रूप से चलाने के लिये, उनकी बिल्डिंग्स के लिये, उनके अन्दर स्टाफ की व्यवस्था, उनकी दवाइयों की व्यवस्था आप फरमाएं।

मैं थोड़ा सा पोल्ट्री के अन्दर, एक बात छोटी सा निवेदन, नई बात करना चाहूंगा, नई नहीं है। पोल्ट्री जिस प्रकार से डवलप की जाती है, पोल्ट्री का जैसे काम चलता है, एमू एक आस्ट्रेलियन बर्ड है जिसका हमारे देश के अन्दर अभी प्रचलन शुरू हुआ है। निश्चित तौर पर यह पोल्ट्री है, पोल्ट्री का बर्ड है, बहुत ही रफ एण्ड टफ जानवर है लेकिन अभी इसकी फिलहाल पूरी फार्मिंग का काम चल रहा है। चार-पांच किलो एमू आयल इसके अन्दर निकलता है; लैदर एण्ड फैदर इसके काम आते; नाखून से लेकर के चोंच तक इसके काम आते हैं; मटन इसका कोलेस्ट्राल-फ्री, काफी हद तक कोलेस्ट्राल-फ्री है। तो मेरा निवेदन माननीय पशुपालन मंत्रीजी से है कि इस एमू की पोल्ट्री की बढ़ोतरी के लिये, इसकी तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिये कोई ट्रेनिंग, इसकी मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए, इस बारे में जानकारी देने के लिये कैम्प्स लगाये जाएं।

मैं इसके साथ-साथ पुनः इन सब चीजों को कहते हुए...

एक माननीय सदस्य: एमू का अण्डा।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): अण्डा खाने के लायक नहीं है। पन्द्रह सौ रुपये का एक अण्डा है, यह सिर्फ फार्मिंग के काम आता है। मैं आपसे निवेदन करूं, इत्तफाक से आपने फरमाया, मैंने भी तीस करीब जोड़े लाकर रखे हुए हैं लेकिन अभी उस पर फार्मिंग का काम है और फार्मिंग के लिए, इसके फर्दर एक्सपांशन के लिए, फर्दर आगे बढ़ाने के लिए इसकी ट्रेनिंग और इसकी मार्केटिंग की व्यवस्था सरकार की तरफ से, जानकारियां बढ़ाई जाएं, लोगों को प्रोत्साहित किया जाए तो एक अच्छा पैदावार, किसान के लिए पैदा होने का साधन बन सकता है।

आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती संजना आगरी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): एक-आध एमू मर जाए तो वह कृषि मंत्रीजी के यहां पर ले जाकर पटक देना, वे अपने आप समझ लेंगे और समझा भी देंगे। वैसे तो इन्होंने तो फोटो में भी नहीं देखा है। (व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37-कृषि और मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस मेहंदी नगरी से आती हूं, उस मेहंदी नगरी की पहचान देश-प्रदेश में ही नहीं, विदेश में भी है। उस सोजत की भूमि की विशेषता आज से ही नहीं, सैकड़ों वर्षों से यह रही है कि यहां की मिट्टी व कृषि भूमि कम बरसात, जल स्रोतों की कमी के होते हुए भी पूर्वजों के समय से मेहंदी की फसल से अपना व अपने परिवार तथा इस क्षेत्र का जीविकोपार्जन का मुख्य आधार मेहंदी की खेती ही चला आया है। मेहंदी का उपयोग वैदिक काल से ही सुहाग के प्रतीक के रूप में, कहीं शादी-ब्याह, तीज-त्योहारों, यहां तक कि जन्म से लगाकर मृत्यु तक मेहंदी को काम में लिया जाता है।

प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में इसे जड़ी-बूटी और औषधि के रूप में भी इसका उपयोग लिया जाता रहा है। जब इस क्षेत्र में बिजली भी उपलब्ध नहीं थी, तब भी सोजत की मेहंदी ने अपनी साख व प्रतिष्ठा सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में एक अच्छी मेहंदी के रूप में बना रखी थी। आज भी सोजत की मेहंदी का नाम देश-विदेशों तक में है तथा सोजत की मेहंदी के नाम से विदेशी मुद्रा का अर्जन भी किया जा रहा है।

सोजत तहसील में लगभग 90 हजार हैक्टेयर कृषि भूमि है जिसमें से 23,144 हैक्टेयर कृषि भूमि में मेहंदी की फसल का उत्पादन होता है। सोजत तहसील के चिपटे हुए जितने भी क्षेत्र आते हैं जैसे मारवाड़ जंक्शन, यहां तक और मेड़ता तक भी मेहंदी की फसल होने लगी है। काश्तकार सोजत की मेहंदी की प्रतिष्ठा व साख को कायम रखने के लिए अपने खून-पसीने से दिन-रात सिंचित करते आये हैं। मेहंदी की फसल से कृषि मंडी को प्रति वर्ष तीन-चार करोड़ रुपये की आय हो रही है। मेहंदी की फसल की देख-रेख, उसके निदान, अबेराई के लिए काश्तकारों को अत्यधिक मजदूरी का भुगतान करना पड़ता है जिससे काश्तकारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है और सोजत की मेहंदी के जो भाव हैं, वे निरन्तर गिरते जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारी पूर्व मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजे सिंधिया जी को जिन्होंने अपने समय में पूरे प्रदेश के अन्दर 20 स्पेशलिस्ट मार्केट घोषित किये थे, जिनमें सोजत में

(श्रीमती संजना आगरी)

मेहंदी मंडी बनायी गयी थी। मैंने पूर्व में भी मेहंदी प्रोसेसिंग के लिए कोई मेकेनिकल प्रोसेस तैयार किया जाए, इसके लिए मैंने सदन में माननीय मंत्री महोदय को कई बार अवगत करवाया लेकिन आज दिन तक कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं मिला। मैं इस मांग के माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं कि मेहंदी की फसल की कटाई के समय मजदूरी, वेतन अधिक होने के कारण उचित कीमत नहीं मिल पाती है, कृषकों को अपनी लागत से भी कम रुपये मिलते हैं। इसके लिए बाजार हस्तक्षेप योजना, एम.आई.एस. योजना को लागू किया जाए ताकि जब भी भाव गिरते रहें उस समय काश्तकारों को भारी नुकसान नहीं उठाना पड़े। क्योंकि मेहंदी की फसल है वह पत्तेदार होती है और उसमें जब भी बादल हो जाते हैं, बरसात हो जाती है या मामूली से छींटे आ जाते हैं तो उस समय मेहंदी के भाव बिलकुल गिर जाते हैं, काश्तकारों की मेहंदी खराब हो जाती है। सोजत की मेहंदी, देश में अपनी अलग पहचान रखने वाली मेहंदी, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए प्रसंस्करण इकाइयां लगाने के लिए सरकार अनुदान दिलाये जिससे मूल्य संवर्द्धन के साथ ही मजदूरों को रोजगार भी मिल सकेगा। इसके साथ ही किसानों को मेहंदी की कीमत भी मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में हाल ही में शीतलहर और पाले से काश्तकारों को जो रबी की फसलों का नुकसान हुआ है, उसके बारे में सरकार ने प्रदेश भर में मात्र चार जिलों को अभावग्रस्त जिलों में माना है। यह हमारे प्रदेश के काश्तकारों का दुर्भाग्य है, जबकि फसल खराबा 25 फीसदी से भी ज्यादा है। यह कृषि विभाग ने भी माना है। ज्यादातर जिलों में किसानों को काफी नुकसान हुआ है। 50 से 60 फीसदी फसल का खराबा, आपके यह जो किसान विभाग वाले हैं, कृषि विभाग वाले, इन्होंने भी तय किया है। माननीय सभापति महोदय, पाली जिले के किसानों को पाले और शीतलहर से काफी नुकसान हुआ है। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र सोजत से आती हूं वहां के काश्तकारों की गेहूं, सरसों, जीरा, तारामीरा और रायड़ा की, क्योंकि उनकी फसलें पूर्णतया नष्ट हो चुकी हैं, मैं निवेदन करती हूं कि जो गिरदावरी आपने हफ़्तेभर के अन्दर करवायी थी, उस गिरदावरी को पुनः करवाया जाए ताकि जो भी किसान हैं, जिन किसानों को जो क्षति हुई है फसलों की, सरकार उन्हें भी मुआवजा दे। इस मांग के तहत मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं कि शीतलहर और पाले से जिन फसलों का खराबा हुआ है, उसमें हमारे पाली जिले

(श्रीमती संजना आगरी)

को भी अभावग्रस्त जिले के अन्दर लिया जाए ताकि हमारे जिले के किसानों को भी इसका लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं पशुपालन के बारे में आपको अवगत कराना चाहती हूं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं पूर्व मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजे सिंधिया जी को जिन्होंने पूरे राजस्थान के अन्दर सभी गौ-शालाओं में गौ-वंश की रक्षा का चिंतन करते हुए उन्होंने, चाहे छोटी गाय हो, चाहे बड़ी गाय हो, उनको अलग-अलग से अनुदान दिया जाता था लेकिन आज इस सरकार ने सभी गौ-शालाओं का अनुदान, जिस गौ-शाला में दो सौ से लगाकर चार सौ गायें वहां पर रहती हैं, चाहे वह बीमार हो, चाहे वह अंधी हो, चाहे वह लंगड़ी हो, उन गायों को खाने-पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता है। जो अनुदान हमारे समय में मिलता था, वह अनुदान भी इस सरकार ने बंद कर दिया है। मैं निवेदन करना चाहती हूं सरकार से कि उक्त गौ-शालाएं, जो गायें गौ-शालाओं के अन्दर रहती हैं, जिनके ट्रस्टी मात्र चार-पांच या आठ-दस लोग होते हैं, तो उन चार सौ गायों का पालन वे ट्रस्ट वाले कैसे करेंगे? और जो भामाशाह होते हैं, वे भी अकाल की परिस्थिति होती है या कोई विशेष परिस्थिति के अन्दर ही गौ-शालाओं में अनुदान की राशि देते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि उक्त मूक प्राणियों के लिए, जो गौ-शालाओं के अन्दर, ट्रस्ट के अन्दर जो गायें रहती हैं, उन गायों का भरण-पोषण, मात्र ट्रस्ट वाले तीन-चार या आठ-दस आदमी उनको नहीं चला सकते हैं और न ही उनको आप और हम ही चला सकते हैं क्योंकि वहां पर गायों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि उक्त गौ-शालाओं में जो गायें रहती हैं, उनके लिए आप अनुदान शुरू करवायें और इसके साथ ही उक्त गौ-शालाओं में जो बीमार गायें हैं, उनके लिए चिकित्सा व पेयजल की सुविधा भी आप लोग मुहैया करवायें।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहती हूं, यद्यपि आज पूरे राजस्थान के अन्दर मनुष्य पेयजल के लिए मर रहा है लेकिन फिर भी मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि मई-जून की गर्मी को देखते हुए आप इस पशु-धन के लिए भी पेयजल की अलग से व्यवस्था करायें क्योंकि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं, राजोला ग्राम पंचायत जो विश्नोइयों का गांव है हमारा, उस ग्राम पंचायत में दो हजार से ढाई हजार हिरन निवास करते हैं, मोर निवास करते हैं, उनके लिए पेयजल की आप व्यवस्था करायें, नहीं तो ये जातियां धीरे-धीरे विलुप्त हो जाएंगी।

(श्रीमती संजना आगरी)

माननीय सभापति महोदय, सोजत विधान सभा क्षेत्र में मैं पशु चिकित्सालय के बारे में आपको अवगत कराना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितने भी पशु चिकित्सालय हैं, वहां पर चिकित्सकों की कमी है। इसके साथ ही उन चिकित्सालयों में पशुधन की सुरक्षा के लिए जो रेबीज के टीके उपलब्ध करवाये जाते हैं, अभी हाल ही में मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन-चार ऊंटों की मौत हो गई थी और उन चिकित्सालयों के अन्दर रेबीज के टीके तक उपलब्ध नहीं हैं। तो फिर आप एक तरफ तो किसान हितैषी सरकार होने की बात करते हैं, पूरे प्रदेश का किसान, पूरे प्रदेश का पशु-धन है, वह पूरा रो रहा है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि आप इस पशुधन के बारे में थोड़ा चिंतन करें और इस पशुधन के लिए भी पेयजल और चिकित्सा की सुविधा मुहैया करवायें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी, वर्ष 2009, 2011 के अन्दर सरकार द्वारा खरीफ की फसलों का बीमा किया गया था लेकिन सरकार के द्वारा जो सहायता राशि दी गई, उसमें मात्र मूंग की फसलों का ही बिगाड़ा बताया गया और उसी का ही उन्होंने क्लेम दिया। तो मोठ, चावल, तिल, ग्वार, आदि क्या खरीफ की फसलों में नहीं आते हैं? सरकार अगर चाहती है, सभी फसलों का अगर बीमा होता है? और कैसा भी, मौसम आधारित भी अगर आप बीमा देते हैं तो मैं मानती हूं कि आपके मात्र एक फसल का नुकसान कभी नहीं होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे यहां क्षेत्र के अन्दर जो समितियां बनी हुई हैं, चाड़वा, चौपड़ा, राजोराकलां, शिवपुरा, इनके अन्दर काश्तकारों की, माननीय सभापति महोदय, एक मिनट, उनमें काश्तकारों की मूंग की फसल का जो बीमा किया है, उसके बारे में बताना चाहूंगी कि 381 काश्तकारों का 226.04 हैक्टेयर भूमि, जिनकी बीमित राशि 15 लाख 82 हजार 280 रुपये थी और उन काश्तकारों से 50,557 रुपये वसूले गये, जबकि सरकार ने उनको फसलों का जो क्लेम दिया, मात्र 381 काश्तकारों को 904 रुपये दिया। माननीय सभापति महोदय जी, यह जो आपने मुआवजा दिया है, वह प्रति हैक्टेयर के हिसाब से एक किसान को 3 या 4 रुपये मिलता है और प्रति बीघा के हिसाब से मात्र 50 पैसे और 60 पैसे काश्तकारों को मिलता है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं, सभापति महोदय जी, मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि आपने उक्त फसलों का बीमा किया है, क्या आप काश्तकारों को लाभ देना चाहते हैं या उन्हें और नुकसान पहुंचाना चाहते हैं?

(श्रीमती संजना आगरी)

जो आपने यह दिया है, आप मुझे यह बता दें कि जो आप क्लेम दे रहे हैं, उसके प्रोसेस के लिये, उसकी फोर्मेलिटी के लिये सरकार को कितना पैसा खर्च करना पड़ा? उसके बदले में किसानों को मात्र 50-50 पैसा मुआवजा दिया गया है, इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आज इस प्रदेश का पूरा किसान, पूरा पशुधन और पूरा मनुष्य त्राहि-त्राहि कर रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अब आप सम-अप करो।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): सब कुछ जीवन चिन्तन के अन्दर है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पशुधन के लिये भी आप पेयजल की व्यवस्था करावें और मेरे विधान सभा क्षेत्र की मेरी जो मूलभूत आवश्यकताएं बताईं, इन पर भी आप चिन्तन करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7.30 बजे तक बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: क्या सदन का समय 7.30 बजे तक बढ़ाया जाये? जोर से बोलो आप।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री शंकर लाल अहारी।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37-कृषि एवं मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा पर चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद में सुई जैसा भी कारखाना नहीं बना था। ऐसी परिस्थितियों में जो हमारे बड़े नेतागण थे, उन्होंने देश के विकास के लिये, तरक्की के लिये, उन्नति के

(श्री शंकर लाल अहारी)

लिये काफी मंथन किया और उस मंथन के बाद में अच्छी-अच्छी योजनाएं इस देश में हमारे नेतागण ने दीं। वह कांग्रेस का राज था और कांग्रेस के राज में जो विकास हुआ, वह आज भी हमको दिख रहा है। इसलिये हम स्वाभिमान के साथ में कह सकते हैं कि जो हमारे नेतागण थे, उन्होंने हमें राह बताई, विकास के पथ की ओर ले चलें। मैं कह सकता हूं कि हमारी सम्माननीय इंदिरा गांधी जी प्रधान मंत्री बनीं, उसके बाद में, पहले, मैं आपको याद दिलाता हूं, हम लोग अमेरिका से गेहूं लाकर खा रहे थे, गेहूं सप्लाई किया जाता था और गांवों में हमने वह गेहूं खाया; हमको वे दिन याद आते हैं; इसलिये हमारी प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी ने सख्त डिसिजन लिया कि हमारा देश किस तरह से तरक्की करे, किस तरह से प्रगति करे। उन्होंने यह देखा कि जब हमारे पास अन्न नहीं है तो हमारा किसान, यहां का किसान काम नहीं कर पा रहा है; पानी नहीं मिल रहा है तो ऐसी परिस्थिति में भाखड़ा और चम्बल नदियों पर बांध बनायें और किसानों को पानी दिया। उस पानी से यह धरती सोने जैसी हुई और यहां से सोना निकला। इससे हमारा किसान प्रबल बना, शक्तिवान बना और हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाया। मैं लम्बा नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे इशारा किया गया है कि कम बोलना।

मैं कृषि मंत्रीजी को और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि आपने कृषि की तरक्की के लिये, प्रगति के लिये सराहनीय कदम उठाये हैं, आपने अच्छी नीतियां बनाई हैं जिन नीतियों के कारण हमारा जो कृषक है आगे चलकर अपना विकास करेगा और ज्यादा से ज्यादा अन्न उगायेगा। आगामी वर्ष में आपने डिसिजन लिया है कि 2 लाख 50 हजार मीट्रिक टन डी ए पी की व्यवस्था की जायेगी। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय कृषि मंत्रीजी को कि आपने पिछले समय में खाद और बीज की उत्तम व्यवस्था की, माकूल व्यवस्था की। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हमको समय पर खाद मिला, समय पर बीज मिला और समय पर बरसात हुई और वह जो बीज था, वह धरती पर डाला और बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से खलिहान में आया और जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, आपने जो हमको अच्छा बीज दिया, उससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। गांवों में रहने वाला जो किसान है, उसके पास में ज्यादा जमीन तो नहीं है। अब किसी के पास में मात्र 10 बीघा है, किसी के पास में 20 बीघा है, अब तो कई तो 2-2 बीघा पर आ गये हैं। इसलिये आपकी यह जो योजना है, इस योजना की हम प्रशंसा करते हैं। 2 लाख

(श्री शंकर लाल अहारी)

मिट्रिक टन एस एस पी, 50 हजार मिट्रिक टन उर्वरक एवं एक लाख मीट्रिक टन यूरिया तथा राजफैड के माध्यम से अग्रिम भंडार करने की, आपने व्यवस्था करने की घोषणा की। यह सही है, किसान को समय पर बीज और खाद मिलेगा तो अन्न ज्यादा उगेगा। बिजली की जो व्यवस्था है, समय पर बिजली मिले, समय पर पानी मिले तो किसान और ज्यादा उन्नति कर पायेगा और अपनी आर्थिक माली हालत को सुधार पायेगा।

मैं इस शुभ अवसर पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा-डूंगरपुर जिले में मक्का की हाइब्रिड से उत्पादन को आपने बढ़ावा दिया और मैं आशा करता हूं, वे दोनों जिले शत-प्रतिशत आदिवासी जिले हैं, टी एस पी एरिये के जिले हैं, इसलिये ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकार को जो धन है, वह वहां लगना चाहिये, तब जाकर हम आदिवासी अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे।

कृषि पर्यवेक्षकों एवं सहायक कृषि अधिकारियों के कुल 750 पद हैं, नवीन पद सृजित किये जायेंगे। महिला कृषि शिक्षा को आपने बढ़ावा दिया। कृषि विषय में अध्ययन करने वाली जो छात्राएं हैं, आपने उनकी प्रोत्साहन राशि 3,000 से बढ़ाकर 5,000 की है। बी.एस.सी. एवं एम.एस.सी. की छात्राओं को आपने 5,000 से 10,000 तक की राशि बढ़ाई है और पीएच.डी. करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि 10,000 से 15,000 तक की है, इससे महिलाओं में और छात्राओं में जाग्रति आयेगी और वे निश्चित ही आगे बढ़ेंगी।

आपने अभी व्यवस्था की है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी जो योजनाएं हैं, वे आदिवासी क्षेत्र में सफल हुई हैं। आपने बूंद-बूंद की जो योजना दी, उससे पानी का काफी बचाव हुआ और हमारा जो लक्ष्य था, वह भी पूरा हुआ। फव्वारे की आपने पद्धति अपनाई और 90 प्रतिशत की उसमें छूट दी है। वैसे आप पहले से पाइपलाइन पर 90 प्रतिशत की छूट दे ही रहे थे परन्तु अभी आप फव्वारा पद्धति और बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति पर आप कम दे रहे थे, 90 प्रतिशत छूट दी आपने।

किसान क्रेडिट कार्ड बना और उस क्रेडिट कार्ड से किसान बैंक में गया तो उसको लोन मिला और उस लोन से रबी और खरीफ की फसल में काम हुआ। वैसे हमको पहले लोन सहकारिता के माध्यम से मिलता था 50 हजार, उसको आपने बढ़ाया एक लाख किया। अब एक लाख करने से किसान की

(श्री शंकर लाल अहारी)

माली हालत में सुधार आयेगा। मैं समझता हूं कि आने वाला जो समय है, हमारे लिये अच्छा आयेगा।

(19.00 बजे)

मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा और पशुपालन की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। हमारा सम्बन्ध सदियों से पशुओं से रहा है। जहां हमारा मकान होगा वहां पशु होंगे, जहां पशुओं के मकान की व्यवस्था है। सदियों से पशु के बगैर आदिवासी जी नहीं सकता, यह मैं आपको कह सकता हूं। आदिवासी ही मात्र एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कृषक है जो पशुओं की पूरी रक्षा करता है।

तो आज मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय मंत्रीजी को कि आपने बोलते हुए इन्सान को तो निःशुल्क दवा दी परन्तु अनबोले हुए पशु को आप निःशुल्क दवा दे रहे हो, आपका यह कदम सराहनीय कदम है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। अगर राजस्थान प्रदेश में बाकियों के लिए इस प्रकार की योजना बनेगी तो निश्चित ही प्रदेशवासियों की भूख मिटेगी। यह भूख मिटाने का आपने कार्यक्रम अपनाया है। आपने निःशुल्क दवाई का व्यय 60 करोड़ रुपया आगे के लिए रखा है।

400 स्थानों पर नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्र स्थापित किये जायेंगे; 200 पशु चिकित्सा उप-केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा और जोधपुर में पशुपालक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे थोड़ा-सा एक निवेदन करना चाहता हूं, उप-केन्द्रों को क्रमोन्नत कर पशु औषधालय खोले जावें। अब उप-केन्द्र को अगर क्रमोन्नत करते हैं, हम पशु औषधालय खोलें परन्तु उस स्थान पर आपने थोड़ा -सा उप-केन्द्रों को क्रमोन्नत करके चिकित्सालय को खोल दिया है, तो वह वी ए कहां जायेगा? वह वी ए एक ऐसा व्यक्ति है जो डाक्टर के बराबर काम करता है। अब वह वी ए पद डूंगरपुर में तो समाप्त हो रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, गरीब एरिया है, गरीब क्षेत्र है, वहां अगर पद समाप्त होते हैं तो हमारे सब के लिए दुखद है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि उस पद को आप समाप्त नहीं करें और विधिवत पशु चिकित्सालय के स्थान पर पशु औषधालय खोले जावें। जिले में 13 पशु चिकित्सालय सहायक वी ए के पद पर जो कार्यरत थे, वे समाप्त किये हैं, जिसे रोका जाना चाहिए।

(श्री शंकर लाल अहारी)

(19.02 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जिले में कुल 52 पशु चिकित्सालय हैं और उन 52 में वहां 12 ही पशु चिकित्सक कार्यरत हैं। तो वहां पद खाली हैं, उन पदों को भरा जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ, माननीय मंत्रीजी से पुनः निवेदन करूंगा कि यह आदिवासी क्षेत्र एक आपका है, वहां का जो कृषक है वह कमजोर नहीं होना चाहिए। आपके होते हुए, सरकार के होते हुए, कांग्रेस सरकार के होते हुए और कांग्रेस के जितने आप मंत्री हों, जो-जो आपके विभाग हैं, उन विभागों के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों को लाभ मिलना चाहिए।

तो मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मैं तो चाहता हूं आप और बोलें, पुराने आदमी हो।

माननीय श्री बंशीधर जी खण्डेला।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण में मांग संख्या 37 व 39 के ऊपर आपकी अनुमति से मैं मेरी राय व्यक्त कर रहा हूं।

आर्थिक समीक्षा 2011-12 की अपन बात करें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपन छोटी सी तुलना करें केवल दो वर्ष की, 2010 और 2011 में आर्थिक समीक्षा के लिए हमारे स्टेट को पिछले टाइम में एक करोड़ रुपये इनाम भी मिला अच्छे उत्पादन के लिए लेकिन यह मेरी समझ से बाहर है कि प्रदेश में हर फसल का उत्पादन घटता जा रहा है। मैं उसके आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2010-11 में खाद्यान्न में 235.61 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ और 2011-12 में 209.45 लाख मैट्रिक टन का; यानी 11.10 प्रतिशत की कमी आयी है। इसी प्रकार अपने मक्का और बाजरे के उत्पादन में देखें, 2010-11 में 89.27 मिट्रिक टन उत्पादन हुआ और 2011-12 के अन्दर 87.82 मिट्रिक टन का उत्पादन हुआ; इसमें भी 1.62 प्रतिशत की कमी आयी है।

अपन रबी की बात करते हैं, रबी के अन्दर 2010-11 के अन्दर

(श्री बंशीधर खण्डेला)

113.80 लाख मिट्रिक टन का उत्पादन हुआ और 2011-12 के अन्दर 94.31 लाख मिट्रिक टन का उत्पादन हुआ। यह बहुत ही बड़ा सोच का विषय है। अपन गेहूं के उत्पादन की बात करते हैं, 2010-11 के अन्दर 104.24 लाख मिट्रिक टन का उत्पादन हुआ और 2011-12 में 85.47 लाख मिट्रिक टन का उत्पादन हुआ; यानी 18.01 प्रतिशत कम उत्पादन हुआ। फिर भी हमारे प्रांत को अच्छे उत्पादन के लिए मिलता है।

दलहन की बात करते हैं, 2010-11 में 16.03 लाख मिट्रिक टन का उत्पादन हुआ और 2011-12 के अन्दर केवल 12 लाख मिट्रिक टन का उत्पादन हुआ; यानी 25.14 की कमी आयी है। तिलहन की बात करें, 2010-11 के अन्दर 66.05 मिट्रिक टन का उत्पादन हुआ और 2011-12 के अन्दर 62.48 लाख मिट्रिक टन का उत्पादन हुआ; यानी 5.40 प्रतिशत की कमी आयी है।

फिर भी अपन यह सोच रहे हैं कि कृषि में आगे बढ़ रहे हैं! मेरी समझ में तो हमारा प्रांत कृषि में बहुत पिछड़ रहा है। यह अपने आपको संवेदनशील सरकार बताने वाली, अपने आपको काश्तकार बताने वाले इस सदन के नेता इस बात पर बिलकुल ध्यान नहीं दे रहे हैं।

पैक हाउस, ए.पी.डी. के माध्यम से हमारी सरकार ने चौमूं, जयपुर, शाहपुरा और टोंक में पैक हाउसेज खोले थे, प्रत्येक पैक हाउस चार-चार करोड़ रुपये की लागत से बनाया था, यानी 16 करोड़ रुपये उस टाइम खर्च हुए थे लेकिन इस संवेदनशील सरकार ने अभी तक एक भी पैक हाउस को चालू नहीं किया। इनकी चालू करने की इच्छा ही नहीं है। अपने आपको कृषि के अन्दर आगे ये कहां लेकर जायेंगे?

हमारी सरकार ने हर जिला हैडक्वार्टर पर एक-एक कृषि भवन बनाया था लेकिन इस संवेदनशील सरकार ने कृषकों को सुविधा देने की जगह होटलों को किराये पर दे दिया! यह किसान के लिए बहुत ही घातक काम किया है।

हर फैक्टरी में उत्पादन करने वाले, आलपिन से लेकर हवाई जहाज तक का जो प्रोडक्शन है, उसकी कीमत स्वयं तय करते हैं, लेकिन किसान की जो उपज है उसकी कीमत बाजार में अनाज उछाल कर की जाती है। हमें लीक से हटकर भी खेती के अन्दर प्रोडक्शन करना चाहिए, यह नहीं कि गेहूं, जौ, चना, दाल कर लें।

हमारी सरकार ने जैतून की खेती के लिए इजराइल पद्धति से 210

(श्री बंशीधर खण्डेला)

हैक्टेयर जमीन के अन्दर पौधे लगाये थे, लेकिन तीन वर्ष में आज तक एक भी और पौधा नहीं लगा। आज वे 210 हैक्टेयर के अन्दर अच्छा उत्पादन देने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार ने पश्चिमी राजस्थान की तरफ पिंड खजूर के 25 हजार पेड़ लगाये थे लेकिन इस सरकार ने उधर बिलकुल ध्यान नहीं दिया, आज वहां एक भी पेड़ और नहीं लगा। यह जैतून और खजूर के पेड़ पिछले तीन साल पहले लगे, उसी स्पीड से आज होता तो जैतून में हमारा राजस्थान एक नम्बर पर होता पूरे इंडिया में। लेकिन सरकार ने उधर ध्यान नहीं दिया।

हमारी सरकार ने 20 विशिष्ट मंडियां खोली थीं लेकिन आगे नहीं बढ़ने के कारण आज वे यों के यों पड़ी हुई हैं।

अपन कृषि नीति के बारे में बात करें तो कृषि नीति के अन्दर कृषि निर्यात नीति के लिए कृषि निर्यात जोन बनाया गया था। कृषि निर्यात जोन के अन्दर जीरे के लिए जोधपुर, नागौर और सांचोर में पांच जिलों के लिए कृषि जोन बनाया गया था। धनिये के लिए कोटा, रामगंज, बारां, चित्तौड़, आदि के अन्दर कृषि जोन बनाया गया था। उस टाइम बाहर एक्सपोर्ट करने का काम चालू कर दिया था लेकिन इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इधर आज बाहर भेजने का, एक्सपोर्ट का काम है, वह बंद हो गया।

अपन पशुपालन की बात करते हैं, अभी भाई लोगों ने बोला, फ्री दवाई देकर बहुत अच्छा काम किया। दवाई फ्री देने से दूध का या पशुओं का ज्यादा फायदा नहीं होगा, नस्ल सुधारने से होगा। दवाई फ्री दी, कोई बात नहीं लेकिन आपने नस्ल सुधार की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि हमारे सरकार के टाइम में बीकानेर यूनिवर्सिटी और उदयपुर यूनिवर्सिटी में राठी, थारपारकर, गिर, आदि गायों के लिए करीबन 07-08 के अन्दर संवर्धन, संरक्षण और नस्ल सुधार के लिए, भ्रूण प्रत्यारोपण, आदि के लिए 26 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से स्वीकृति हुई थी, वह हमें पांच वर्ष में पूरा करना था, 2007-08 में चालू होने के बाद में 2012 में पूरा करना था लेकिन हमारी सरकार के बाद में अभी तक आगे कोई काम किया ही नहीं। इसलिए कृषकों के लिए बहुत बड़ा घाटे का काम हो रहा है। आने वाले आंकड़े देखे जाएं, अनुमान लगाया जाए, 2021 तक राजस्थान के अन्दर दो लाख लीटर प्रति वर्ष दूध का उत्पादन चाहिए लेकिन आज की स्थिति में मात्र अस्सी हजार लीटर आर सी डी एफ द्वारा कलेक्शन किया जाता है। आने वाले समय में हमें दूध

(श्री बंशीधर खण्डेला)

की बड़ी समस्या आएगी। इसलिए उत्पादन के साथ-साथ उनकी नस्लों पर भी ध्यान देना चाहिए।

संविदा खेती के टाइम पर हमारी सरकार ने निजी मार्केट की स्थापना की थी, सीधी खरीद, अधिकतम संशोधन किया गया था लेकिन आपने अभी तक इसके अन्दर आगे नहीं बढ़ाया। इसके कारण आज काश्तकार को मण्डी में जाकर अपना अनाज बेचना पड़ता है। जबकि यदि संविदा खेती लागू होती तो काश्तकार के पास दुकानदार, व्यापारी आते और अच्छी रेट मिलती।

समर्थन मूल्य की बात करते हैं, समर्थन मूल्य राज्य सरकार स्वयं निर्धारण नहीं करती है, सेण्टर द्वारा निर्धारण किया जाता है लेकिन अगर हमारे प्रदेश में हमारे मुख्य मंत्री की इच्छा हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो डी सी पी (डी-सेण्ट्रल प्रोक्योरमेंट) राज्य बनाना चाहिए जिससे अपन खुद अपनी कृषि के उत्पादन का मूल्य तय कर सकें और उसके अन्दर भण्डारण की खुद व्यवस्था करें। अपने प्रदेश के पास में मध्य प्रदेश है, आज मध्य प्रदेश डी सी पी प्रदेश है। वहां खुद नीति तय करते हैं कास्ट निकालकर कि कितनी कास्ट बढ़ गयी है, क्या समर्थन मूल्य होना चाहिए। मध्य प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समिति पर केन्द्रित कर रखा है, किसान को अपना माल लेकर दूर तक नहीं जाना पड़ता है और उसको आने-जाने का किराया और छीजत का सामना नहीं करना पड़ता है और आराम से वहीं बैठा अपना माल बेच देता है।

जल्दी खराब होने वाली फसलें जैसे प्याज, लहसुन, आलू, आदि का समर्थन मूल्य नहीं होता है लेकिन राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य खुद तय करके मार्केटिंग खुद को करनी चाहिए। जैसे राजफैड के द्वारा समर्थन मूल्य तय करके राजफैड द्वारा खरीदा जाएगा तो काश्तकार को अच्छा पैसा मिलेगा और खरीदे हुए माल को खुद सरकार जो राशन की दुकानें हैं, वहां लाकर बेचा जाएगा तो उपभोक्ताओं को भी ताजा और कम कीमत पर माल मिलेगा। ऐसा करने से काश्तकार को भी फायदा होगा और आमजन को भी फायदा होगा।

खाद डी ए पी कम्पनी के हवाले है आजकल, सारी खाद डी ए पी कम्पनियां खुद कीमत का निर्धारण करती हैं। आज से तीन साल पहले जो कट्टा 455 रुपये में मिलता था, आज 1,065 में। लेकिन मैं यह कहता हूं, करीबन ग्यारह बार तीन साल के अन्दर कीमत बढ़ी है, क्या यह कीमत बढ़ी, इसके अनुपात में समर्थन मूल्य भी बढ़ा है? इससे किसान को बहुत बड़े

(श्री बंशीधर खण्डेला)

आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मैं यह चाहूंगा कि किसान इस पर कण्ट्रोल करे, किसान के साथ-साथ सरकार भी इस पर आगे इतना कण्ट्रोल करे कि आगे डी ए पी खाद के कट्टे का भाव नहीं बढ़े, नहीं तो कण्ट्रोल नहीं करेंगे तो यह भाव करीबन 1,500 रुपये पर आकर टिक जाएगा और किसान मारा जाएगा। तो इस सरकार को खाद पर खुद को अनुदान देना चाहिए जिससे किसान को कुछ न कुछ फायदा मिल सके। यदि खाद, बीज, कीटनाशक, मजदूरी आदि बढ़ीं तो किसान इतना मारा जाएगा, उसके पास खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ खो चुका होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब्जी के निर्यात के प्रोत्साहन का हमारी सरकार ने काम चालू किया था, उस टाइम साढ़े तीन रुपया पर-केजी अनुदान भी दिया था। खाड़ी के देशों में हवाई जहाज से और जहाज से माल जाता है जिससे कि काश्तकार को फायदा होगा और सरकार को भी उससे फायदा होता है। यह काम चालू करना चाहिए।

राजस्थान के अन्दर 2008 में किसान आयोग का नोटिफिकेशन हुआ था लेकिन उसके तीन-साढ़े तीन साल बीतने के बाद इस सरकार ने अब किसान आयोग का गठन किया है। किसान आयोग का गठन करने से क्या फायदा हुआ? किसान आयोग को कोई अधिकार नहीं दिया, किसान आयोग को कोई कार्य नहीं बताया गया। केवल अध्यक्ष बनाने से, किसान आयोग का गठन करने से किसानों का कोई भला नहीं होगा। हमारी सरकार ने किसान कल्याण कोष की स्थापना की थी लेकिन इस सरकार ने उसको आगे नहीं बढ़ाया और कृषकों के हित के लिए कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार ने साढ़े नौ करोड़ का इसके लिए प्रावधान किया था, साढ़े नौ करोड़ से अभी तक एक नया पैसा किसान कल्याण कोष सरकार ने नहीं बढ़ाया।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि सोलर पम्प सेट्स के लिए किसान के पास इतनी छोटी जमीन हो गयी है, इतने छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट गया है, लेकिन मैं साफ-साफ कहूंगा कि सोलर पम्प की जो नीति बनाई गई है वह नीति अच्छी है लेकिन यहां ए सी के कमरों में, आफिस में बैठकर नीति बनाई है, अधिकारियों ने फील्ड में जाकर नहीं देखा। यह नीति एक क्षेत्र के लिए सही है, पूरे राजस्थान के लिए सही नहीं है। होनी चाहिए पूरे राजस्थान के लिए। गंगानगर,

(श्री बंशीधर खण्डेला)

हनुमानगढ़ जहां नहर का पानी आता है, वहां डिग्गियां होती हैं, डिग्गियों में पानी इकट्ठा हो जाता है। महीने, दो महीने सोलर से सिंचाई कर लें, वहां तक के लिए तो सही है लेकिन पूरे राज्य को फायदा मिले, इसके लिए पांच एच पी मिनिमम जो कुओं से पानी निकाल सके ऐसी स्कीम बनानी चाहिए। यदि कुओं से पानी नहीं निकालेंगे, मैं मंत्रीजी से, खुद से व्यक्तिगत रूप से मिला था, मंत्रीजी ने कहा, ये फिजिबल नहीं है। लेकिन मैं आपसे दावा कर रहा हूं, आपकी सरकार द्वारा पिछली साल हमारे सीकर जिले में पांच जगह सोलर पम्प लगे थे और पांचों सोलर पम्प कुओं में चल रहे हैं और उनसे आज अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, बिजली की बचत हो रही है। सरकार यदि इसमें ध्यान दे, हर काश्तकार को सोलर पम्प के लिए पांच एच पी दे, जमीन की क्वांटिटी की बात पर ध्यान नहीं दे क्योंकि किसान का परिवार इतना बढ़ गया है, जमीन की क्वांटिटी छोटी होती जा रही है। यदि जो सब्सिडी सेण्टर देती है और राज्य सरकार देती है, राज्य सरकार की जो सब्सिडी है, बिजली तो मंहगी खरीदती है और सस्ती देती है काश्तकार को, वह तीन साल के अन्दर आपकी सब्सिडी पूरी हो जाएगी और काश्तकार को पूरी जिन्दगी के लिए अपना बिजली का बिल नहीं चुकाना पड़ेगा। खेती पर इसका अच्छा फर्क पड़ेगा। किसान के लिए सोलर पम्प की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। पानी भी कम खपत होगा इसके अन्दर, पानी की आज बहुत कमी चल रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले टाइम में किसानों को पाले और शीतलहर के कारण नुकसान हुआ था लेकिन उच्चाधिकारियों द्वारा कलक्टर को निर्देश दे दिए गए कि तीस-चालीस परसेंट से ज्यादा खराबा नहीं दिखाया जाए। यह किसान के ऊपर बहुत कुठाराघात साबित हो रहा है। रहा सहा, वहीं उसी जिले के अन्दर कृषि के अधिकारी साठ-सत्तर परसेंट खराबा बता रहे हैं। ये दोहरे मापदण्ड किसान के लिए कहां तक लागू होंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए किसान के साथ। यह संवेदनशील सरकार बहुत कुठाराघात कर रही है। शीतलहर के बाद अभी दस दिन पहले ओले और बारिश के कारण किसान की बची हुई फसल भी नष्ट हो गयी। ऐसी स्थिति में किसान को मुआवजा दिलाना चाहिए, दुबारा गिरदावरी करानी चाहिए और ओले पड़े, बारिश पड़ी, उस पर भी मुआवजा देना चाहिए जिससे किसान की हालत थोड़ी बहुत ऊपर उठ सके।

आपने मुझे बोलने के लिए टाइम दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री पदमाराम जी।

श्री पदमाराम (चौहटन): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37-कृषि, 39-पशुपालन पर चर्चा हो रही है । इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

हमारी सरकार द्वारा इस साल खरीद के अन्दर 15 मई से लगाकर 21 जून तक ग्राम-ग्राम में कृषि का विस्तार किस प्रकार से हो, कृषि की अच्छी पैदावार किस प्रकार हो, उसके लिए प्रशिक्षण दिया। हजार किट बाजरी में,

(19.19 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

हजार किट ग्वार के अन्दर किसानों को जो अनुदान के रूप में बीज उपलब्ध कराया, इस उपलक्ष्य में माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़े भू-भाग का क्षेत्र है, 60 प्रतिशत क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र है। वहां हमारे किसान बरसात की आस पर खेती करते हैं। यदि भगवान मेहरबान हो जाए, अच्छी बारिश हो जाए तो पैदावार अच्छी हो जाती है और यदि भगवान रूठ जाता है तो किसानों को पैदावार का भारी नुकसान सहन करना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, किसानों की फसल, ज्यादा कैसे उपज हो, किसान खुशहाल कैसे हों, इसके लिये हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान किसान आयोग का गठन किया। उसके अन्दर किसान अपनी समस्या की शिकायत कर सकते हैं, अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त करने के लिये वहां मांग कर सकते हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहेंगे, खरीफ के लिये और रबी के लिये जो एडवांस डी ए पी और यूरिया की व्यवस्था की, यह एक सराहनीय कदम है। किसान अपने खून-पसीने से मेहनत कर फसल की पैदावार करता है। इस पैदावार में कभी बरसात, कभी ओले, कभी शीतलहर, कभी पाला, हमेशा अवरोधक रहते हैं। किसान अपनी पैदावार के मूल्य का खुद निर्धारण नहीं कर सकता। किसान ने कृषि के लिये जो खर्चा लगाया है, उसका अनुमान खुद नहीं लगा सकता कि मेरी पैदावार कितनी होगी, मैं कितना प्रोफिट प्राप्त कर सकूंगा।

(श्री पदमाराम)

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने मौसम बीमा योजना लागू की। तहसील हैड-क्वाटर पर मौसम यंत्र लगाये और एक मापदण्ड दिया है कि इसी मापदण्ड पर तापमान रहेगा या सर्दी रहेगी, उसके आधार पर किसानों को नुकसान की भरपाई की जायेगी। मैं आपकी मार्फत माननीय कृषि मंत्रीजी से, माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मौसम यंत्र के निर्धारण करने का, उनकी देखरेख करने का दायित्व बीमा कम्पनीज का है। अपना फायदा उठाने के लिये, किसानों का नुकसान करने के लिये अपने मन-पसन्द मापदण्ड रख दिये जाते हैं।

अभी शीतलहर हुई थी, शीतलहर के अन्दर किसानों का भारी नुकसान हुआ। किसानों की रबी की फसल गेहूं है, रायड़ा है, इसबगोल है, जीरा है। हमारे क्षेत्र में इसबगोल, जीरा और अरण्डी की भारी फसल थी, शीतलहर ने अरण्डी की पूरी फसल को नष्ट कर दिया है। सी आर एफ के नार्म्स के अनुसार अरण्डी को खरीफ की फसल माना है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ अरण्डी की फसल की बुवाई खरीफ के अन्दर होती है और उसकी पैदावार रबी जब स्टार्ट होती है उस समय आनी स्टार्ट होती है। दिसम्बर में शीतलहर हुई, अरण्डी की पूरी फसल इसके अन्दर नष्ट हो गयी। मैं आपकी मार्फत माननीय मुख्य मंत्रीजी और कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को अरण्डी की फसल में जो भारी नुकसान हुआ है, उसको गिरदावरी में शामिल नहीं किया है, शामिल करवाकर किसानों को नुकसान की भरपाई करने की कृपा करावें।

दूसरा निवेदन है कि जब गिरदावरी हुई थी, उस समय रबी की फसल, जीरा और इसबगोल के पौधे हरे दिख रहे थे परन्तु उसमें शीतलहर की इतनी मार पड़ गयी कि पैदा होने वाले अनाज के फूल नष्ट हो गये थे। जो पौधा दिख रहा था, जैसे ही वह पौधा सूखने लगा, वह सूख गया, रोग चालू हो गया और पश्चिमी हवा चलने के कारण ओस पड़ी। ओस में भारी जीव पैदा हो गये और उसकी पैदावार बिलकुल नगण्य के समान हुई। गत जो फसल थी, उसके आधार पर 30 परसेंट भी पैदावार नहीं हुई है। मेरा निवेदन है कि इसका आकलन कराएं, जांच कराएं कि गत साल पैदावार कितनी हुई थी, उसके स्थान पर इस बार किसानों के कितनी पैदावार हुई? इसमें शीतलहर से, पाले से कितना नुकसान हुआ? उसकी भरपाई करने की आप कृपा करावें तो आपकी उनके ऊपर बड़ी मेहरबानी होगी। किसान अपने खून-पसीने से कड़ी मेहनत

(श्री पदमाराम)

करता है, परन्तु उसकी पैदावार, नौकरी करने वाला, उद्योग लगाने वाला, व्यापार करने वाला, वह अपनी...

श्री सभापति: माननीय सदस्य...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 8.00 बजे तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय 8.00 बजे तक बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय 8.00 बजे तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री पदमाराम (चौहटन): अपना मुनाफा कमाने के लिये ही वे...

श्री सभापति: थोड़ा संक्षिप्त करो, माननीय सदस्य।

श्री पदमाराम (चौहटन): व्यापार करते हैं। किसान ऐसा है जिसको अपनी पैदावार की, अपनी मेहनत की मजदूरी भी नहीं मिलती है। माननीय कृषि मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि आप किसानों के लिये विशेष योजना लागू करें। किसान खुशहाल कैसे हों? जब किसान खुशहाल होगा तो राजस्थान खुशहाल होगा, राजस्थान प्रगति की ओर अग्रसर होगा। किसानों के लिये विशेष योजना लागू करें, किसानों की पैदावार का उचित मूल्य दिया जाए और किसानों को समय-समय पर जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाए। किसान बिजली के लिये भी बड़ा प्रताड़ित होता है, किसान पानी के लिये भी प्रताड़ित होता है, किसान प्राकृतिक प्रकोप से भी प्रताड़ित होता है। तो मेरा निवेदन है कि किसानों के लिये विशेष योजना बनायी जाए। किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ, उसका मुआवजा देने का आप निवेदन फरमाएं।

माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अजय सिंह।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय सभापति जी, मांग संख्या 37 एवं 39; कृषि एवं पशुपालन के सम्बन्ध में मैं मेरे क्षेत्र की उचित मांगों को सरकार के समक्ष रख रहा हूं। राजस्थान के किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध

(श्री अजय सिंह)

कराने का जिम्मा राज्य सरकार के उपक्रम राज्य बीज निगम का है, लेकिन सरकार की मिलीभगत के कारण से आज निजी कम्पनियां किसानों को बीज उपलब्ध करा रही हैं। इसी के परिणामस्वरूप किसानों को घटिया बीज का सामना करना पड़ रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के थावलां में कुछ समय पूर्व कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसान शिविर आयोजित किया। कृषि विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में निजी कम्पनी यू पी एल बीज कम्पनी ने किसानों को निःशुल्क गोभी और टमाटर के बीजों का वितरण किया। किसानों ने उन बीजों को बोया, अच्छी मजदूरी देकर काफी राशि खर्च की लेकिन उसकी मेहनत पर शीघ्र ही पानी फिर गया जब गोभी के पौधे पर फूल के बजाय छर्रे आने लगे और टमाटर के जो पौधे थे, वे भी बहुत छोटे थे। इससे किसानों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। वहां के स्थानीय किसानों ने इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को की। लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला अभी तक। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा भी माननीय कृषि मंत्रीजी को शिकायत हुई है। कृषि मंत्रीजी नागौर के ही हैं, उनकी पूरी जानकारी में है लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। मेरी मांग है कि किसानों को उचित मुआवजा मिले और यू पी एल कम्पनी जो इसमें पूरी तरह से दोषी है, उसके विरुद्ध ये कार्यवाही करें।

माननीय सभापति जी, ग्वार के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी ग्वार 31 हजार रुपये क्विंटल है। मेरा माननीय मंत्रीजी से आग्रह है कि आने वाले समय में बुवाई के लिये सरकार द्वारा किसानों को बीज उपलब्ध कराने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है, मेरा माननीय मंत्रीजी से आग्रह है कि जब अपने भाषण में बोलें तो इस सम्बन्ध में जरूर बताएं कि सरकार क्या व्यवस्था कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, अभी 13 अप्रैल को ही बरसात व ओले गिरने के कारण मेरे क्षेत्र में फसलों, सब्जियों को काफी नुकसान हुआ है। इसलिये मेरी सरकार से मांग है कि ओले पड़ने से आकेली, बछुआरी, नीमड़ीचांदवता, दादरियाकलां, सिंगलाज, सांजू क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है, उसका उचित मुआवजा सरकार किसानों को दे।

सभापति महोदय, देश के प्रसिद्ध नागौरी बैल आज संकट में हैं। इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कोई नीति नहीं बनायी जा रही है। वर्तमान में 3 वर्ष से कम उम्र के बछड़ों को बाहर बेचने पर रोक ने इन्हें सबसे ज्यादा

(श्री अजय सिंह)

प्रभावित किया है। इस प्रभाव के चलते हुए किसानों और सरकार, दोनों को ही आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। राजस्थान में 10 पशु मेलों में से 3 राज्य स्तरीय मेले नागौर के अन्दर ही लगते हैं, परबतसर, नागौर और मेड़ता में। पशु मेलों में पूर्व में 50-60 हजार पशु आते थे, आज इनकी संख्या 15-20 हजार ही रह गयी है। इसमें मेरी मांग है और नावां से आने वाले माननीय सदस्य ने भी चिंता जतायी थी, यह बिलकुल वाजिब चिंता है और पूरा नागौर जिला इससे प्रभावित हो रहा है। सब-कमेटी ने भी मंत्रिमंडल को इसके बारे में एक नोट भेजा है और मेरी मांग है कि जल्दी से जल्दी इस रोक को हटाया जाये।

सभापति महोदय, नागौर जिले में सबसे अधिक गौ-शालाएं हैं, नागौर जिले में लगभग 350 पंजीकृत गौ-शालाएं हैं। इसके अलावा, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जालौर में भी काफी गौ-शालाएं हैं। इन गौ-शालाओं को भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, जब माननीय वसुन्धरा राजे जी मुख्य मंत्री थीं, तब अनुदान मिलता रहा है, लेकिन इस सरकार ने आते ही इस अनुदान को रोक दिया है। मेरी मांग है कि शीघ्र इनका अनुदान चालू किया जाये। इस सम्बन्ध में मैं डेगाना और मेड़ता के गौ-पालकों के साथ में मुख्य मंत्रीजी से भी मिला था लेकिन अभी तक इसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। माननीय कृषि मंत्रीजी को इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी है और वहां के गौ-पालक आपको आवेदन करते रहे हैं लेकिन अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि मेरे द्वारा जो भी मांगें की गयी हैं, उनको शीघ्र पूरा करने का प्रयास करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, मैं कृषि एवं पशुपालन, मांग संख्या 37 और 39 के बारे में निवेदन करने के लिए आपकी अनुमति से खड़ा हुआ हूं।

राजस्थान की सरकार में पहली बार एक किसान परिवार, पशुपालन का धंधा करने वाले, खेती की बारीकियों के बारे में समझने वाले व्यक्ति को कृषि मंत्री बनाया गया। जो वास्तव में किसानों की पीड़ा क्या होती है, किस प्रकार से किसान का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाये, किस प्रकार से वह अपने पशुओं को बचाकर के अच्छी प्रगति कर सके, इस बात की पीड़ा जिस व्यक्ति के मन

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

में है उसको कृषि मंत्री बनाकर के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान के किसानों के लिए एक अच्छा काम किया है।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने सबसे पहले उन किसानों को जिनकी कोई पूछ नहीं होती थी, बड़े उद्योगपतियों की पूछ होती थी, हम राजनेताओं की पूछ होती है और भी जो वर्ग होते हैं उन सबकी पूछ होती है लेकिन किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं था, उस किसान को एक पारितोषिक शुरू करके पूरे हिन्दुस्तान में सबसे पहले राजस्थान से शुरू की। पंचायत समिति लेवल पर 10 हजार रुपये, जिला लेवल पर 25 हजार रुपये और राज्य स्तर पर 50 हजार रुपये का इनाम देकर के उस किसान का मनोबल ऊपर उठाया गया। किसान वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए किसान भवन प्रत्येक जिला हैडक्वार्टर पर खोलने की व्यवस्था की गयी। मिट्टी, पानी परीक्षण प्रयोगशाला, जिसके आधार पर एक किसान अपनी मिट्टी और पानी की जांच कराकर यह तय कर सके कि कौनसी जमीन में कौनसा बीज लगाकर के कौनसी फसल की पैदावार हम ज्यादा से ज्यादा ले सकें, इस बात की भी व्यवस्था की गयी।

सभापति महोदय, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए इन 3 साल में राजस्थान की सरकार द्वारा 1 हजार से भी अधिक पशु उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर, इन पशुओं को बचाकर किसानों को राहत प्रदान करने वाला एक कदम उठाया गया है। पहले भारतीय जनता पार्टी के शासन में मैं समझता हूं कि एक भी पशु उप-स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खुला, ऐसा मेरा मानना है। कृषि मंत्री जी ने, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इस सोच के साथ कि किसान आगे बढ़े, किसान को उसकी फसल का उचित मुआवजा मिले, इस बात के लिए बहुत प्रयास किये हैं।

सभापति महोदय, आप देखिये, इसी बजट में सेवण घास जिससे हम पशुओं को बचा सकें, इस बात की भी व्यवस्था की गयी है। किसानों का 850 करोड़ रुपये का हमारे कृषि मंत्रीजी ने और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सेंटर में एक प्रस्ताव भेजा और किसानों की जो पाले से फसल बरबाद हो गयी थी, उसके लिए लघु और सीमांत कृषकों को देने का काम किया है।

सभापति महोदय, बीज विधायण केन्द्रों को खोलने की प्रक्रिया तेज की गयी, जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में बिलकुल नहीं थी। मेरे लक्ष्मणगढ़

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

विधान सभा क्षेत्र में भी एक बीज विधायन केन्द्र माननीय कृषि मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खोलने का काम किया, जिसका कार्य प्रगति पर है। बीज, जो किसान को फ्री में मिलता है, किसान को चारा उगाने के लिए, अपने पशुओं को पालने के लिए फ्री में चारा उगाने के बीज की भी व्यवस्था हमारी सरकार द्वारा की गयी है।

सभापति महोदय, प्रत्येक किसान को अगर वह बकरे और मेढ़े लेना चाहता है तो उसको भी खरीदकर के, पूरा अनुदान देकर के हमारी सरकार द्वारा देने का काम किया गया है। पशुओं के लिए वेटेरिनरी यूनिवर्सिटी भी बीकानेर में खोलने का काम हमारी सरकार द्वारा किया गया है। प्रशासन-गांवों-के-संग शिविर लगे कृषि विभाग के द्वारा, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में शिविर लगाये गये। किसानों को समझाया गया, उनको बीज उपलब्ध कराये गये। पशुपालन के लिए यह उप-स्वास्थ्य केन्द्र और उप-स्वास्थ्य केन्द्रों से राजकीय चिकित्सालयों में क्रमोन्नति का काम भी हमारी सरकार और हमारे मंत्रीजी द्वारा किया गया है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो-तीन चीजें हम अगर और कर सकें तो और ज्यादा ठीक रहेगा। मेरी मांग है कि किसानों को समय पर बीज उपलब्ध हों। बीज भी उस प्रकार के उपलब्ध हों, जिस एरिये में जिस फसल का जो बीज सबसे ज्यादा उपयुक्त हो। उस फसल का मूल्यांकन करवाकर, उसी बीज को जिसकी उर्वरता उस मिट्टी में ज्यादा रहे, उसकी पैदावार बढ़े, इस प्रकार का बीज वहां समय पर उपलब्ध कराने की मैं मांग करता हूं।

सभापति महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि पर्यवेक्षकों के बहुत से पद खाली पड़े हैं। माननीय मंत्री और मुख्य मंत्रीजी द्वारा इस बजट में शायद 750 के लगभग कृषि पर्यवेक्षकों या सहायकों के पदों को भरने की बात की गयी है। यह संख्या और बढ़नी चाहिए क्योंकि कृषि के ऊपर हमारी 70 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या निर्भर करती है, पशुपालन और कृषि के आधार पर अपना जीवन यापन करती है। इसको हम और ज्यादा बढ़ायें तो ज्यादा अच्छा होगा।

सभापति महोदय, एक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डाक्टरों की भर्ती हमारी सरकार द्वारा की गयी लेकिन जो पशु उप-स्वास्थ्य केन्द्र खुलते हैं, उनमें कम्पाउंडर की नियुक्ति होती है। उन कम्पाउंडरों की नियुक्तियां अभी तक

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

नहीं हो पायीं। वे नियुक्तियां जल्दी से जल्दी हों तो इसका हमें और ज्यादा फायदा मिलेगा। उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के पीछे सरकार की जो मंशा है, वह यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा पशुपालकों को लाभ दें, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को आगे बढ़ाने का काम करें तो वह मंशा ज्यादा ठीक होगी।

सभापति महोदय, अभी खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य, बंशीधर जी ने काफी कुछ कहा लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारे कृषि मंत्री और मुख्य मंत्रीजी की सोच है कि आदमियों के साथ-साथ पशुओं को भी मरने नहीं दिया जाये, इलाज के अभाव में। वे बीमार नहीं हों, बीमार होने पर जल्द उनका इलाज हो, इसके लिए 1 हजार से ज्यादा उप-स्वास्थ्य केन्द्र और उसके साथ-साथ इसी बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी और कृषि मंत्रीजी द्वारा उन सबको फ्री दवा मिले, मेजर दवाइयां जो ज्यादा काम में आने वाली हैं, उस प्रकार की दवाइयां देने की व्यवस्था की है। मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया काम दूसरा हो नहीं सकता।

तीसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उप-स्वास्थ्य केन्द्र बहुत समय से, बहुप्रतीक्षित थे, खुलें, लेकिन इनके भवनों के लिए, मैं समझता हूं, और कोई एजेंसी ज्यादा आगे नहीं आती है। तो जितना हम इनका उपयोग करना चाहते हैं उतना उपयोग उनका नहीं हो पाता है। इसलिए भवनों की मांग भी, मैं समझता हूं कि इनके भवन उपलब्ध कराने का किसी न किसी बजट में हमें प्रावधान करना पड़ेगा, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

हमारी सरकार ने कृषि प्रोत्साहन नीति लाकर के भी बहुत अच्छा काम किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्याज भण्डारण के लिये अनुदान 50 हजार रुपये था, उसको बढ़ाकर हमारी सरकार ने 70 हजार रुपये किया। फिर भी हमारे कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि यह सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि 70 हजार रुपये आपको फ्री में मिल रहे हैं, आप लोगों को गुमराह करके उनका भला नहीं कर रहे हैं। आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं।

इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम जन-प्रतिनिधियों का दायित्व होता है, सरकार सबकी होती है चाहे किसी पार्टी का शासन हो, लेकिन सरकार आम अवाम के लिए, सबको सुख-सुविधा देने के लिए, किसान वर्ग को आगे बढ़ाने के लिये होती है। इसलिए जो भी योजनाएं

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हैं, उनमें कमियां न निकाल कर ज्यादा से ज्यादा उन किसान भाइयों तक, जो खेत-खलिहान में बैठे हैं, उनके पास साधन नहीं हैं योजनाओं की जानकारी करने के, उनको हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का काम करें, पंचायत समितियों के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से हम उनको जानकारी देने का काम करें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, हमारे कृषि मंत्रीजी ने अच्छा काम किया। इसी का परिणाम है कि हमें पूरे भारतवर्ष में दलहन के क्षेत्र में, दालों के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादन करने पर भारत सरकार ने पूरे भारत में एक नम्बर पर आने पर एक करोड़ रुपये का इनाम देने का काम भी किया है। यह सारे के सारे ऐसे काम हैं जिनके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय कृषि मंत्रीजी, हमारी सरकार ज्यादा से ज्यादा यह करना चाहती है कि किसान का जीवन स्तर ऊपर उठे, किसान हम ऊपर उठायें, पशुपालन के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ें। ज्यादा से ज्यादा मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कृषि विधायन केन्द्र और यह बीज मुफ्त में देकर, सेवण घास के रूप में, यह सारे के सारे अनुदान, फव्वारा कृषि, सारे ऐसे काम किए हैं जो किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के बारे में किये गये हैं। हमारी राजस्थान सरकार ने यह जो बजट पेश किया है, उस बजट में एक लाख रुपये सहकारिता के माध्यम से अगर हमारे किसान भाई लोन उठाकर समय पर चुकाते हैं तो पूरा का पूरा ब्याज अनुदान, जो 150 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान के रूप में देने की बात की है, उसके पीछे भी यही मंशा है कि हम किसान का जीवन स्तर ऊपर उठाकर, किसान किस प्रकार से आगे बढ़े, तरक्की करे, उन्नति करे।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, आपने घण्टी बजा दी। फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मांग संख्या 37 और 39, कृषि एवं पशुपालन के बारे में मैंने मेरे सुझाव भी रखे और सरकार ने जो अच्छे काम किए, निश्चित रूप से उसकी सराहना भी करनी चाहिए और मैंने की। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री ओटाराम देवासी।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37 और 39; एग्रीकल्चर और पशुपालन। महोदय, कृषि निदेशालय, जयपुर के आदेश दिनांक 3.8.2011 के तहत मेक्रो मैनेजमेंट कार्ययोजना आई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत किसान को कृषि यंत्र एवं अनुदान की पत्रावली स्वीकार करने के सम्बन्ध में रोक लगाई गई, जो कि किसानों के हितों के विरुद्ध है। जिला स्तर पर कृषि यंत्र अनुदान पत्रावली को जमा कर वरीयता के अनुसार अनुदान देने के विभाग के आदेश दिनांक 3.8.2011 को वापस लिए जाने की मैं मांग करता हूं।

कृषि उपज मण्डी समिति, आबूरोड पिछले कई वर्षों से लगातार मण्डी शुल्क से होने वाली आय में कमी के कारण आर्थिक दृष्टि से घाटे में चल रही है। जिला परिषद ने कुछ साल पहले आबूरोड मण्डी क्षेत्र के साथ सुमेरपुर मण्डी क्षेत्र की शिवगंज एवं सिरोही तहसील को मिलाकर सिरोही जिले में एक मण्डी जिला मुख्यालय पर बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव जिला परिषद, सिरोही के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा। उस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से सिरोही जिले में एक मण्डी सिरोही जिला मुख्यालय पर बनाने की मैं मांग करता हूं।

वर्ष 2008 में किसानों को बूंद-बूंद सिंचाई योजना में अनुदान राशि किसान या अधिकृत विक्रेता या कम्पनी को दी जाती थी जिसके कारण से किसानों में पानी की बचत के प्रति रुझान बढ़ा था, परन्तु वर्तमान में विभाग द्वारा इसमें परिवर्तन के आदेश जारी कर अनुदान के लिये पहले पूरा पैसा लगाने के बाद विभाग की लम्बी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही अनुदान की राशि केवल किसान को देने का प्रावधान किया गया। जहां पहले किसान को एक हैक्टेयर में बूंद-बूंद सिंचाई योजना में यंत्र की लागत 13 हजार रुपये ही जुटानी होती थी, उसकी जगह अब 1 लाख 34 हजार रुपये की एक मुश्त राशि नकद जुटानी होती है। उसके बाद विभाग की लम्बी प्रक्रिया के बाद अनुदान की राशि किसान को मिलेगी। जबकि पूर्व के प्रावधानों के अनुसार किसान को कम राशि में सरलता से बूंद-बूंद सिंचाई यंत्र लगाने की सुविधा लाभकारी थी। इससे किसानों का अनुदान की राशि के प्रति रुझान कम हो जाएगा जिसका सीधा नुकसान पानी बचाने के रुझान के प्रतिकूल होगा। मैं आपके माध्यम से बूंद-बूंद सिंचाई योजना को बढ़ावा देने के लिए अनुदान राशि केवल किसानों को ही भुगतान न कर किसान या अधिकृत विक्रेता तथा कम्पनी को दिए जाने के प्रावधान किए जाने की राज्य सरकार से मांग करता हूं।

(श्री ओटाराम देवासी)

महोदय, सिरोही जिले में 2001 में और 2002 में भू-प्रबन्धन विभाग, जोधपुर द्वारा किए गए सेटलमेंट के कार्यों में किसानों की कृषि भूमि का नवीन सेटलमेंट किया गया जिसमें सम्बन्धित किसानों को जानकारी दिए बिना ही भूमि में तरमीम कार्य किए गए। इसमें बड़े पैमाने पर भारी त्रुटियां हुई जिसके कारण से 50 वर्षों से अधिक समय से काबिज काश्तकार जो अपनी खातेदारी भूमि में कब्जा काश्त करते आ रहे थे, जमीन वहां गलत सेटलमेंट की वजह से किसी और अन्य जगह और दूसरे किसान के कब्जे में डाल रहे हैं। किसानों ने लाखों रुपये खर्च करके कुएं खोदे, भूमि को समतल किया, जमीन तैयार की, उस पर बिजली कनेक्शन लिये, सरकारी योजनाओं में ऋण लिये लेकिन गलत सेटलमेंट के कारण किसानों में आपसी तनाव की स्थिति का वातावरण बनता जा रहा है। इसके लिए तीन साल से कई बार सरकार के ध्यान में मामला लाया गया परन्तु समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस प्रकार से हुई गलतियों को सुधारने हेतु एक बार पुनः लघु सेटलमेंट करके किसानों को राहत प्रदान की जाए।

महोदय, सिरोही जिले में पाले की प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों का 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने केवल मौसम आधारित फसल बीमा के तहत फसल बीमा कराया। इससे किसानों को पूरा मुआवजा न देकर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित समस्त किसानों को उनकी फसलों, सब्जियों एवं फलों, आदि का बाजार भाव के अनुसार मुआवजा देकर राहत प्रदान करने की मैं मांग करता हूं।

महोदय, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने, माननीया वसुन्धरा राजे जी के नेतृत्व में पशुपालकों के लिए बनाई पशुपालक बीमा योजना, पशुपालकों को नि:शुल्क पट्टा देने की योजना, सुरक्षा की दृष्टि से शस्त्रों के लाइसेंस देने की योजना भी थी, परन्तु उनको बंद कर पशुपालकों के हितों को नजरअंदाज करते हुए निरन्तर उपेक्षा की जा रही है जिससे पशुपालक वर्ग में भारी आक्रोश है। पहले की सरकार ने पशुपालक कल्याण बोर्ड का गठन किया था, जिसमें नियुक्ति न करके इस तरह से राज्य सरकार द्वारा तीन साल में एक भी पशुपालक को नि:शुल्क पट्टा नहीं दिया गया। पशुपालक वर्ग राजस्थान से बाहर भी पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तक अपने पशु धन, परिवार के सहित माइग्रेशन पर जाते हैं। तो उनके जान-माल के खतरे की सम्भावना को देखते हुए वर्ष 2000 से तत्कालीन राज्य सरकार

(श्री ओटाराम देवासी)

द्वारा माइग्रेशन पर जाने वाले पशुपालकों को हथियार रखने के लाइसेंस जारी किए थे, परन्तु वर्तमान सरकार ने उन पर प्रतिबन्ध किया है। माइग्रेशन पर जाने वाले पशुपालकों द्वारा रास्ते में जहां पर अपने रात्रि विश्राम हेतु डेरा दिया जाता है, वहां पर जंगली जानवरों, चोरों, लुटरों और डाकुओं से अपने पशु धन एवं जानमाल की सुरक्षा के लिए उनको हथियार रखने के लाइसेंस जारी किए जाएं।

सिरोही जिले में पशु चिकित्सा विभाग के खाली पड़े पदों के कारण पशुपालकों को अपने पशुओं के बीमार होने तथा दुर्घटना से प्रभावित होने पर समय रहते चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है जिसके कारण कई पशुपालकों को भारी मात्रा में पशुधन का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वर्तमान में पशुओं के प्लास्टिक, रासायनिक चारा तथा अन्य चीजें खाने की घटनाएं बढ़ रही हैं जिससे समय पर चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता को देखते हुए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि सिरोही जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक पशु चिकित्सालय खोला जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को सरलता से पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। सिरोही जिले में पशु चिकित्सा विभाग में रिक्त पदों के कारण पशुपालकों को अपने पशुओं के बीमार होने पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है जिसके कारण दर्जनों की संख्या में पशु व पालतू पशुओं की मौत हो रही है।

राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र में पशु चिकित्सा विभाग में भारी संख्या में पद समाप्त कर पशुपालकों के साथ अन्याय किया गया है। महोदय, मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र सिरोही में हटवाड़ा, गोल, देवदर, सनपुर, डूडवा, इत्यादि गांवों के चिकित्सालयों में पद समाप्त करने के निर्णय का पुरजोर विरोध करता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि व पशुपालन है तथा राज्य सरकार किसानों व पशुपालकों की सुविधा बढ़ाने के स्थान पर घटा रही है जो किसानों व पशुपालक वर्ग के साथ अन्याय है। महोदय जी, सिरोही जिले में मानव चिकित्सा सुविधा की तो पहले ही हालत बुरी तरह बिगड़ी हुई है और अब पशु चिकित्सा विभाग में भी पद समाप्त किये जा रहे हैं जिसके कारण आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों के पशुधन को समय पर चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं होने के कारण भारी मात्रा में पशुधन की हानि होने से आर्थिक नुकसान होगा, वहीं सीधा प्रतिकूल प्रभाव सिरोही जिले में दुग्ध उत्पादन पर भी पड़ेगा तथा निकट भविष्य में सिरोही जिले में शहर और

(श्री ओटाराम देवासी)

विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में आम जन को दुग्ध की कमी का सामना करना पड़ेगा।

इसी के साथ, जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री कमल बैरवा।

(अनुपस्थित)

श्री रामलाल मेघवाल। माननीय सदस्य, आपको बोलना है?

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर)ः अभी आपने नाम किया है तो थोड़ा बहुत तो बोलेंगे ही।

श्री सभापतिः नहीं, नाम पुकारा है, इसीलिए पूछ रहा हूं, आप बोलना चाह रहे हैं न?

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर)ः हां, बोलना चाह रहा हूं।

श्री सभापतिः हां, बोलें।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर)ः सभापति महोदय, आज कृषि व पशुपालन पर चर्चा हो रही है, उस चर्चा में मुझे सम्मिलित करने का आपने समय दिया धन्यवाद।

सरकार ने कृषि के सम्बन्ध में विकास कार्य और कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए बजट में जो प्रावधान किये, यूनिवर्सिटीज खोलीं, विश्वविद्यालय खोले और कृषि के सम्बन्ध में छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में जो प्रावधान किये हैं, इनके लिए मैं कृषि मंत्रीजी और माननीय सदन के नेता, मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। पशुपालन के लिए जो मुफ्त में दवाई का प्रावधान रखा है, यह सबसे ऐतिहासिक कदम है, इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

आगे मैं कृषि मंत्रीजी और मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं किसानों के हित के लिए कि किसानों की जो फसल बरबाद हुई है और किसानों की पाले से जो बाड़मेर और जालौर जिले में सबसे ज्यादा अरंडी की, जीरे की, रायड़े की और गेहूं की फसल नष्ट हुई है, उसके लिए जो मुआवजा नहीं मिला है, बहुत ही उन किसानों के दुःख की बात है। तो मैं मुख्य मंत्रीजी और सरकार से आग्रह करता हूं कि उन किसानों के दुबारा वेल्युएशन करवा करके, गिरदावरी करवा करके उन किसानों को मुआवजा दिया जाए।

(श्री रामलाल मेघवाल)

साथ में, मैं इस बात का भी निवेदन करता हूं कि अन्य जिलों में अरंडी फसल का मुआवजा मिलता है और जालौर और बाड़मेर जिले में अरंडी फसल का मुआवजा जो आपदा में मिलता है, वह नहीं दिया जा रहा है। उसका कारण यही है कि यह अरंडी की जो बुवाई होती है, वह खरीफ के समय में होती है लेकिन इसकी कटाई और पकाई रबी में आती है। तो उसके मुआवजे का प्रावधान किया जाए और अरंडी को उस रबी फसल में लेकर उन किसानों को मुआवजा दिलाया जाए।

इसके अलावा, मैं पशुपालन के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं, कृषि मंत्री जी विराजमान हैं, पशुपालन मंत्रीजी, आप यह मनुष्य के लिए तो गाड़ी, रेल या हवाई जहाज में दूरदराज इलाज कराने चले जाते हैं लेकिन मवेशियों के इलाज के लिए बहुत बड़ी कठिनाई रहती है। तो हर पंचायत क्षेत्र में पशुओं के चिकित्सालय हर पंचायत हैडक्वार्टर में खोले जाएं जिससे मवेशियों को बचाया जा सके और उन किसानों को ज्यादा तकलीफ नहीं पड़े।

मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं, सभापति महोदय, आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री हरजीराम बुरड़क। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, थोड़ा-सा समय और बढ़ा दें, तीन-चार लोग और हैं, दो-दो मिनट दे दें। (व्यवधान)

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): दूसरी डिमांड्स पर रात-रात चले और कृषि के लिए नहीं चले, यह कहां का अन्याय हो रहा है? यह काश्तकारों के साथ अनदेखी हो रही है। हम क्षेत्रों से चुनकर काश्तकार आते हैं। (व्यवधान) रात भर चले; जहां तक चाहें, बोलने वाले बोलें। (व्यवधान) हमारी समस्या नहीं बताएंगे तो कैसे होगा? थोड़ा बोलेंगे तो हमारी समस्या दूर हो जाए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ये कृषि विभाग के ऊपर ज्यादातर माननीय सदस्य किसान परिवार से हैं।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): मंत्रीजी का नाम पुकार लिया है, इसलिए आप बैठो।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अगर पांच-पांच मिनट का समय फरमा दें तो अपनी बात ये भी रख सकते हैं।

एक माननीय सदस्य: एक घंटे का टाइम बढ़वाओ। 10-10 मिनट दिलाइए सबको।

श्री सभापति: एक मिनट, माननीय सदस्य, विराजो आप। (व्यवधान) उप मुख्य सचेतक महोदय, सदन का समय, ...(व्यवधान) आप बोल गये न, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आ गया न आपका। हां, टेबल किया, आ गया।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): मेरे भी किसानों के मुआवजे का जो मामला है, उसका जवाब दिलाओ आप कृपा करके।

श्री सभापति: आप विराजो तो सही। आप विराजो।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): मेरा निवेदन है, पिछली बार भी यही हुआ था।

श्री सभापति: अभी रिप्लाई शुरू नहीं हुई, उसके पहले ही आप यह बात पहले ही कह रहे हो। कमाल हो गया। उप मुख्य सचेतक महोदय, सदन का समय।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक माननीय मंत्रीजी बात कह देवें और मांगें पारित नहीं हो जावें, तब तक सदन का समय बढ़ाया जाए। (व्यवधान) कह दिया, मांग पारित।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, एक मिनट विराजें।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): यह अनदेखी की जा रही है, यह कितना बड़ा अन्याय है काश्तकारों के साथ।

श्री सभापति: आप विराजो। उप मुख्य सचेतक महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सदन का समय तो आपने मांग पारित होने तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है लेकिन उसके साथ प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों की भावना है कि वे एक या दो सदस्य, अगर हम अनुमति दे देते हैं क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है ...(व्यवधान) नहीं, देखिए, आप तो विराजो। आपका तो नाम है ही, आप तो विराजो।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापति जी, मैं

(श्री रतन देसाई उर्फ देवासी)

आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये सात-आठ मेम्बर यहां से भी बोलें, माननीय सदस्य और सात-आठ सदस्य वहां से भी बोलें।

श्री सभापति: सात-आठ नहीं, बहुत ज्यादा बोल लिये; 20 सदस्य बोल चुके।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): और मैंने प्रतिपक्ष के उप सचेतक हैं, उनसे भी निवेदन किया था, पहले दो-तीन लास्ट मेम्बर आप बुला लो, तब जाकर हम जो हैं, हमारे मेम्बर्स बुला रहे हैं। राम लाल जी का नाम नहीं था फिर भी बुलाया ताकि आपके दो मेम्बर वहां से बोल सकें। इसीलिए आपके एक्स्ट्रा दो-तीन मेम्बर बुलायें और आपसे बात भी अभी मैंने की थी। इसलिए अब चूंकि, एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। अब लिस्ट तो लम्बी हो जाएगी। अब मैंने तो समय बढ़ाने के लिए आपको निवेदन भी कर दिया, प्रस्ताव भी कर दिया। अब चूंकि आप माननीय मंत्रीजी का नाम पुकार चुके हैं तो मैं समझता हूं कि जब जवाब आ रहा है सरकार की तरफ से और मांगें पारित करनी हैं, तब बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए।

श्री सभापति: आप तो विराजो। अरे, आप तो विराजो न, आप विराजिए।

पहले तो, सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

मंत्रीजी बोलेंगे, मांग पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

मैं अब प्रतिपक्ष से सिर्फ दो माननीय सदस्य, आप तय कर लें, उसके बाद में मंत्रीजी को बुलाऊंगा। यह मैंने व्यवस्था दे दी है। सिर्फ दो माननीय

(20.00 बजे)

सदस्य हैं। आप यह लिस्ट ले लें, दो सदस्यों को बुलाऊंगा मैं।

श्री छोटूसिंह जी।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37-कृषि व मांग संख्या 39-पशुपालन के बारे में मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति: आप सीधा-सीधा बोल दो, छोटू सिंह जी।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): सभापति महोदय, ये दोनों ही मांगें जैसलमेर जिले से सम्बन्ध रखती हैं। सीधा कितना ही बोल लूं, लेकिन कुछ तो बोलूंगा ही।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस मौसम आधारित बीमा योजना के बारे में। आज राजस्थान में किसान ठगा सा जा रहा है। कुदरत भी उसका साथ नहीं दे रही है, सरकार भी उसे साथ नहीं दे रही है। जिस प्रकार से किसानों का रुझान कम हो रहा है, इससे यह साबित होता है कि किसान को पूर्णतः लाभ नहीं मिल रहा है।

मान्यवर, मैं ज्यादा न कहते हुए जैसलमेर जिले के लिए कहना चाहता हूं कि जिस हिसाब से इस रबी की फसल में बीमा कम्पनियों के द्वारा... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में वार्ता नहीं।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): किसानों के साथ अन्याय किया गया है, उसके बारे में अपना वक्तव्य देना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, आपस में बातचीत न करें।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): जनवरी और फरवरी, 2012 में पूरे जैसलमेर जिले में भयंकर शीतलहर और पाला पड़ा और जिले में सरसों, चना, अरण्डी की फसल बरबाद हो गई। इस एग्रीकल्चर इंश्योरेंस में क्लेम 2-3 मौसम केन्द्रों को छोड़कर जिले के अन्य मौसम केन्द्रों का कुछ भी क्लेम नहीं मिला। मौसम विभाग के हिसाब से और मीडिया के हिसाब से, मैं उदाहरण के तौर पर चांदन ग्राम पंचायत का बताना चाहता हूं, उस हिसाब से उस ग्राम पंचायत में एक डिग्री सेंटीग्रेड या 2.5 सेंटीग्रेड तक मौसम में तापमान पाया गया, जबकि मौसम विभाग का क्लेम सिर्फ 600 रुपये प्रति हेक्टेयर से दिया गया। मौसम फसल बीमा के जितने भी नेशनल एन सी एम एल के सेंटर हैं, वे सही जगह नहीं लगाये गये हैं। मान्यवर, जो मोहनगढ़ कस्बा है, जहां हजारों मन फसल होती है, उसका मौसम आधारित केन्द्र ऊंची पहाड़ी पर लगाया गया है; जबकि मोहनगढ़ और सम के बीच कम से कम 110 किलोमीटर की दूरी है। कैसे किसान को उस जगह का मौसम का फायदा मिलेगा? 110 किलोमीटर में तो शायद हमारा जैसलमेर ही है, दूसरी जगह तो जिला मिलता होगा। इस

(श्री छोटूसिंह भाटी)

हिसाब से जो यंत्र लगाये हुए हैं, वे बिलकुल गलत जगह पर और ऊंची जगह पर लगाये गये हैं। उन यंत्रों के द्वारा किसानों को बिलकुल ठगा गया है। जो 110 किलोमीटर की दूरी में जो मोहनगढ़ के वासी थे, सम में मौसम यंत्र लगाये थे, वे यह बताते थे कि किसी प्रकार का पाला नहीं पड़ा जबकि हकीकत में मोहनगढ़ और चांदन के अन्दर फसल 70 से 80 परसेंट बरबाद हो गई। उसके साथ में जो बचा-खुचा अनाज मिला, आज से 10 रोज पहले किसानों के साथ कुदरत ने धोखा किया, इतनी बरसात हुई कि जो बची हुई 30 परसेंट फसल थी वह बरबाद हो गई। उसके साथ में, किसान भण्डारण के लिए या बेचने के लिए कृषि मण्डी में लाये, वहां भी उनके साथ धोखा हुआ। लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रकार से इनको कोई लाभ या सहायता नहीं मिली। मेरा निवदेन है कि जिस हिसाब से जैसलमेर की जनता ठगी जा रही है, कृषि मण्डियों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि कोई भी किसान अपनी फसल को ढककर रख सके।

मान्यवर, इसके साथ में दूसरी घटना बता रहा हूं, उससे किसान 20-30 साल से बरबाद हो रहे हैं। जब नहर का निर्माण हुआ...

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमान् जी, केवल दो-तीन मिनट। उस समय नहर और वन पट्टी, दोनों में जैसलमेर के किसानों की 26,451 हैक्टेयर जमीन अवाप्त की गयी और 1,088 काश्तकार उससे प्रभावित हुए। उनमें से केवल 465 काश्तकारों के प्रकरणों का निस्तारण हुआ और 623 काश्तकार 20-30 साल से बरबाद हो रहे हैं। उनकी जमीन नहर के नीचे आ गई, वन पट्टी में आ गई, माइनर में आ गई, किसी प्रकार का कोई निस्तारण नहीं हुआ। इस प्रकार से किसान ठगा जाएगा तो किसान फसल कैसे पैदा करेगा?

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

किसान का क्या रुझान होगा?

मान्यवर, इसके साथ में, जिस हिसाब से मौसम आधारित में जो क्राप कटिंग का पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा मिलता था...

श्री सभापति: यह बातें आ चुकी हैं, माननीय सदस्य, सदन में। हमें जैसलमेर की बात तो समझ में आयी, लेकिन ये बातें आ गयीं।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, जब आप हमारी सीट पर बैठते हैं तो आपका विचार दूसरा होता है और जब सिंहासन

(श्री छोटू सिंह भाटी)

पर बैठते हो तो आपका दूसरा विचार होता है। कृपया वही विचार रखें, जिस हिसाब से माननीय सदस्य के प्रति रखा जाता है।

(20.05 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मौसम आधारित जो बीमा क्लेम है, उसमें क्राप कटिंग पर लिया जाय ताकि जैसलमेर के भू-भाग को देखते हुए क्राप कटिंग में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो व्यवस्था थी, वह व्यवस्था होती। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप अपने सदस्य को डिस्टर्ब मत करो।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): उसके साथ में जिस हिसाब से नहर में निर्माण पूर्ववर्ती सरकार में हुआ, वह 4 महीने में ऐसा मौसम हो जाता है कि आंधी चलने के कारण हर नहर चोक हो जाती है, खाला कट हो जाता है, खाला चोक हो जाता है। मेरा निवेदन है कि आपने जिस हिसाब से अभी बजट भाषण में नर्बदा नहर को ले लिया, जोशी नहर को ले लिया, बांसवाड़ा जिले को ले लिया, लेकिन जैसलमेर की किसी भी नहर में किसी प्रकार के मरम्मत कार्य को नहीं लिया। मेरा निवेदन है कि जो भी नहरें टूटी हुई हैं, जो खालें व कैनाल टूटी हुई हैं, कृपया इनको इसमें लिया जाय।

इसके साथ में, जो मौसम आधारित बीमा के लिए यंत्र लगाये गये हैं, जो पंचायत क्षेत्र में हैं, जो भी पंचायतें हैं उसमें 4 गांव आयें, चाहे 5 गांव आयें, उनके पास में इस प्रकार के यंत्र लगाये जाएं जिससे कि वहां के किसानों को सही मायने में मौसम से क्लेम मिल सके।

इसके साथ में मेरा निवेदन है, मांग संख्या 37-पशुपालन है, इसमें जैसलमेर की जनता, 80 परसेंट लोग पशुपालक हैं। आज स्थिति इस प्रकार से हो रही है, बजट भाषण में भी कहा गया कि सेवण घास और लगाएंगे और विकसित करेंगे, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जैसलमेर में सेवण घास उगाने की जरूरत नहीं है; कुदरत ने हमें इतनी सेवण दी है, उसका सही संरक्षण और सुरक्षित रखा जाय तो वहां के पशुपालक बचेंगे तो बचेंगे, पूरे राजस्थान प्रदेश में भी, कुदरत ने साथ दिया तो बच सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार से यह पवन ऊर्जा और सोलर ऊर्जा लगायी जा रही है, सदन से निवेदन है कि इसका हम भी स्वागत करते हैं, मैं

(श्री छोटूसिंह भाटी)

बार-बार सदन से निवेदन करता हूं, लेकिन इनको इस हिसाब से लगाया जाय, ऐसे क्षेत्र में लगाया जाय, जहां प्राकृतिक घास लगी हुई है उस घास में इनको नहीं लगाया जाय। खूब सारी जमीन हमारे पास है, सीमा क्षेत्र में भी है, बाकी मगरा एरिया है, वहां भी आप लगाएं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, ये डिस्टर्ब करते हैं तो मैं भूल जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप कहां से आ गए? आप तो चले गए थे कल। आप खाना खाकर आए हैं।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): जी। मेरा निवेदन है कि जिस हिसाब से पशु को आधा बीघा जमीन आप दे रहे हो, मैं रेवेन्यू मंत्री माननीय हेमाराम जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आधा बीघा के लिए एलान किया लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केवल गाय ही नहीं हैं जैसलमेर में। पूरे राजस्थान में गाय हैं, भेड़ हैं, बकरी हैं, ऊंट हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, सभी प्रकार के पशु हैं, उनके साथ में और भी जंगली पशु भी हैं, हम चाहते हैं कि गाय को जिस प्रकार से दे रहे हो तो प्रत्येक पशु हेतु उस हिसाब से जमीन आरक्षित की जाए। लेकिन आज स्थिति यह है कि नहर निर्माण के बाद में जो अनकमांड लैण्ड है, वह बेची जा रही है, सीमा बिक रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम जैसलमेर के तमाम वासी आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि उस जमीन को आरक्षित किया जाए ताकि आने वाले समय में पशुपालक लोग वहां रह सकें। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, विशेषकर आपका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि एक तो जो अन्कमांड लैण्ड है उसको रोका जाए। माननीय पूर्व मंत्री गोरधन जी कल्ला ने भी कहा है, हम सभी कह रहे हैं, इस सदन को जैसलमेर के सभी पशुपालकों की फरियाद है कि जो अन्कमांड लैण्ड है कृपया उसको रोका जाए। साथ में जो हमारी 60 हजार फाइलें, उस जमीन के लिए जो 40 प्रतिशत आप नीलामी पद्धति द्वारा दे रहे हो, उन फाइलों में जैसलमेर जिले की जो सामान्य की फाइलें पड़ी हैं, उन्हें दी जाए।

उसके साथ में, हम पशुपालकों की ओर से निवेदन करना चाहते हैं कि जैसलमेर जिला पूरा पशुपालक है और वहां वेटेरिनरी हास्पिटल में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री रामलाल जी गुर्जर। माननीय, विराजें।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): किसी भी प्रकार की हास्पिटल में गाड़ी भी नहीं है। पशु को हास्पिटल में नहीं ला सकते।

श्री उपाध्यक्ष: आप अब विराजो, विराजो। थैंक यू। रामलाल जी, स्टार्ट करो। रामलाल जी गुर्जर का अंकित हो। केवल रामलाल जी गुर्जर।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय रामलाल जी, आप तो अच्छे वक्ता हो, पांच मिनट में पूरी बात बता दो।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि व पशुपालन की मांग संख्या 37 और 39 पर मैं आपके माध्यम से विचार रख रहा हूं। साफा बांधने वाले ओरिजिनल काश्तकार आप देख लो, पूरी विधान सभा में 3-4 होंगे और असली काश्तकार हैं, जन्मजात काश्तकार हैं, अच्छे सुझाव देंगे और उसमें समय लगे तो आप हमें जरूर अनुमति दें। इतनी देर तक बैठे हैं, सूर्योदय हो जाए तो भी हम काश्तकारों के लिए बैठने को तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो मेरे कहते ही समाप्त कर दीजिए। आप चुपचाप कृपया समाप्त कर दीजिए।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि काश्तकार किसान कर्ज में ही जन्म लेता है और कर्ज में ही मरता है। उसकी सुनने वाला भी कोई नहीं होता है। ऊपर वाला जरूर सुनता है लेकिन ऊपर वाला भी कभी अनदेखी कर देता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कृषि जिन्सों के भाव व्यापारी तय करता है जबकि व्यापारी जो फैक्टरियां, उद्योग, वगैरह लगाते हैं, उनकी रेट व्यापारी तय करके मार्का लगाकर फिर बाहर प्रोडक्ट को निकालता है। काश्तकारों की जो कृषि जिन्सें हैं, वे अलग-अलग भाव से अलग-अलग बेची जाती हैं। कोई रेट वे निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अभी कृषि का समर्थन मूल्य, गेहूं के समर्थन मूल्य के केन्द्र भी समय पर नहीं खुलते। प्राइवेट कम्पनियों का जमावड़ा हो रहा है और काश्तकारों की अनदेखी की जा रही है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन ले लें उद्यान के तहत। जैसा कि आपको मालूम है कि आंवला, अनार, अमरूद की जो कृषि उद्यान वाली हैं, इनके लिए,

(श्री रामलाल गुर्जर)

आंवले के लिए उद्यान विभाग द्वारा छूट देकर प्रोत्साहित किया गया कि ये मेडिसन प्लांट भी हैं और काश्तकारों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, तो आंवला बोया। आंवला दो रुपये, तीन रुपये, पांच रुपये किलो है। मैं हकीकत में ओरिजिनल कह रहा हूं। मैंने 7-8 साल से खुद ने आंवले बो रखे हैं लेकिन इन्कम कुछ नहीं है। खाली खाद होता है। इस बार थोड़े-बहुत लेकर गये और बेचे थे, बाकी बेचा भी नहीं और बेचने का मन भी नहीं करता। इसलिए आंवले के प्रोडक्ट की अच्छी से अच्छी फैक्टरियां, उद्योग हों और बाहर निर्यात करके फैक्टरियों को प्रोत्साहन दें। जब तक हम प्रोत्साहन नहीं देंगे तो काश्तकार बरबाद होते जाएंगे। अनार वगैरह हैं, इनके प्रति भी प्रोत्साहित करना चाहिए। आंवले वाले मैटर को अगर आगे फैक्टरियों के माध्यम से अचार, मुरब्बे, आदि जो भी प्रोडक्ट बन सकें, उस हिसाब से विस्तार से किया जाए।

फूलों के बागान वगैरह जो लगाए जाते हैं, यहां नहीं हो तो पिछली बार जैसा कि वसुंधरा राजे जी के टाइम में बी जे पी के शासन में काश्तकारों के लिए फल, सब्जी, वगैरह बाहर निर्यात किये जाते थे, अनुदान दिया जाता था तो यह गवर्नमेंट भी अनुदान दे और बाहर निर्यात करे, अगर यहां रेट पर्याप्त नहीं मिल पाती तो।

फसलों के बीजों के प्रमाणीकरण के लिए आपने 127 बीज केन्द्र बना रखे हैं जो क्रियाशील हैं, 39 सार्वजनिक क्षेत्र में और 88 निजी क्षेत्र में। लेकिन इनकी देखरेख होनी चाहिए, इनके ऊपर पूरी चौकसी होनी चाहिए क्योंकि बीज ही सब कुछ है। अगर प्रमाणित बीज भी गलत मिल गया तो फिर कोई सुनने वाला ही नहीं है। प्रमाणित बीज उत्पादन में जो आपने 259 संस्थाएं बना रखी हैं, उनकी क्या समय-समय पर देखरेख हो रही है? नहीं हो रही है।

राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत जो 50 से 70 प्रतिशत के लगभग पानी की बचत होती है उसमें 90 प्रतिशत तक काश्तकारों को छूट दी जाती है, अच्छी बात है यह छूट लेकिन इस बार जो नियम भेजे हैं, उनमें यह कर दिया कि पहले 100 प्रतिशत काश्तकार जमा कराएगा, फिर बाद में उसको चैक जारी करेंगे। लम्बे टाइम तक, 6 महीने, साल भर तक चैक जारी नहीं हों और काश्तकार एक लाख रुपये लगा दे तो वह सहन नहीं कर सकता है। इसलिए 10 प्रतिशत जमा कराएं और बाकी डायरेक्ट दें। इसमें यह हो कि चौकसी रखी जाए, उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो, पारदर्शिता हो, यह जरूर चौकसी की जाए।

(श्री रामलाल गुर्जर)

राष्ट्रीय बम्बू मिशन, यह बम्बू मिशन न जाने क्या है। सुनकर ही लोग सोचते हैं कि बम्बू मिशन तो बहुत अच्छा है लेकिन पौधशालाओं का विकास, बांस की खेती की नवीन तकनीक, फसल प्रबंधन एवं विपणन, आदि के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है लेकिन न जाने कहां पर दिया जा रहा है, कहां पर हो रहा है, हमारी जानकारी में तो आया ही नहीं। जब हमारी जानकारी में नहीं आया तो यह क्या है और कैसे चल रहा है, इसका ऊपर वाला ही मालिक है।

राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन के तहत आपने जो माडल नर्सरी, छोटी नर्सरियों की स्थापना औषधीय फसलों के लिए की है। इसमें सफेद मूसली, ग्वारपाठा, मुलेठी, इसबगोल के लिए काश्तकारों को प्रेरित करना चाहिए, जाकर प्रचारित करना चाहिए ताकि अच्छी किस्म, अच्छी पैदावार हो सके।

जैसा कि राजस्थान किसान आयोग का गठन किया गया, लेकिन गठन का कुछ है नहीं, खाली नाम राजस्थान किसान आयोग है। कृषि नीति; कृषि नीति अभी तक बनी नहीं, अंतिम रूप दिया जा रहा है; न जाने यह अंतिम रूप कब पूरा होगा, न जाने किधर है सरकार लेकिन बी जे पी की सरकार आएगी तो कृषि नीति जरूर बनेगी, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आपने जो डिग्गियां, फार्म पोण्ड और जल हौज जो बनाए हैं, इनके टार्गेट और बढ़ाए जाएं; बहुत अच्छी स्कीम है लेकिन इसमें बढ़ोतरी की जाए ताकि आम काश्तकारों को फायदा हो और पानी का इजाफा हो, तो अच्छी बात है।

मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना है, इसके लिए 12 भ्रमणशील मोबाइल प्रयोगशालाएं हैं। अब मोबाइल की देखरेख भी हो। न जाने ये मोबाइल कहां पर चल रही हैं, हमारी जानकारी में पूरी आई नहीं, इसलिए आपकी जानकारी में दे रहे हैं।

इसके अलावा, आपने कृषक मित्र लगाए हैं, अब कृषक मित्र न जाने कहां पर लगे, कैसे लगे, इसका किसी को मालूम नहीं। प्रशिक्षण पूरा हो गया 16,241 का तो और ले लिए 19,578 । जब एम एल एज की जानकारी में ही नहीं आया तो न जाने, यह कहां से क्या हो रहा है। इसका तो भगवान ही मालिक है।

फव्वारा, ड्रिप सिस्टम के जो टार्गेट हैं, जितने फार्म भरें, उनको सबको....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय रामलालजी, संक्षित करो आप।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): मैं शार्ट कर देता हूं आपके कहने से। अब मैं पशुपालन पर डायरेक्ट आ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, बिलकुल समाप्त करो।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): पशुपालन, अच्छी नस्ल के पशु वगैरह काश्तकार रखते हैं तो इस पर अनुदान और बढ़ाया जाए। इसके अलावा, दूध के भाव जो अभी हैं, पानी की बोतल और दूध के भाव एक हैं। कहां पर पानी, कहां पर दूध है! तो कम से कम ये रेट थोड़ी ऊंचाई तक निर्धारित की जाए। दूध के पाउडर के प्लांट, रसगुल्ले, आइस्क्रीम ज्यादा से ज्यादा बनाए जाएं।

इसके अलावा, मेरा एक सजेशन है, शिक्षा मंत्रीजी भी यहां विराजमान हैं, मिड-डे मील के अन्दर अगर बच्चों के लिए एक टाइम दूध की व्यवस्था की जाए तो दूध की खपत भी ज्यादा होगी और बच्चे भी हृष्ट-पुष्ट व तरोताजा होंगे।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिए, विराजिए। अब विराजिए।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अब विराजिए।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): अब ओनली वन बात, अपनी ग्वार जो है, ग्वार का भाव 32 हजार रुपए क्विंटल है। तो सब्सिडी पर गवर्नमेंट इस बार बीज उपलब्ध कराये। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें प्लीज। कृषि मंत्रीजी को जवाब देना है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट का समय दिया जाय बाबूलालजी खराड़ी को।

श्री उपाध्यक्ष: पांच मिनट तो बहुत होते हैं; अच्छा दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें। उसके बाद मंत्रीजी। भिण्डा साहब, यह ...(व्यवधान)

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): दो जनों को बोलने की पहले व्यवस्था दे दी थी आपने।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलेंगी? पहले माननीय रीटाजी।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): मैं बोलना नहीं चाह रही हूं लेकिन जब व्यवस्था पहले दी थी कि दो सदस्य बोलेंगे। यह कोई बात होती है क्या आप लोगों की? (व्यवधान) सदन हाइजेक करना चाहते हो आप।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये, बिरलाजी। बाबूलालजी, आप स्टार्ट करिए, नहीं तो समय जा रहा है आपका। आपका समय जा रहा है।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): आप लोग तो पहले बोल लेते हो, आपके साथियों को बाद में तकलीफ आती है। अब आप चिल्ला रहे हो खड़े होकर के, आप हमेशा पहले एक घंटे बोलते हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब, बाबूलालजी, आपके दो मिनट निकल गए, आपके तीन मिनट बाकी हैं।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अंतिम वक्ता के रूप में समय दिया। आज मांग संख्या 37 और 39 पर चर्चा हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो सीधा बोल दें।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): महत्वपूर्ण मांगें हैं, किसानों से जुड़ी हुई हैं और किसान के विषय में हम अगर बात नहीं कहें तो हम पाप के भागीदार बनेंगे।

उपाध्यक्षजी, यहां काफी सदस्यों ने किसान के बारे में चिंता व्यक्त की है, मैं भी इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इतना कहना चाहूंगा कि आज किसान के लिए बात तो खूब हुई लेकिन किसान के हालात क्या है? आज किसान के हालात ये हैं कि एक उद्योगपति अपनी फैक्टरी में माल तैयार करता है और तैयार करने के बाद जब बाजार में जाता है तो अपना सारा का सारा खर्चा जोड़कर के और अपना मुनाफा भी जोड़कर के माल का बाजार में वितरण करता है, आज किसान की हालत यह है कि वह जमीन का पेट फाड़कर के अनाज पैदा करता है लेकिन उसके भाव की खुले बाजार में बोली लगती है। तो किसान किस तरह से ऊपर आएगा? होना यह चाहिए कि किसान भी अपना अनाज पैदा करे, उसका भाव किसान तय करेगा, तभी जाकर के किसान का भला होगा। यह मेरा सरकार से सुझाव है।

दूसरा एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं, हमारे माननीय भिंडा साहब ने यह विषय उठाया था, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अगर उस आदिवासी एरिये में आदिवासी को उठाना चाहते हो आप, तो नरेगा के अन्दर आप व्यक्तिगत काम भी देते हो, और आपके बागवानी के लिए भी पैसा देते हो, आप क्यों नहीं, उस आदमी को उठना चाहते हो तो फलदार वृक्ष आम के पौधे दो, आम के पेड़ दो? और व्यक्ति जब तक वह पौधा बढ़ा करें, तब तक सरकार उसकी मजदूरी के लिए नरेगा के अन्दर उसको पैसा दें। तो कम से कम उसका पेट पालन भी हो जाएगा। जब वह पेड़ फल देने लग जाए, उसको बाजार उपलब्ध

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

करायें। वह निश्चित रूप से अपने परिवार का पेट पालेगा और उसका जीवन स्तर ऊपर उठ जाएगा। मैं ये दो सुझाव देना चाहता था।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की दो मांगें हैं, एक झाड़ोल और कोटड़ा में कृषि उपज मण्डी की स्थापना होनी चाहिए क्योंकि वहां का किसान ठगा जा रहा है। व्यापारी कौड़ियों के भाव अनाज ले लेता है, उसको सही भाव नहीं मिलता है। इसलिए वहां पर कृषि उपज मण्डी की स्थापना की जाए।

पशुपालन पर कन्थारिया और बिरोटी, हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, नि:शुल्क दवाई वितरण कर रहे हैं लेकिन वहां पर हास्पिटल ही नहीं होगा, आपका उप-स्वास्थ्य केन्द्र ही नहीं होगा तो वे दवाइयां किसको देंगे हम? तो कन्थारिया और बिरोटी में दो पशु उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र के आदिवासियों का भला होगा।

आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री हरजीरामजी बुरड़क, कृषि मंत्रीजी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, सामने स्क्रीन पर माननीय सदस्य जब बोलते हैं तो उनका नाम अंकित होता था। यह क्या हुआ? स्टाफ छुट्टी पर है क्या?

श्री उपाध्यक्ष: यहां का स्टाफ ध्यान रखेगा।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): वह नाम इसलिए नहीं आया कि आपको ग्रेस पीरियड दिया था बोलने के लिए उन्होंने, मंत्री का नाम पुकारने के बाद में।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): वह कोई बात नहीं है, मंत्रीजी को हम रोक नहीं रहे हैं, मंत्रीजी का नाम भी नहीं आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कृषि मंत्रीजी। केवल कृषि मंत्री का।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बिरलाजी, आप कल का कोटा आज पूरा मत करें। कल मौका नहीं मिलेगा आपको बोलने का।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37 पर कुल 46 कटौती प्रस्ताव आए थे और उन प्रस्तावों के सम्बन्ध

(श्री हरजीराम बुरड़क)

में जिन भी माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लेकर अपने विचार प्रकट किए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं और बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस संवेदनशील विषय पर अपने विचार प्रकट किए। विचार प्रकट करना, यह कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें मानी जाएं लेकिन सरकार का यह भी मानना है कि कोई भी सदस्य अगर उपयोगी सुझाव दें और वे स्वीकार करने योग्य हैं, वे स्वीकार करने में भी राज्य सरकार को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

जहां तक कृषि विभाग का सवाल है, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि गत तीन वर्षों में कृषि विभाग में बागवानी में बहुत बड़ी प्रगति हुई है और जिसके उदाहरण मैं आपको एक-दो प्रस्तुत करूंगा। अभी यहां एक किसी माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि जब से कृषि विभाग सम्भाला है, तब से कृषि विभाग का भट्ठा बैठ गया। वह अपने विचार है, मेरे को इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वर्ष 2010-11 में पूरे देश में दलहन उत्पादन में राजस्थान प्रथम रहा और इसके लिए भारत सरकार ने एक करोड़ रुपए का इनाम दिया।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। आप विराजिए।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। माननीय देसाईजी, आप विराजिए। केवल हरजीरामजी बुरड़क का अंकित होगा।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): उस समय प्रधान मंत्रीजी ने और कृषि मंत्रीजी ने यह विचार व्यक्त किए थे कि आज तक राजस्थान पहले ... (व्यवधान) ऐसा था और आज यह सिद्ध हो गया कि राजस्थान में कृषि विकास हो सकता है। यह पूरे राजस्थान में क्या, पूरे देश में जो राजस्थान प्रथम आया है, यह पहला अवसर है। इतने वर्षों बाद ...(व्यवधान) आपने अपनी बात कह दी।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, आप तो बोलिए, केवल आपका अंकित हो रहा है। केवल आपका अंकित हो रहा है। बैठे-बैठे बोलने का वैसे नहीं है। वे मंत्री रहे हैं, फिर भी बैठे-बैठे बोल रहे हैं। अच्छी बात है क्या यह? सदन में अपन ने सुबह ही माना है कि सदन का सिस्टम जो है, वही चालू होना चाहिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): आज तक राजस्थान में क्या, पूरे देश में किसानों को इनाम देने की बात किसी ने सोची तक नहीं, देने का तो दूर रहा। जो किसान खेत में धूप में, सर्दी में, हवा में, बरसात में खड़ा रहकर के पूरी दुनिया का पेट पालता है, उसको इनाम देने के लिए किसी ने आज तक नहीं सोचा। माननीय मुख्य मंत्रीजी, अशोक गहलोत साहब की जब सरकार बनी तब इस इनाम की शुरुआत हुई और गत दो वर्षों का इनाम काश्तकारों को दिया जा चुका है। इस इनाम में करीब 496 काश्तकार सम्मानित होते हैं और 10 हजार से लेकर 50 हजार रुपए तक का इनाम दिया जाता है। तीसरे इनाम की अभी लिस्ट तैयार है, ये थोड़े दिनों में इनाम देने की कार्यवाही की जाएगी। यह भी पहली घटना है।

अभी शरद पवार साहब यहां आये थे, दूसरी बार जब इनाम वितरण हो रहा था, उस समारोह में पंवार साहब ने कहा कि देश में पहला राज्य है राजस्थान जहां किसानों को सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने इस काम की बहुत बड़ी प्रशंसा की। इसके अलावा 2009-10 में जब अकाल पड़ा था और अकाल के टाइम में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किसानों को कोई मुआवजा देने की व्यवस्था आज तक नहीं थी लेकिन राज्य सरकार ने लघु और सीमान्त कृषकों को आठ सौ करोड़ का मुआवजा पहली बार राजस्थान में दिया है और मेरे को यह भी बताया गया है कि आज तक किसी दूसरे प्रदेश में मिला भी नहीं है। यह भी एक पहली घटना है। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ×××

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): किसान आयोग का गठन भी पहली बार हुआ है। कृषि नीति ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): ×××

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): आप ही के जिले के हैं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: आप उत्तेजित मत करिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): वे आपके जिले के हैं, इसलिए आप नाराज हो क्या उनसे?

श्री उपाध्यक्ष: यही बात तो गड़बड़ कर जाती है आपकी।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप, पारीक साहब, समझते हो, फिर इनको समझाते क्यों नहीं हो? आप ही ने तो इनको इधर से उधर किया था।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए तीन हजार ग्राम पंचायतों में, 259 पंचायत समितियों में, मुख्यालयों पर इस वर्ष किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में कराया जाएगा।

अभी कई माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई कि विभाग में बहुत से पद खाली हैं, वास्तव में खाली हैं, लेकिन 1,172 पदों की भर्ती की प्रक्रिया चालू है और इससे पहले ही आठ सौ पर्यवेक्षकों की भर्ती की कार्यवाही विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा की जा रही है।

महिला कृषकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विषय में अध्ययनरत उच्च माध्यमिक कक्षाओं की छात्राओं की प्रोत्साहन राशि तीन हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार, बी एस सी, एम एस सी छात्राओं की पांच से दस हजार और पीएच डी करने वाली छात्राओं को दस हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये की गई है।

राज्य में जल की कमी को देखते हुए फसलों की सिंचाई हेतु वर्षा जल संग्रहण व उपलब्ध जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए फार्म पोंड पर निर्माण अनुदान राशि की अधिकतम सीमा पचास हजार रुपये से बढ़ाकर साठ हजार रुपये तथा डिग्गी हेतु अनुदान राशि दो लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये की जा रही है तथा आगामी वर्ष में 15 हजार फार्म पोंड्स व डिग्गियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

कृषकों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश में आगामी वर्ष स्वीकृत किये जाने वाले एक लाख रुपये तक के फसली ऋणों पर, समय पर चुकाने पर, ब्याज राशि अनुदान के रूप में राज्य सरकार देगी। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): प्रगति विवरण नहीं है, ये तो घोषणाएं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय उप नेता महोदय, आपसे उनकी मित्रता सब जानते हैं, उस मित्रता को प्रदर्शित मत करिये यहां पर।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): वर्तमान में राज्य में काफी संख्या में किसान बंटाई पर खेती करते हैं किन्तु खेत पर उनका मालिकाना हक नहीं होने के कारण उन्हें न तो फसली ऋण की सुविधा उपलब्ध है और न ही कृषि विभाग की योजनाओं में अनुदान का लाभ मिल पाता है। अतः बंटाई पर खेती करने वाले किसानों को फसली ऋण तथा राजकीय योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र बनाने हेतु कानूनी प्रावधान कर लाभान्वित किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप कुछ भी कहो, पूरा भाषण देंगे। इसलिए शांति से सुन लें। तिवाड़ीजी कमजोर पड़ गये आपके सामने।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में रुपये 35 करोड़ का प्रावधान रखा गया। यह कार्यक्रम राज्य के 16 जिलों में क्रियान्वित किया गया है और यह आगे भी चालू रखा गया है। इसमें जो सूखा सम्भावित क्षेत्र हैं, उसमें कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने जो नयी योजना लागू की, उसके अन्तर्गत यह चलाया जा रहा है।

अभी यह बात भी सामने आयी कि नरेगा के कारण कृषि को नुकसान हो रहा है। इसके लिए भी महात्मा गांधी नरेगा 'अपना खेत अपना काम' योजना राज्य में बी पी एल परिवारों, अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु एवं सीमान्त कृषकों, जिनकी आजीविका का आधार भूमि एवं कृषि गतिविधियां हैं, के खेतों में भूमि सुधार, सिंचाई व्यवस्था सुधार, डिग्गी, टांका, खेत तलाई, पानी के धोरों में पक्का करने, बागवानी, बागान व भूमि विकास, चारा उत्पादन, वृक्षारोपण, पारम्परिक जल स्रोतों का नवीनीकरण जैसे आवश्यक कार्य लिए जाएंगे। 'अपना खेत अपना काम' के अन्तर्गत प्रत्येक जाब कार्ड धारी को डेढ़ लाख रुपये तक की सीमा में व्यक्तिगत लाभ का कार्य स्वीकृत किया जा सकता है। अनुमति की सीमा डेढ़ लाख में श्रम मद व व्यय की अधिकतम निर्धारित सीमा सामग्री मद में 60 है। योजना के अन्तर्गत बीस लाख ग्रामीण बी पी एल परिवारों को 2012-13 में 'अपना खेत अपना काम' योजना में आठ लाख से अधिक कार्य स्वीकृत किये गये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अभी माननीय गुरमीत सिंहजी कुन्नर बोलेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): जहां तक खजूर की खेती का सवाल है, अपने यहां इजरायल के विशेषज्ञ आये थे, उन्होंने जैसलमेर का भ्रमण किया

(श्री हरजीराम बुरड़क)

और वापस आकर उन्होंने यह कहा कि हमारे ध्यान में यह था कि गुजरात खजूर की खेती में प्रथम है लेकिन जैसलमेर और जोधपुर को देखकर के हमें यह लगा कि राजस्थान प्रथम है और हम यहां पर एक प्रयोगशाला खोलेंगे।

जोधपुर में जो टिश्यु कल्चर प्रयोगशाला का अभी उद्‌घाटन हुआ, वह वर्ल्ड में पहली प्रयोगशाला है। इसमें ढाई लाख पौधे प्रति वर्ष उत्पादित किये जाएंगे जो किसानों को अनुदानित दरों पर उपलब्ध कराये जाएंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): कटारियाजी हमारे साथ वहीं थे।

श्री उपाध्यक्ष: फल लागे अति दूर, पंछी को छाया नहीं। अब आप पूरा कर दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पड़े तो मेवा चाख ले और पड़े तो चकनाचूर। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): एक बात यहां कई माननीय सदस्यों ने कही कि फव्वारा ड्रिप, पाइप लाइन, आदि का पेमेंट बहुत लम्बे समय तक नहीं होता; आज की तारीख में 31 मार्च तक जो भी सेट लगे हैं उनका किसी का एक पैसा भी अनुदान का बकाया नहीं है। अभी यहां कहा गया, तीन-तीन साल से बकाया है, फलाना है।

सौर ऊर्जा एक बहुत बडी महत्वपूर्ण योजना है। इस समाप्त हुए साल में 500 यंत्रों की स्थापना की गई है। ये संयंत्र मुख्य रूप से सतही जल स्रोतों पर सौर ऊर्जा ...(व्यवधान) स्प्रिंकलर तथा बागवानी फसलों के काम में आता है। पम्पों की बढ़ती मांग को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2012-13 में 2,200 सौर ऊर्जा संचालित पम्पों को स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप पूरा होने दीजिए।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ×××

श्री उपाध्यक्ष: खण्डेलाजी, आप विराजिए, प्लीज।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): विशेषज्ञ आये थे, उन्होंने जैसलमेर

(श्री हरजीराम बुरड़क)

में देखने के बाद यहां पर एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया जो राजस्थान में एक जैसलमेर में, एक कोटा में और यहां बस्सी में, तीन केन्द्र स्थापित करने की सहमति जताई है।

इसके अलावा, और भी जो कृषि विभाग के काम हैं, उनके बारे में आपने जो सुझाव दिये हैं, उनका अध्ययन करके अगर मानने लायक होंगे तो मानेंगे। जहां तक अपनी-अपनी शिकायतों की बात है या कट मोशन का सवाल है, उनके कल तक आपको उत्तर मिल जायेंगे।

पशुपालन और मत्स्य विभाग में 185 प्रस्ताव आये थे, उनमें पशुपालन के ही अधिकतर प्रस्ताव हैं, मत्स्य विभाग के एक-दो ही प्रस्ताव हैं। पशुपालन विभाग में, जैसा कि अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा, पशु पालन विभाग में तीन वर्षों में बहुत अच्छा काम हुआ है। जहां तक पशु चिकित्सा का सवाल है, पिछले कई वर्षों से नये पशु चिकित्सालय नहीं खुले और न ही कोई क्रमोन्नत हुए, लेकिन गत दो वर्षों में एक हजार से ऊपर उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले, पशु औषधालयों में क्रमोन्नत किये, पशु हास्पिटलों में क्रमोन्नत किये और तहसील मुख्यालयों पर प्रथम श्रेणी के चिकित्सालय भी खोले गये। इस साल में 400 पशु उप-स्वास्थ्य केन्द्र और 200 उप-केन्द्रों को क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार करीब 1,600 चिकित्सा सेवाएं हो जायेंगी। पिछले अगर कई वर्षों का हिसाब देखें तो उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई थी। इसको देखते हुए आज भी बहुत कमी है। कई एरिये ऐसे हैं जहां पशु चिकित्सालय नहीं है और जहां नहीं हैं, वहां पर पशुपालकों को लाभ देने के लिये 'पशु चिकित्सक पशुपालक के द्वार' योजना शुरू से चालू की थी और उस योजना में बहुत से पशुपालकों ने लाभ उठाया। इसमें जो पशुओं का इलाज किया जा रहा है, उसमें दवाइयां उनको मुफ्त दी जा रही हैं।

और भी अनेक पशुपालन की योजनाएं हैं जिनसे लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। इस साल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में पशु चिकित्सा के लिये दवाइयां फ्री करने का जो एलान किया है, उससे बहुत बड़ी राहत पशुपालक उठायेंगे। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): डिस्टर्ब तो कभी-कभी, मेरे को लगता है, आप भी हो जाते हो। पड़ोसियों से होते हो आप।

श्री उपाध्यक्ष: क्या कहा! लेकिन तिवाड़ी साहब निरुत्तर हो गये। एक ही दफा बोले, निरुत्तर हो गये।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): आपने कहा ना कि रूपारामजी की बात, मैं रूपारामजी की बात पर कहना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने...

श्री उपाध्यक्ष: आवश्यक हो तो ही जवाब देना।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): जो मेरे खिलाफ आरोप लगाये...

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आरोप नहीं लगाये, बरसात अच्छी हो गई, इसलिए कहा है उन्होंने।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): वह सरासर गलत है कि उसके बेटे ने रिश्वत ले ली, इसने ले ली, यह कह दिया, वह कह दिया; यह सरासर गलत है। आपकी जितनी उम्र है, उससे ज्यादा मेरा राजनीतिक जीवन है। अगर ऐसे ऊट-पटांग करता तो इतने लम्बे समय तक मैं कैसे टिकता? आपको यह भी पता है कि मैं एक ही विधान सभा क्षेत्र से लगातार 10 बार चुनाव लड़ा हूं। राजस्थान में कोई एक भी बता दो जो 10 बार एक जगह से चुनाव लड़ा हो? विधायक ज्यादा बार रहे हैं, चुनाव ज्यादा लड़े होंगे लेकिन एक जगह से लड़ने वाला कोई नहीं है। अगर मैं लोगों के साथ ऐसा करता तो मेरे को वोट कौन देता? इसकी अगर आपको जांच करानी है तो आप चाहे जिस एजेंसी से करा लेना, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं बिलकुल निर्दोष हूं। इनकी तो यह आदत है, ये हमेशा करते रहते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री गुरमीत सिंह कुन्नर।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल गुरमीत सिंहजी कुन्नर का अंकित होगा। माननीय विधायक महोदय, आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37 और 39 को पारित किया जाये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं होगा। केवल गुरमीत सिंहजी कुन्नर का अंकित होगा। हां, कुन्नर साहब, आप स्टार्ट करो।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने ...

श्री उपाध्यक्ष: आप पूरा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय सदस्यों ने कृषि एवं कृषि विपणन विभाग की मांगों की चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण सुझाव दिये। मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

किसानों की बेहतरी के लिये सरकार के प्रयासों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आगे भी सरकार किसान की बेहतरी के लिये अपना महत्वपूर्ण योगदान देती रहेगी। वर्ष 2011-12 में मंडी शुल्क की आय 319 करोड़ 92 लाख थी, मुझे माननीय सदस्यों को बताते हुए खुशी है कि वर्ष 2011-12 में मंडी समितियों की आय 447 करोड़ 92 लाख हुई, जो गत वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत ज्यादा है। इसके लिये मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों के सहयोग के लिये उनका धन्यवाद करता हूं; धन्यवाद देता हूं हमारे विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जिनके प्रयासों से हम इतना मण्डी शुल्क अर्जित करने में सफल हुए।

किसानों को उनकी उपज का बेहतर भाव मिले, मूल्य मिले, इसके लिए 2010 में कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति बनी। उसके तहत मण्डियों में छोटी-छोटी इकाइयां लगें इकाइयों के माध्यम से रोजगार और निवेश के रास्ते खुलें, छोटी-छोटी इकाइयां लगें जिससे कि वहां किसान अपने माल का प्रोसेस करा सके, ग्रेडिंग करा सके। उसके तहत विभाग के पास 34 प्रस्ताव आए, 34 प्रस्तावों में हमने 46 हजार वर्ग मीटर भूमि उद्यमियों को अलाट की जिसमें उनका 100 करोड़ का निवेश होने की सम्भावना है। ये छोटे-छोटे प्रोजेक्ट जब चालू हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर किसान को बेहतर भाव मिलेगा, अच्छे रोजगार भी वहां खुलेंगे।

इसके बाद हमने कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में रुझान बढ़ाने के लिए कृषि जाग्रति कार्यक्रम चलाया। प्रदेश के 17 जिलों में किसानों को यह जानकारी दी गई कि आप अपनी फसल का बेहतर मूल्य कैसे ले सकते हैं। किसान सीधा खेत से माल लेकर मण्डी में आता है, उसमें कूड़ा, मिट्टी, सब कुछ होता है, उसकी वजह से उनको अच्छा भाव नहीं मिलता। इसके लिए हमने राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के सहयोग से 17 जिलों में कैम्प लगाएं, लगभग 1,200 कृषकों को इसकी जानकारी दी।

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

फल और सब्जियां हमारी रोज की आवश्यकताएं हैं और जल्दी ही इनके खराब होने की सम्भावना रहती है। फल और सब्जियों की लाइफ-लाइन बढ़े, इसके लिए भारत सरकार के सहयोग से 17 हजार मिट्रिक टन क्षमता के 6 कोल्ड स्टोर प्रदेश में बन रहे हैं, जिनमें 2 कोल्ड स्टोर बनकर तैयार हो गए, जोधपुर और सीकर के, बाकी निर्माणाधीन हैं। कोल्ड स्टोर्स के बनने से जहां हमारी सब्जियों की लाइफ-लाइन बढ़ेगी, ग्राहकों को भी फायदा होगा।

इसके बाद, हर वर्ष हमारे प्याज की जो दिक्कत आती है कि प्याज एकदम खेत से निकालते ही किसान मण्डी में लाता है और एकदम आवक होने से उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसके लिए हमने एक योजना बनाई, नासिक गये, नासिक में जाकर उनके भण्डारण की व्यवस्था देखी। वहां वैज्ञानिक भण्डार बने हुए थे। उन भण्डारणों को देखा और आकर अलवर और सीकर में नमूने के तौर पर 2 भण्डारणों का निर्माण कराया गया। इसमें अलवर का भण्डारण तो बनकर तैयार हो गया और सीकर का 1 जून तक बन जाएगा। मैं समझता हूं कि किसान अगर अपने खेतों में ऐसे भण्डारण बनाएंगे वैज्ञानिक तरीके से, हर खेत में ये बनें और उनमें 2 से 3 महीने तक प्याज रुकने की क्षमता है। मैं नहीं समझता कि उसके बाद किसान को उसका भाव नहीं मिलेगा।

राष्ट्रीय उद्यान विभाग द्वारा इसमें 50 हजार की सब्सिडी है, इसकी लागत लगभग सवा लाख है। सीकर में मैं गया था, तब वहां के किसानों ने, जन-प्रतिनिधियों ने मांग की थी कि यहां का किसान गरीब है, इसके लिए आप इसमें सब्सिडी और दो। तो मैंने वहां घोषणा की थी, वह उसी दिन से लागू हो गई थी कि कोई भी किसान अपने खेत में वैज्ञानिक तरीके से भण्डारण गृह बनाएगा तो 50 हजार तो उद्यान विभाग दे रहा है, 20 हजार रुपये उसको कृषि विपणन विभाग की ओर से दिये जाएंगे। सवा लाख की लागत में 70 हजार की सब्सिडी होगी। इसी तरह मैं सभी माननीय सदस्यों को कहूंगा जो उस क्षेत्र से आते हैं जहां प्याज की पैदावार होती है, किसानों को इस सब्सिडी के बारे में जानकारी दें तो किसान को एक अच्छा भाव मिलेगा और किसान का फायदा होगा।

राज्य में जीरा और धनिया, जीरे के प्रति सबकी चिंता है कि हमारा जीरा उन्झा मण्डी में जाता है। वास्तव में हमारे पास संसाधन राजस्थान में

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

नहीं थे, अभी विकसित हो रहे हैं। काफी जीरा उन्झा मण्डी में जाता है। वहां पार्टिशन से पहले की मण्डी बनी हुई है और उस इलाके से जो जीरा वाला इलाका है, उन लोगों का आना-जाना इस मण्डी में है और उनके भावनात्मक रिश्ते भी उनके व्यापारियों के साथ जुड़े हुए हैं। वहां भी मैंने जाकर देखा कि हर व्यापारी ने अपने-अपने प्रोसेस प्लांट लगाए हुए हैं, ग्रेडिंग के, सारे पैकिंग के। वहां बड़ी-बड़ी कम्पनियां भी बैठी हैं जो जीरे को खरीदती हैं और आगे निर्यात करती हैं।

उसी को देखते हुए हमने आगे प्रोग्राम बनाया, जैसा दो-तीन साल से चल रहा है जोधपुर में स्पाइस बोर्ड ने स्पाइस पार्क की स्थापना की, लगभग सारा काम पूरा हो गया। वहां प्लाट भी कट गए, वित्तीय मसालों की सफाई, ग्रेडिंग, सेटिंग, कटिंग, पिसाई, पैकिंग, प्रसंस्करण यूनिट, बीज को संक्रामक रोग नहीं लगे उसके लिए स्टीम, स्टर्लाइजर मशीन, बायलर हाउस का निर्माण हो रहा है। आने वाले दिनों में हमारे जीरा उत्पादकों की समस्या है यह भी दूर हो जाएगी, किसानों को अच्छा भाव मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है।

पिछले दिनों, कुछ महीने पहले मण्डियों के चुनाव हुए, माननीय सभी सदस्यों ने शांतिपूर्वक चुनाव कराने में अपना सहयोग दिया। महिला सशक्तिकरण के मामले में, महिलाओं को भी उसमें पूरी भागीदारी मिले, 33 परसेंट की बजाए 50 परसेंट उनको आरक्षण दिया गया। हमारी 125 मण्डियों के चुनाव में आधी महिलाएं मण्डी समितियों के अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं।

किसान किसी दुर्घटना का शिकार होता है काम करता, 2009 से जब से यह राशि बढ़ाई, किसी की मृत्यु होने पर एक लाख रुपया और दुर्घटना में दो अंग कटने पर 50 हजार रुपये। इस योजना का सबसे ज्यादा प्रचार-प्रसार हुआ। चालू वर्ष में अभी तक हम लगभग 16 करोड़ रुपये की राशि अनुदान के रूप में किसानों को दे चुके हैं, कुछ केस हमारे पेडिंग हैं। कुल मिलाकर 22 करोड़ रुपये किसानों के पास इस खाते में से जायेंगे। मैं समझता हूं कि हम किसी को, किसी परिवार का कोई आदमी खेती करते हुए किसी दुनिया में चला जाता है, उसको वापस तो ला नहीं सकते लेकिन उसके परिवार को सम्बल के रूप में...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनिट आप विराजेंगे? तिवाड़ी साहब, आपने मुझे बताया था कि जब कुन्नर साहब बोलें तो मैं यह कहूंगा कि एक लाख रुपये

(श्री उपाध्यक्ष)

किसान के लिए बहुत साधारण राशि है, बढ़नी चाहिए, मैंने कहा, मैं एतराज नहीं करूंगा। फिर आप चुप क्यों हो गए?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुझे विश्वास है, ये बढ़ा ही देंगे, कुन्नर साहब भले आदमी हैं।

श्री उपाध्यक्ष: इन्होंने कहा था, मैंने याद दिलाया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये मेरे पार्टनर भी हैं। ये मेरे पार्टनर भी हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पार्टनर हैं, कोई बात नहीं। सहयोग ही है, राजनीतिक पार्टनर हो सकते हैं, साथी हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं।

(21.00 बजे)

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): संवर्द्धन और प्रसंस्करण उपकरण किसानों को अच्छे मूल्य पर मिलें और फसल की उसमें ग्रेडिंग हो सके, उसके लिये विपणन बोर्ड के माध्यम से इस वर्ष दो हजार यंत्र, छोटे-छोटे यंत्र, जो किसान के काम में आते हैं, वे अनुदान के रूप में दिये जाएंगे। उनकी अनुदान राशि 75 प्रतिशत होगी, 25 प्रतिशत किसान देगा। 75 प्रतिशत उस पर अनुदान देकर किसान को वह छोटे-छोटे यंत्र देने का प्रोग्राम विभाग ने अपने हाथ में लिया है।

इसके साथ-साथ, प्रोसेसिंग प्रदर्शन इकाइयां, पांच ऐसी इकाइयां विकसित की जाएंगी जो ट्रैक्टर से चलें, चाहे मंडियों में मशीन मोटर लगाकर चलाकर दिखाई जाएंगी कि किसान किस तरह से अपनी उपज का अच्छा भाव ले सकता है, बेहतर भाव ले सकता है। उसकी सफाई कराए, ग्रेडिंग कराए, पैकिंग कराए, चाहे उससे अपना उत्पाद बनाए, इसके लिये अलग-अलग जगहों पर, जिस जगह पर, जिसकी मांग होगी, वहां मोबाइल इकाइयां होंगी, जाकर अपना दिखाएंगी, प्रदर्शन करेंगी और किसानों को प्रेरित करेंगी कि ये ऐसे काम करें तो आपके मूल्य में कुछ वृद्धि मिल सकती है।

जीरा जिस इलाके में होता है, यह पक्की जगह, पक्की जमीन में नहीं होता, रेतीली जमीन होती है। जीरा निकालते हैं, फसल का नुकसान होता है, मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी में मिले हुए जीरे का भाव भी नहीं मिलता है। इस काम को भी हमने कि किसान की फसल खराब नहीं हो, यह पहले साल में नमूने के तौर पर हमने किसानों को दो हजार तिरपाल देने का

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

एक टार्गेट लिया है अपने हाथ में; और मांग होगी तो और भी बढ़ाये जा सकते हैं। इसमें 50 प्रतिशत अनुदान एस.सी., एस.टी. के लिये होगा और 33.33 प्रतिशत सामान्य वर्ग के किसानों के लिये होगा। मैं समझता हूं कि इस तिरपाल से किसान के माल की बरबादी कम होगी, माल साफ-सुथरा होगा।

अगली कड़ी में, हमारी मंडियां जहां भी हैं, उन मंडियों में किसान माल लेकर आता है, अपनी फसल लेकर आता है लेकिन आगे फसल सम्भालने वाले हमारे मजदूर हैं, पल्लेदार हैं, हमाल हैं, उनको बैठने की कोई जगह चाहिए। उन लोगों की भी लम्बे समय से मांग थी। जब से किसान भवन बनने शुरू हुए तो उन्होंने भी कहा कि हमें भी कहीं न कहीं बैठने की जगह का इंतजाम करके दें। तो हमने इस वित्तीय वर्ष में, आने वाले वित्तीय वर्ष में सुपर ए-क्लास मंडियों और ए-क्लास मंडियों में लेबर शैड के रूप में, सभी लेबर जहां वह काम करती हैं, उनके लिये बनाकर देंगे।

सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु जो हमारे सामने माननीय सदस्य, सारे दिन जब विधान सभा चलती है, हमारे सामने बिजली का आता है। हमने गंगानगर में सौर ऊर्जा एक प्रयोग के तौर पर पिछले वर्ष लगवाई थी, गंगानगर मण्डी में, जहां हमारा बिल 18 से 20 हजार रुपये महीने का आता था। उसके पूरा आफिस, डी.डी. आफिस में, ए.डी. आफिस, फल-सब्जी मण्डी के सचिव के आफिस में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाये। उनके लगने से वह नार्मल बिल जो विभाग का जरूरी होता है, बाकी सारे खर्चे की बचत हुई। इसी कड़ी में हमने निर्णय लिया है कि सुपर-क्लास और ए-क्लास मंडियों में आने वाले दिनों में, सभी मंडियों में सौर ऊर्जा लगाई जाएगी ताकि बिजली की समस्या नहीं रहे, बिल से भी छुटकारा मिले और 24 घण्टे बिजली मिले।

किसान भवन जिला हैडक्वार्टर पर बनें। अन्य मंडियों से भी यह मांग आने लगी कि हमारे यहां भी, किसान भवन बने हैं, उनमें व्यावसायिक गतिविधियां भी हो गयीं लेकिन छोटी मंडियां हैं, जो ए-क्लास मंडियां हैं, कई जिलों के अलावा भी सुपर-क्लास मंडियां हैं, वहां भी किसानों के लिये विश्राम गृह बनें। तो इस काम को भी आने वाले साल में कराया जायेगा, सुपर-क्लास मंडियों में और ए-क्लास मंडियों में भी किसानों के लिये विश्राम गृह बनाए जाएंगे। यह आने वाले साल में हम जो काम करने जा रहे हैं। ये हैं।

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

अन्त में, मैं सभी माननीय सदस्यों का इस बात के लिये आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उनका समय-समय पर सहयोग और मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है, आगे भी उम्मीद करूंगा कि मिलता रहेगा।

कृषि विपणन सम्बन्धी जो भी कटौती प्रस्ताव आये हैं, उनका जवाब और जो माननीय सदस्यों ने आज की बहस में बोलकर कुछ मांगें की हैं, कुछ सुझाव दिये हैं, उनका जवाब भी उनको तीन दिन के अन्दर-अन्दर मैं पहुंचा दूंगा।

आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

एक माननीय सदस्य: मांग पारित कराने का प्रस्ताव कीजिए।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): नहीं, मेरी कोई अलग से मांग ही नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि और बागवानी विभाग की जो घोषणाएं हैं, वह मैं सदन की मेज पर रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: ज्यादा बड़ी नहीं हों तो आप पढ़ भी सकते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): मैंने मांग का प्रस्ताव तो रख दिया।

श्री उपाध्यक्ष: मेज पर रखने की अनुमति दी जाती है। यह कार्यवाही में सम्मिलित हो जाएगा, मंत्रीजी, आप रख दें। कार्यवाही में सम्मिलित मान ली जाएगी।

(श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री) द्वारा सदन पटल पर रखी गयीं कृषि और बागवानी विभाग की घोषणाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): मांग पारित कराने का प्रस्ताव तो मैंने रख दिया पहले ही।

मांग संख्या 37 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37–कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,50,65,12,000/- (पन्द्रह अरब पचास करोड़

(श्री उपाध्यक्ष)

पैंसठ लाख बारह हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24–पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,88,19,05,000/- (तीन अरब अट्ठासी करोड़ उन्नीस लाख पांच हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 18 अप्रैल, 2012 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.09 बजे बुधवार, दिनांक 18 अप्रैल, 2012 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

मांग संख्या 37 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-37 मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

1. विधान सभा क्षेत्र भीम में कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु कृषकों को खाद, बीज एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़):

2. प्रदेश में अधिक से अधिक किसानों को कृषि की जानकारी देने के लिये प्रशिक्षित करने एवं कृषि को उद्योग का दर्जा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. बहरोड़ तहसील में बीज बिक्री केन्द्रों की विभाग द्वारा समय-समय पर जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. अलवर जिले में फसलों को कीटों से बचावे के लिये अच्छे किस्म के कीटनाशकों की जानकारी देने एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में सरसों के लिये विशेष प्रशिक्षण सेंटर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ व अलवर जिले में अधिक संख्या में कृषि केन्द्र व उपकेन्द्रों को खोलने की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

7. पंचायत समिति बालेसर की ग्राम पंचायत चामू में सहायक कृषि अधिकारी व पंचायत समिति शेरगढ़ एवं पंचायत समिति बालेसर के ग्रामों में कृषि पर्यवेक्षक के नवीन पद सृजित करने/पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. प्रदेश में आधुनिक खेती फव्वारा, ड्रिप योजना व बगीचे लगाने तथा फलदार पौधे लगाने आदि को प्रोत्साहन देने हेतु सब्सिडी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. प्रदेश में फसल बीमे का सरलीकरण एवं खेतों में आगजनी से हो रहे नुकसान के लिये विशेष योजना बनाकर किसानों को लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में फव्वारा व ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने हेतु अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली):

11. प्रदेश में किसानों को राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लि. के माध्यम से चारा मिनिकिट वितरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. कृषि शिक्षा को उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा तक अनिवार्य शिक्षा में लाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. प्रदेश में बीज उत्पादन एवं नवाचार में किये एम.ओ.यू.एस. की प्रगति की समीक्षा एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

14. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में नवाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

15. प्रदेश में बून्द-बून्द सिंचाई योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

16. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जारी मंडी स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर):

17. जैसलमेर के किसानों को डिग्गी निर्माण पर अनुदान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में किसानों को विभाग द्वारा खाद बीज उपलब्ध नहीं कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद):

19. सीकर जिले में वर्ष 2010-11 के फव्वारा अनुदान की लम्बित पत्रावलियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

20. लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में स्थापित मिट्टी पानी परीक्षण प्रयोगशाला का उद्‍घाटन होने के बावजूद भी शुरू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. सीकर जिले के फतेहपुर कृषि अनुसंधान क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में कृषि पर्यवेक्षकों के पद स्वीकृत करने एवं रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

23. राजस्थान जलोत्थान योजना को कृषि श्रेणी में रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. राजसमन्द में सिंचाई हेतु फव्वारा योजना में दी जाने वाली अनुदान राशि नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. राजसमन्द जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में बजट अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर):

26. प्रदेश में केन्द्र द्वारा वित्तपोषित विभिन्न योजनाओं की राशियों का पूर्ण उपयोग नहीं होने से उत्पन्न स्थिाति पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में कृषि ऋणों में सहकारी एवं गैर-सहकारी क्षेत्र के आधार पर ब्याज अनुदान में भेदभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

28. प्रदेश में कृषि यन्त्रों पर अनुदान राशि पंजाब एवं कर्नाटक राज्यों के अनुरूप न बढ़ाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. किसानों को प्रत्येक जिन्स का समर्थन मूल्य निर्धारित न करने तथा पर्याप्त मात्रा में खरीद न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. किसानों को खाद एवं बढ़े हुए भावों के अनुरूप अनुदान न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा):

31. जोधपुर जिले में किसानों को खाद (डीएपी यूरिया) एवं बीजों की अनउपलब्धता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद):

32. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में कृषि उपज मण्डी को गौण मंडी से वापिस कृषि उपज मण्डी क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़):

33. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में किसानों को बुवाई के समय ग्वार के बीज की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना):

34. डीडवाना क्षेत्र के मौलासर में प्रस्तावित कृषि विज्ञान केन्द्र को अब तक स्थापित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. वर्ष 2011 के दौरान निरन्तर तेज वर्षा/अतिवृष्टि के कारण बाजरा, मूंग, मोठ आदि की पैदावार को गुणावत्ताहीन बताकर सरकारी खरीद नहीं करने एवं इसे फसल खराबा मानकर बीमा क्लेम नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

36. डीडवाना क्षेत्र में वर्ष 2009 में अकाल सूखे से खराब बीमित कृषि जिन्सों का बीमा क्लेम नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. वर्ष 2009 से अब तक राज्य के किसानों को घटिया किस्म के खाद बीज उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर):

38. विधान सभा क्षेत्र नगर में खाद एवं बीज समय पर किसानों को न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना):

39. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में वर्ष 2009 में खरीफ फसल के दौरान जिला नागौर की प्रत्येक तहसील के बीमित किसानों की संख्या में फेरबदल कर बीमा क्लेम की राशि बीमा कम्पनियों व भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा हड़प कर लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर):

40. कृषि उपज मण्डी खेड़ली जिला अलवर की अहिंसा सर्किल से वार्ड नं. 20 होती हुई रेलवे फाटक तक सी.सी. सड़क निर्माण करने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. मण्डी क्षेत्र कठूमर की सड़कों की मरम्मत कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):

42. राजस्थान राज्य बीज भण्डार निगम द्वारा वितरित किया गया बीज अमानक होने से हजारों काश्तकारों को हुये नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

43. प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित फल एवं सब्जियों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. प्रदेश के किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. किसान को समर्थन मूल्य के स्थान पर लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को सिफारिश करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

46. जनजाति बाहुल्य क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, बांसावाड़ा, सिरोही एवं प्रतापगढ़ के किसानों को फलदार खेती पर अनुदान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर):

47. प्रदेश के किसानों को मुआवजा देने के लिये हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना):

48. बयाना एवं रूपवास में कृषकों को समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने एवं सही समय पर खरीद केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. बयाना एवं रूपवास में किसानों को डीएपी और यूरिया खाद समय पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. बयाना में कृषकों की ऊबड़-खाबड़ जमीन को सरकार द्वारा समतल कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां):

51. नागौर जिले के कृषकों को सिंचाई हेतु अनुदान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र नावां में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिये किसानों को अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण):

53. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में सिंचाई के नये साधन एवं उपकरण किसानों को रियायती दर पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

54. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में कस्बा नौगांवा के पास कृषि अनुसंधान केन्द्र को कृषि कालेज में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के कस्बा बड़ोदामेव में पूर्व की भांति असिस्टेंट एग्रीकल्चर डाइरेक्टर आफिस खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के कस्बा गोविन्दगढ़ में नया कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा):

57. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के किसानों को कृषि ऋण एवं फसल का उचित मूल्य न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संजना आगरी (सोजत):

58. विधान सभा क्षेत्र सोजत में कृषकों के खरीफ एवं रबी की फसल के आंके गये मुआवजा की वापस जांच कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली):

59. विधान सभा क्षेत्र करौली में किसानों को उचित मूल्य से अधिक दामों पर खाद एवं बीज मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू):

60. विधान सभा क्षेत्र बायतू के किसानों की सुविधा हेतु गौण मण्डी में शेड निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र बायतू में पाला पड़ने पर जीरा, इसबगोल एवं अरण्डी के नुकसान का किसानों को मुआवजा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. प्रदेश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु विशेष योजना बनाकर किसानों में जागरुकता उत्पन्न करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र बायतू में विभाग के विभिन्न रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

64. प्रदेश में कृषकों की आय बढ़ाने के लिये आधुनिक कृषि को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर):

65. श्रीगंगानगर जिले के किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

66. श्रीगंगानगर जिले में किसानों को अत्यधिक मात्रा में फव्वारा पद्धति व बूंद-बूंद पद्धति से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

67. श्रीगंगानगर जिले में कृषि विभाग से सम्बन्धित योजनाओं की किसानों को पूर्ण जानकारी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना):

68. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में वित्तीय वर्ष 2009-10 की फसल बीमा राशि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):

69. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के किसानों को मिलने वाले अनुदानों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. प्रदेश में मेहन्दी की पैदावार का समर्थन मूल्य घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के किसानों को बुवाई से पूर्व समय पर खाद एवं बीज उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण):

72. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में सिंचाई प्रणाली के आधुनिकीकरण, कृषि प्रसार व अनुसंधान, मंडियों, एग्रो सेंटर एवं आबादियों का नियोजन व विकास हेतु प्रभावी कार्यक्रम व परिणाम मूलक योजना बनाने व उसके क्रियान्वयन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी):

73. विधान सभा क्षेत्र पिलानी की पंचायत समिति चिड़ावा के नरटड़ में कृषि विज्ञान केन्द्र की उपशाखा खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में रबी व खरीफ की बुवाई के दौरान किसानों को समय पर खाद्य-उर्वरक न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशोरायपाटन):

75. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में कृषि उपज मण्डी देई गौण को कृषि उपज मण्डी का दर्जा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना):

76. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के किसानों को हाईब्रिड बीज सहकारी समिति के माध्यम से उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में अरण्डी फसल को मौसम आधारित फसल बीमा योजना में सम्मिलित कर किसानों को फसल बीमा का लाभ देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. प्रदेश में शीतलहर (पाला) को प्राकृतिक आपदा में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में किसानों की खालें (फार्म पाउण्डर) बनाने पर सब्सिडी की राशि में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कृषि अधिकारी एवं अधीनस्थ स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़):

81. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में फार्म पाउण्डर की संख्या 100 स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. माण्डलगढ़ में संतरा प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):

83. प्रदेश के किसानों को जीरो बजट खेती के लिये प्रोत्साहित, प्रशिक्षित करने और कान्टेक्ट खेती के खतरों से समय रहते पूर्ण सजगता से अवगत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. प्रदेश के रायड़ा उत्पादक किसानों और आश्रित गतिविधियों के

प्रोत्साहन, संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रदेश को रायड़ा उत्पादक राज्य घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर):

85. प्रदेश में मौसम आधारित फसल बीमा योजना का आधार ग्राम पंचायत को बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर):

86. जिला हनुमानगढ़ में किसानों के खराब हुये अनार के बागों हेतु सहायता राशि उपलब्ध पर चर्चा के लिये।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही):

87. विधान सभा क्षेत्र सिरोही में किसानों को अनुदान नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

88. कृषि उपज मंडी समिति रामगंजमण्डी व कोटा में नवीन सड़कों के निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. रामगंजमंडी, कोटा में नये सहायक कृषि कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजय सिंह (डेगाना):

90. नागौर जिले के किसानों को कृषि विभाग की विभिन्न योजना के तहत समय पर अनुदान नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम थावला में गोभी-टमाटर के घटिया बीज वितरण से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलवाने एवं दोषी यू.पी.एल. बीज कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़):

92. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में कृषि व कृषकों सम्बन्धी समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):

93. प्रदेश में फसलों में आ रहे रासायनिक प्रभाव और भूमि की उर्वरा शक्ति में हो रही कमी को रोकने के लिये जैविक खाद के प्रचलन को

बढ़ावा देने के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़):

94. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के गंगानगर में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजयसिंह (डेगाना):

95. नागौर जिला मुख्यालय पर कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

96. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में किसानों के लम्बित मुआवजे के मामलों को शीघ्र निपटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर):

97. श्रीगंगानगर जिले में सरसों एवं चने की फसलों का पाले से वर्ष 2011-12 में हुये नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर):

98. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर कृषि पर्यवेक्षक के पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. प्रदेश में उन्नत बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. गौण मण्डी जहाजपुर को कृषि उपज मण्डी घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास):

101. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के ग्राम हरसौली, कोटकासिम, किशनगढ़बास व खानपुर मेवान में सहायक कृषि अधिकारी एवं नांगलसालियां, पुर, हरसौली, बिलाहेड़ी व बघेरी कलां में कृषि पर्यवेक्षक के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के उपखण्ड कार्यालय कोटकासिम में कृषि उपज मण्डी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के ग्राम बासकृपाल नगर में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में फसल बीमे का सरलीकरण व खेतों में आगजनी से हो रहे नुकसान के लिये विशेष योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण):

105. प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में फलदार पेड़ों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. प्रदेश में किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. प्रदेश के किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रत्येक जिले में वेयर हाउस बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. कृषि अलाभकारी व्यवसाय होने के कारण इसका समय रहते निदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां):

109. नावां में सहायक अधिकारी (कृषि विस्तार), चितावा का कार्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर):

110. प्रदेश के किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती बसन्ती देवी मीणा (सलूम्बर):

111. जनजाति उप योजना क्षेत्र में सरकारी अनाज खरीद केन्द्र खोलने एवं शीत भण्डार केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण):

112. जैसलमेर के नहरी क्षेत्र के सभी किसानों को डिग्गी निर्माण हेतु अनुदान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी):

113. बूंदी में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण):

114. अलवर जिले में किसान के लिये खाद की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सन्तोष कुमार सहारण (सादुलशहर):

115. प्रदेश में कृषि व्यवसाय को मनरेगा से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में खजूर की खेती के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

117. प्रदेश में किसानों को सामूहिक पोंड निर्माण पर देय अनुदान को 7.50 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. श्रीगंगानगर में सुपर फास्फेट के निर्माण हेतु संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. प्रदेश के किसानों को बागों की सुरक्षा हेतु बागों की फैंसिंग पर 75 प्रतिशत अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलत राज समेजा (रायसिंहनगर):

120. प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में सुरक्षा हेतु होमगार्ड के जवानों को लगाने एवं मण्डियों में सी.सी.टी.वी. कैमरों के माध्यम से मण्डियों के कारोबार पर नजर एवं सुरक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. सुखचैनपुरा (श्रीविजय नगर) गौण मण्डी को आरम्भ करने एवं समेजा, बाण्डा, डाबला में नई गौण मण्डी स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में रिक्त कृषि सुपरवाइजरों एवं कृषि उपज मण्डी समितियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. प्रदेश में नकली बीज, नकली पेस्टीसाइड दवाइयों की रोकथाम को प्रभावी करने तथा खाद (डी.ए.पी., यूरिया) पर अनुदान राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने के लिये कृषि डिग्गी निर्माण हेतु अनुदान राशि बढ़ाई जाने एवं कृषि विद्युत कनेक्शन/सोलर ऊर्जा हेतु अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवलकिशोर मीणा (बामनवास):

125. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में बूंद-बूंद सिंचाई के विस्तार के लिये

काम आने वाले पाइप पर अनुदान की राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कृषि पर्यवक्षकों, कृषि विशेषज्ञों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला):

127. एम.एस. स्वामीनाथ के नेतृत्व में गठित टास्क फोर्स के कार्य की प्रगति की समीक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

128. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राशि नवाचार पर खर्च करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. अन्य राज्यों की भांति प्रदेश को जी.एम. फ्री स्टेट घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं):

130. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के किसानों की सुविधा हेतु कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में सौर ऊर्जा आधारित पम्प सैट स्थापित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्रों की स्थापना पर 90 प्रतिशत अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. जल संग्रहण हेतु फार्म पोण्ड निर्माण पर देय अनुदान 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. प्रदेश में किसानों के लिये बुवाई के समय उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाडोल):

135. झाडोल उप खण्ड पर कृषि उपज मण्डी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. कोटड़ा उप खण्ड में कृषि उपज मण्डी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):

137. राज्य में जिला मुख्यालयों पर किसान भवनों का निर्माण हो जाने के बाद भी शुरू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

138. राज्य के किसानों को प्याज एवं लहसुन की लागत मूल्य भी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

139. कृषि विभाग द्वारा बीज उत्पादन करवाने के रेनवाल (जयपुर, किशनगढ़) की संस्था द्वारा घोटाला करने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

140. राज्य में शुष्क खेती को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल):

141. राज्य में जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु योजनायें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. अधिक मात्रा में फलों एवं सब्जियों की फसल लेने हेतु छिड़काव किये जाने वाले रसायनों पर रोक लगाने की कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़):

143. प्रदेश में ''उन्नत ग्रामीण गोदाम'' एवं ''चारा बैंक'' जैसी प्रगतिशील व कृषकोपयोगी योजनाओं को लागू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना):

144. मकराना में खाद-बीज के लिये उचित मूल्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. बाजार भाव को देखते हुए ग्वार के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने एवं मकराना के गच्छीपुरा ग्राम में स्थापित कृषि उपज मण्डी को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. मकराना में ड्रिप सिस्टम उपकरण क्रय सम्बन्धी सरकारी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर):

147. किसानों को कृषि में बढ़ावा देने हेतु किये जा रहे प्रयासों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

148. किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण):

149. व्यास कमेटी की सिफारिशों में शामिल, कोटा जिले में एग्रो-फूड़ टेक्नोलोजी इंस्टिट्यूट की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. कृषि उपज मंडी, कोटा में मंडी परिसर में कृषि जिन्सों की तुलाई पश्चात बची सोरन व दानों की बड़ी मात्रा में की गई जब्ती को खुर्द-बुर्द करके किये गये भ्रष्टाचार की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. कोटा जिले में कृषि महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा):

152. राजस्थान के किसानों की उपज पर कृषि जिन्सों पर वायदा व्यापार को प्रतिबन्धित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में उर्वरक खाद (डी.ए.पी., यूरिया) बीज पेस्टीसाइड की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

154. किसानों को कृषि में बढ़ावा देने हेतु किये गये कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

155. प्रदेश में बूंद-बूंद सिंचाई से कृषि को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

156. प्रदेश में किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी):

157. प्रदेश में किसानों को उत्पादन का सही मूल्य दिलाने पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 39 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-39 मुख्य शीर्षक पशुपालन एवं चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

1. विधान सभा क्षेत्र भीम के सभी पशु चिकित्सालयों में लम्बे समय से रिक्त चल रहे पशु चिकित्सक एवं पशुधन सहायकों के पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़):

2. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम डुमरोली, बीजोरावास, परतापुर, गाधोज, कान्हावास में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के पशु चिकित्सालय में लेबोरेटरी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के पशु चिकित्सालयों में जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के पशुपालकों की बीमा योजना का सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम पंचायत जखराना बहरोड़ में बकरी की नसल सुधार केन्द्र व शोध संस्थान की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़):

7. तहसील शेरगढ़ में पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सक सहायक एवं पशु धन सहायक के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पशु उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत एवं पशु चिकित्सालय नाथड़ाउ, भूंगरा, चामू एवं खुडियाला को प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी):

9. तहसील बस्सी जिला जयपुर की ग्राम पंचायत जटवाड़ा में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी):

10. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में पशु चिकित्सकों एवं सहायक कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के कस्वा, नादनपुर एवं सरमथुरा में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली):

12. प्रदेश में पशुपालन के संवर्धन एवं संरक्षण में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. प्रदेश में 3 वर्ष से छोटे बछड़े के निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटाने व प्रक्रिया के सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. जर्मप्लाज्म केन्द्र, नारवा खीचरियान जोधपुर तथा देशी गौवश संरक्षण के कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

15. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में ग्राम पंचायत सुरा, मारूडी, बालेरा, नांद में नये पशु उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

16. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में संचालित पशु चिकित्सा केन्द्र एवं उप केन्द्र में पशु चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा सहायक के अलावा अन्य स्टाफ के 38 रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर):

17. जैसलमेर में नया पशु चिकित्सालय खोलने एवं दवाई उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. जैसलमेर में पशुधन संख्या को देखते हुये गोधन एवं अन्य पशुओं को चरागाह के लिए भूमि आरक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. जैसलमेर पशु विचरण के लिये प्राकृतिक सेवण घास को बचाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. जैसलमेर क्षेत्र के बड़े गांव में दुग्ध डेयरी खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. जैसलमेर जिले में पशु के चरागाह के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद):

22. सीकर जिले के प्रत्येक गांव में पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर):

23. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में पशु सब सेन्टर रोनीजाथान को क्रमोन्नत कर पशु चिकित्सालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के ग्राम काटवाड़ी व इमलाडी में पशु सब सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

25. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के गाडोदा नेघवा में पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में भीरण सोला, भूमा बडण, ढहरकाबास एवं रूल्यामी में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

27. राजसमन्द जिला के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों एवं सहकर्मियों की भारी कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

28. सरकार की घोषणा के अनुसार ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रतिमाह पशु चिकित्सा शिविर लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. राजस्थान में गौशालाओं को प्रोत्साहन देने एवं नवीन गौशालाओं की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर):

30. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के ग्राम बडनगर, नवरंगपुरा, जयसिंहपुरा में पशु उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. प्रमुख पशुपालन वर्ग विशेष पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र की आमलोदा, काकराना बजरंगपुरा, खेजना एवं भाबरू में पशु उप चिकित्सा केन्द्र न खुलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के पावटा में 'अ' श्रेणी की पशु सुविधा न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में पिछले दो माह में मरे दुधारू पशुओं का मुआवजा न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. पशुओं के बीमा प्रीमियम अशंदान को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा):

35. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के राजकीय पशु चिकित्सालयों खारिया मीठापुर/बसा/भावी/बाला/कापरड़ा/बोरूंदा में पशु चिकित्सकों एवं पशुधन सहायकों के रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़):

36. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में 10 नये पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. राज्य में रजिस्टर्ड गौशालाओं पर प्रथम तीन वर्ष तक एम. एल. ए. व एम. पी. कोटे से राशि देने पर लगी पाबन्दी को हटाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

38. प्रदेश में गौशालाओं में देय अनुदान राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):

39. विधान सभा क्षेत्र बाली के गांव बड़ौद ढादाई भन्दर, चामुण्डेरी, लुन्दाडा, खेतरणी भीमाणा, कुमटिया में नवीन पशु उप केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र बाली के राजकीय पशु चिकित्सालय बाली, नाणा, बीसलपुर, सेवाड़ी, ढालोप में रिक्त पड़े डाक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ के पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना):

41. नागौर जिले के पशुओं में गलघोट, मुआव फिडक्या, विक्यू आदि बीमारी के वैक्सीन सम्बन्धित चिकित्सालयों में अनुपलब्धता व गुणवत्ताहीन साल्ट के होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. डीडवाना क्षेत्र के पशुपालक बाहुल्य गांव बावड़ी, बरांगना, कलवानी

आदि में पशु चिकित्सा सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र बगरू के खो-नागोरियान क्षेत्र में प्रस्तावित मछली मार्केट का विरोध क्षेत्रीय जनता, क्षेत्रीय विधायक व अनेक माननीय विधायकों द्वारा किये जाने के उपरान्त अब तक इसे निरस्त नहीं किये जाने व गलत मौका रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर):

44. विधान सभा क्षेत्र नगर में तहसील स्तर पर पशुपालन विभाग के कार्यालय का भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर):

45. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में पशु चिकित्सालय की बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के ग्राम रोनीजाथान में पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत):

47. विधान सभा क्षेत्र सोजत के पशु चिकित्सालयों में डाक्टरों व कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):

48. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की नस्ल सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. उदयपुर में जिला पशुपालन चिकित्सालय शहर के मध्य से स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

50. राज्य में प्रत्येक पंचायत समिति एवं तहसील केन्द्रों पर पशु चल चिकित्सा की सेवा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. राज्य की प्रत्येक पंचायत पर एक वैटेनरी डाक्टर एवं कम्पाउंडर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. प्रदेश में फसल बीमा की तरह पशु बीमा की योजना प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना):

53. विधान सभा क्षेत्र बयाना में पशुओं का टीकाकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास में पशु चिकित्सालय में डाक्टर का पदस्थापन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

55. बयाना में नया पशु औषधालय हेतु जमीन चिन्हित कर पशु अस्पताल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र बयाना के डांग क्षेत्र जैसोरण में नया पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. बयाना के पशु चिकित्सालय में डाक्टर का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर):

58. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ग्रामीण क्षेत्र में नये पशु चिकित्सा केन्द्र की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

59. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में 10 पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

60. कस्बा रामगढ़ के पशुचिकित्सालय को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली):

61. विधान सभा क्षेत्र करौली के पशुधन के ईलाज हेतु नये पशु चिकित्सा केन्द्र/उप केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू):

62. विधान सभा क्षेत्र बायतू के ग्राम नवासला को चिकित्सा केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र बायतू के ग्राम रतेउ, चिडिया एवं खोखसर में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पोली क्लिनिक खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र बायतू के पशु चिकित्सा केन्द्रों पर चिकित्सकों एवं

अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र बायतू में पशुओं के इलाज हेतु मुफ्त दवाइयां चिकित्सा केन्द्रों पर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर):

67. भरतपुर स्थित पशु चिकित्सालयों के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

68. भरतपुर में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित जवाहर प्रदर्शनी को नगर परिषद् को देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा):

69. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के पशु चिकित्सालय में डाक्टर, कम्पाउण्डर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

70. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के नया बाजार स्थित पशु चिकित्सालय को शहर से बाहर स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर):

71. श्रीगंगानगर जिले के पशुपालकों को ऋण उपलब्ध करवाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के पशु चिकित्सालयों में पूर्ण मात्रा में दवाईयां उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

73. श्रीगंगानगर जिले में पशु चिकित्सकों द्वारा हास्पीटल में पशु न देखकर निवास पर फीस लेकर इलाज करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

74. श्रीगंगानगर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र के जर्जर भवनों को दुरूस्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

75. श्रीगंगानगर जिले में पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना):

76. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में नये पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़):

77. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पशुपालन को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी. एल. प्रेमी (केशोरायपाटन):

78. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के खजूरी (नैनवां), सारसला एवं करवाला में नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी):

79. पंचायत समिति सूरजगढ़ के गांव खुडानिया, बेरी एवं देवरोड में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना):

80. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में राजकीय पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्राम अजीत, मजल, खण्डप एवं कुण्डल में पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्राम चाडों की ढाणी, भाटा, डण्डासी, जटेनरी, रामपुरा, काढाडी एवं मेली में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पशु चिकित्सा केन्द्रों पर चिकित्सक एवं अधीनस्थ स्टाफ की पूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्राम समदड़ी एवं सिणधरी के पशु चिकित्सालय को ''अ'' श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर):

85. प्रदेश में गौ-वंश संरक्षण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):

86. प्रदेश के गौ-वंश की रक्षा के लिये पशु आहार यथा-ग्वार, जौ, खल एवं

बाजरी आदि के भावों पर नियन्त्रण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. प्रदेश में देशी गौ-वंश के संरक्षण-संवर्धन हेतु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर केवल देशी गौ-वंश के वीर्य को ही काम में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. प्रदेश में देशी गौ-वंश के पालन को बढ़ावा देने एवं आक्सीटोसिन इंजेक्शन पर प्रतिबन्ध की सख्ती से पालना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. प्रदेश के पशुपालकों को देशी गाय की नस्लों यथा थरपारकर, राठी कांकरेच एवं रेन्डी आदि को खरीदने के लिए सब्सिडी, शून्य ब्याज ऋण एवं पशु बीमा को लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. प्रदेश में देशी नस्ल की गायों यथा थरपारकर, राठी, कांकरेज, रेन्डी, साहीवाल एवं गिर आदि के संवर्धन के लिये गौ-संवर्धन केन्द्रों की स्थापना करने एवं पूर्व से ही सरकारी अनुदान प्राप्त कर रही गौशालाओं में देशी नस्ल की गायों के संवर्धन के मानकों की पालना अनिवार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़):

91. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में पशु चिकित्सालयों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर):

92. राजस्थान में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों की भर्ती करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही):

93. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

94. कोटा जिले में पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. राज्य के पशुपालकों को पशुधन के पालन हेतु उचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

96. राज्य के समस्त पशुपालकों को पशुधन खरीदने हेतु ऋण उपलब्ध कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. राज्य के समस्त पशुधन का सरकार की ओर से नि:शुल्क बीमा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. राज्य में पशुधन की वृद्धि के लिये उच्च श्रेणी के पशुधन उपलब्ध कराने के लिये पशु मेलों का आयोजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम):

99. बीकानेर की मुरलीधर व्यास कालोनी के पशु चिकित्सालय को जिसे अन्य स्थान पर हस्तान्तरित कर दिया गया है उसे वापस मुरलीधर व्यास कालोनी में स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजयसिंह (डेगाना):

100. प्रदेश में तीन वर्ष से कम उम्र के बछड़ों को राज्य से बाहर ले जाने पर लगी रोक को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं को पुन: अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर):

103. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के ग्राम पंचायत किशनपुरा में राजकीय पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के बड़ाखेड़ा में राजकीय पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. ब्यावर में पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी):

106. विधान सभा क्षेत्र बून्दी के प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण):

107. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सब सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

108. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में तीन नये पशु चिकित्सालय एवं पांच नये पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)(नदबई):

109. विधान सभा क्षेत्र नदबई में संचालित भवन रहित पशु उपकेन्द्र कटारा, डहरा, जहांगीरपुर, हौंता, झारकई, खेड़िया ब्राहम्ण, रौनीजा एवं शाहपुर के लिए राजकीय भवन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव डहरा में संचालित पशु उपकेन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव गादौली, बाछामदी एवं बरौलीरान में नवीन पशु उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सन्तोष कुमार सहारण (सादुलशहर):

112. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन बनाने एवं स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में पशु चिकित्सालयों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों को सुचारु रूप से संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलत राज समेजा (रायसिंहनगर):

114. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में पशुपालन विभाग के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के गोमावाती एवं मुकलावा में नवीन पशु चिकित्सालय एवं उप पशु स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के ग्राम 71 NP एवं अन्य ग्रामों में पशुओं की चिकित्सा अप्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा किये जाने से पशुओं की हुई मौतों पर दोषी चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नवल किशोर (बामनवास):

117. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पशु चिकित्सा अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में नवीन पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के भवनहीन पशु चिकित्सा केन्द्रों/उप केन्द्रों के भवन बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला):

120. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में पशुओं के संवर्धन एवं संरक्षण की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के ग्राम लाखनी, कोटड़ी घायलान, चोकड़ी एवं पटवारी का बास में नये पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के पशु उप केन्द्र सरगोठ एवं जाजोद खेड़ी को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़):

123. विधान सभा क्षेत्र जमवारागढ़ में पशु उप केन्द्रों पर डाक्टर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पशु उप केन्द्रों में रिक्त पड़े पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पशु उप केन्द्र नीमला, नीम्बी, डोगु, डांगरबाड़ा, धामस्या, धुलारावजी, थौलाई थली एवं सानकोटड़ा को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं):

126. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के राजकीय पशु चिकित्सालय चौमूं व अजतपुरा के भवन के निर्माण हेतु 10-10 लाख रु. स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में स्थित पशु चिकित्सालयों व पशु उप केन्द्रों पर दवाइयां उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. पंचायत समिति गोविन्दगढ़ मुख्यालय पर स्थित पशु चिकित्सालय में

पशुओं के आपरेशन हेतु सर्जन का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम सिरस्या, रणजीतपुरा, नांगल गोविन्द, महारकलां, मोरीजा, डोलाका बास में नए पशु उप केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

131. अजमेर दक्षिण क्षेत्र में स्थित पशु चिकित्सालय को बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के ग्राम बालुपुरा में एक नया पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के कल्याणीपुरा ग्राम में एक नया पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. राजस्थान में स्थापित गौशालाओं को गौ-संरक्षण के लिए दिये जाने वाले आर्थिक अनुदान को बड़े पशुओं के लिए 20 रु. से बढ़कर 50 रु. व छोटे पशुओं के लिए 10 रु. से बढ़ाकर 30 रु. प्रतिदिन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना):

135. मकराना क्षेत्र के पशुपालन विभाग में रिक्त पड़े डाक्टर्स एवं पशुधन सहायकों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुरा):

136. जहाजपुर क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. जहाजपुर क्षेत्र में दांतड़ा बड़ा, कानपुरिया, बड़ला एवं लसाड़िया में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास):

138. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में राजकीय पशु चिकित्सा उप केन्द्र, बिलाहेड़ी, जाटूवास, बघेरीकलां, पुर, बाघौड़ा व घासोली को राजकीय पशु चिकित्सा केन्द्र में क्रमोन्नत करने व ग्राम कतोपुर, गुणसार, मुसाखेड़ा, महरमपुर, नूरनगर, राताखूर्द, बघाना, पतलिया, जटियाना आदि ग्रामों में नये राजकीय पशु चिकित्सा केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. प्रदेश में पशुओं में संक्रामक रोग, आगजनी व अन्य घटनाओं से होने वाली पशुहानि से होने वाले नुकसान पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि को वर्तमान परिपेक्ष्य के अनुसार बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा):

140. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) नांगलकोजू, निठारा, जगतपुरा, खोरी, छारसा, सुराणा, बिदारा, हाथनोदा, म्हारखुर्द, हनुतिया, मुरलीपुरा आदि ग्राम पंचायतों में नवीन पशु उप केन्द्र खोलने एवं त्रिवेणी (देवीपुरा), चारणवास (अमरपुरा) घासीपुरा, नवलपुरा आदि ग्रामों में पशु उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण):

141. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पंचायत सरू, पडूणा, चासदा, अलसीगढ़, ढीकली में पशु औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. जिला उदयपुर में पशुओं की निरन्तर घटती संख्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में राजकीय भवन रहित पशु चिकित्सालयों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पशु औषधालय में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

145. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पशु औषधालय में दवाइयां एवं उपकरणों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां):

146. राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड को प्रभावशाली एवं अधिकार सम्पन्न बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

147. विभाग द्वारा राठी, नागौरी, थारपारकर गायों की नस्ल सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

148. प्रदेश में नागौरी नस्ल के विश्व प्रसिद्ध 3 वर्ष के बछड़ों की ब्रिकी पर लगी रोक को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

149. प्रदेश में पशुओं के पशु आहार पर सब्सिडी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. प्रदेश में निःशुल्क पशु दवा योजना का प्रचार-प्रसार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम (रेवदर):

151. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में रिक्त पड़े पशु चिकित्सकों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):

152. राज्य के समस्त ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

153. राज्य के पशुओं की नस्ल सुधार पर अनुसन्धान को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के ग्राम मन्दा, राड की ढाणी (मूण्डीयावास), मानीपुरा, ढेहर लिखमा का बास, जीवणवास आदि ग्रामों में पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. राज्य के बछड़ों को राज्य से बाहर ले जाने पर लगी रोक हटवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल):

156. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में ग्राम कन्थारिया, साडोल में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के ग्राम बिराठी साडोल में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती बसन्ती देवी मीणा (सलूम्बर):

158. जनजाति उप योजना क्षेत्र में पशु औषधालयों एवं चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा सहायकों एवं पशुधन सहायकों के पद तोड़ देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण):

159. जैसलमेर के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल):

160. प्रदेश में पशुपालन विभाग में रिक्त पदों को भरने एवं विभाग के पशुधन सहायक जो कि अन्य विभागों में प्रतिनियुक्त पर हैं, को विभाग में वापिस बुलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. प्रदेश में प्रत्येक तहसील स्तर पर पशु चिकित्सालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़):

162. तहसील शेरगढ़ में पशु चिकित्सा शिविरों का प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नियमित रूप से आयोजन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. तहसील शेरगढ़ में भवन विहिन पशु चिकित्सालय एवं उप केन्द्रों के भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना):

164. प्रदेश में पशुओं में मौसम अनुसार होने वाली विभिन्न बीमारियों के समय पर इलाज हेतु समस्त प्रकार की दवाइयां/वैक्सीन नि:शुल्क चिकित्सालयों में उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. मकराना क्षेत्र के ग्राम बिल्लु व बूडसू में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. मकराना के ग्राम कालवा में पशु चिकित्सालय उप केन्द्र का भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. मकराना के ग्रामीण क्षेत्र में उत्तम प्रजनन की नस्लों हेतु नि:शुल्क साण्डों एवं भैसों (हरियाणवी नस्ल) की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर):

168. प्रदेश में गौ-संरक्षण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

169. प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण):

170. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में राजकीय पशु चिकित्सालय विज्ञान नगर, पशु चिकित्सालय सिविल लाइन्स में भवन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. पशु चिकित्सालय कोटा में एक्सरे मशीन व अल्ट्रासाउण्ड मशीन स्थापित किए जाने व जल आपूर्ति हेतु ट्यूबवैल लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. कोटा जिले में पशु चिकित्सा की मोबाइल सर्जिकल यूनिट्स हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने एवं पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान कोटा में कन्या छात्रावास, लेक्चरर थियेटर की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. राज्य की पशु सम्पदा को उन्नत एवं पशुपालन को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिये आवश्यक कार्य योजना बनाकर उसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. कोटा में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा):

175. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के पशु चिकित्सालयों में दी जाने वाली नि:शुल्क दवाइयों के नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

176. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के पशु चिकित्सालय/पशु उप केन्द्र में रिक्त पड़े पशु चिकित्सकों/पशुधन सहायकों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नये पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

178. खींवसर क्षेत्र के ग्राम बलाया भेड, पांचला सिद्धा में पशु उप केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

179. नागौर जिले में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

180. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में नये पशु चिकित्सालय व उप केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

181. प्रदेश में पशुओं में मौसमी बीमारियों के समय पर इलाज हेतु समस्त प्रकार की दवाइयों वैक्सीन नि:शुल्क चिकित्सालयों में उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

182. प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी):

183. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में पशु चिकित्सा हेतु नये चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. प्रदेश के किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करने एवं प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

185. प्रदेश के आदिवासियों को पशु क्रय-अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-3

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री) द्वारा सदन पटल पर रखी गयीं कृषि एवं बागवानी विभाग की घोषणाएं

वर्ष 2012-13 के लिए माननीय कृषि मंत्री महोदय के द्वारा की जाने वाली घोषणाएं

- जनजाति उपयोजना क्षेत्र के कृषकों के यहां गत वर्षों में मक्का के नि:शुल्क संकर बीज वितरण से इसकी उत्पादकता में हुई वृद्धि के दृष्टिगत खरीफ 2012 में भी बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ व सिरोही जिले के जनजाति उपयोजना क्षेत्र के जनजाति व गैर जनजाति बीपीएल कृषकों एवं बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति कृषकों को मक्का संकर किस्मों के बीज (5 किलोग्राम प्रत्येक कृषक) नि:शुल्क वितरित किये जायेंगे।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2010-11 में आठ चयनित जिलों (सीकर, झुंझुनूं, बीकानेर, चूरू, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर तथा जालोर) में लघु एवं सीमांत कृषकों को खरीफ 2012 में संकर बाजरा बीज मिनिकिट का वितरण किया जायेगा, ताकि बाजरा फसल का बीज प्रतिस्थापन दर में बढ़ोतरी कर प्रति इकाई अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजनाएं:-

(1) पोषण सुरक्षा के लिए सघन कदन्न संवर्धन कार्यक्रम (इनसिम्प) के तहत चयनित 12 जिलों यथा अजमेर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चुरू, जालौर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, सीकर एवं झुंझुनू में खरीफ 2012 में चयनित क्लस्टर में लगभग 2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में उत्पादन तकनीक के प्रदर्शन आयोजित कर कृषकों को बाजरा बीज व अन्य आदान उपलब्ध कराये जायेंगे।

(2) वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आर.ए.डी.पी.) के तहत चयनित 19 जिलों में क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत 60,000 हैक्टेयर क्षेत्रफल मे फसल विशेष आधारित फसल पद्धति प्रदर्शनों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है एवं लगभग 1 लाख कृषकों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। कृषि आदानों (बीज, उर्वरक, जिप्सम आदि) पर अनुदान उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। खरीफ 2012 में विभिन्न फसलों का 20220 क्विंटल प्रमाणित बीज कृषकों को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत अन्य गतिविधियों यथा बीज उत्पादन, जैविक खेती प्रोत्साहन, आवश्यकता आधारित तकनीकी विकास कार्यक्रम आदि का क्रियान्वयन किया जाना भी प्रस्तावित है।

(3) त्वरित चारा विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2012-13 में कुल अनुमानित 10 लाख कृषकों को लाभान्वित किया जाना है जिसमें भारत सरकार से प्राप्त प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार लगभग 45.00 करोड़ रु. व्यय होने का अनुमान है ।

- वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत डूंगरपुर जिले में बी.टी. कपास बीज उत्पादन करने वाले जनजाति क्षेत्र के 1000 किसानों के लिए रुपये 785.68 लाख की परियोजना क्रियान्वित की जायेगी। परियोजना के तहत ड्रिप स्थापना उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायनों पर अनुदान एवं सिंचाई सुविधा का निर्माण किया जायेगा जिससे जनजाति क्षेत्र के कृषकों की आय में वृद्धि हो सके।
- महिला कृषकों को तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हेतु प्रशिक्षणों का आयोजन करवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से कृषकों को फसलों के बीज उत्पादन तकनीक, मृदा एवं जल परीक्षण का महत्व व उनके नमूने एकीकृत करने के साथ ही बूंद-बूंद सिंचाई (ड्रिप), फव्वारा सिंचाई विधि, कृषि यंत्र/पौध संरक्षण यंत्र, पाइप लाइन एवं डिग्गी निर्माण कर जल के समुचित उपयोग की जानकारी दी जाती है। इन प्रशिक्षणों में लघु/सीमान्त/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक दिवसीय महिला कृषक प्रशिक्षण वर्ष 2012-13 में आयोजित किये जायेंगे।
- समस्त 10 ग्राह्य परीक्षण केन्द्रों को माडल फार्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए आधारभूत ढांचागत विकास, हाइटेक कृषि प्रदर्शनों के आयोजन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत राशि रुपये 757.05 लाख के कार्य किये जायेंगे।
- उत्कृष्टता केन्द्र - जलवायु परिवर्तन, कृषि में सूचना तकनीकी का उपयोग, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का विकास, फसलोत्तर प्रबन्धन, समन्वित कीट प्रबन्धन, ग्रीन हाउस कल्टीवेशन आदि को ध्यान में रखते हुए कृषि में उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी व गुणवत्ता पूर्वक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2012-13 में राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, दुर्गापुरा में विभिन्न उत्कृष्ट केन्द्र (सेन्टर आफ एक्सीलैन्स) यथा कृषि विस्तार, फार्म मशीनरी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि क्रियाशील किये जायेंगे । उक्त

संस्थान पर 7500-10000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किया जाना सम्भव होगा तथा कृषि व सम्बद्ध विभागों को प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

- राज्य में उर्वरक विश्लेषण हेतु 4 प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष 3 नई उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाओं (कोटा, अजमेर व श्रीगंगानगर) का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- रबी 2012-13 में गेहूं एवं जौ फसल के 10 वर्ष तक की अधिसूचित किस्मों के आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र की बीज संस्थाओं यथा - राजस्थान राज्य बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, स्टेट फार्म कारपोरेशन आफ इण्डिया, तिलम संघ, कृभको एवं इण्डियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेन्ट को-आपरेटिव लि. को 500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सहायता दी जायेगी। उक्त राशि में से रुपये 400 प्रति क्विंटल सम्बन्धित बीज उत्पादक कृषकों को बीज संस्थाओं के माध्यम से दिया जायेगा ताकि राज्य के सभी बीज उत्पादक कृषक समान रूप से लाभान्वित हो सके।
- वर्ष 2012-13 में 33,000 हैक्टेयर क्षेत्र में बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्र व 94,000 हैक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा संयंत्र स्थापित किये जायेंगे तथा 600 जल संरक्षण ढांचों का निर्माण किया जायेगा।
- वर्ष 2012-13 में 9,400 हैक्टेयर (नौ हजार चार सौ है.) क्षेत्र में फल बगीचे स्थापित किये जायेंगे।
- वर्ष 2012-13 में 100 ग्रीन हाउस व 90 शेडनेट स्थापित किये जायेंगे।
- वर्ष 2012-13 में 2000 प्याज भण्डार संरचनाओं का निर्माण करवाया जाएगा।
- वर्ष 2012-13 में 300 हैक्टेयर क्षेत्र में कृषकों के खेतों पर अनुदानित दरों पर खजूर पौध रोपण सामग्री उपलब्घ कराई जावेगी।
- सौर ऊर्जा संचालित पम्प सेट - बहुमूल्य आदान जल एवं ऊर्जा दोनों की बचत सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में सौर ऊर्जा से संचालित 500 पम्प संयंत्रों की स्थापना की गयी है। ये संयंत्र मुख्य रूप से सतही जल स्त्रोतों पर सौर ऊर्जा पम्प संचालित ड्रिप, स्प्रिंक्लर का उपयोग कर बागवानी फसलों में सिंचाई के उपयोग में लाये जा सकेंगे। राज्य में सौर ऊर्जा संचालित पम्पों की बढ़ती मांग के दृष्टिगत माननीय मुख्य

मंत्री महोदय ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में 2200 सौर ऊर्जा संचालित पम्प स्थापित करवाया जाना प्रस्तावित किया है।

- उत्कृष्टता केन्द्र (Excellence Centre)-राज्य में उद्यानिकी विकास एवं उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबन्धन को दृष्टिगत रखते हुये समुचित अन्तर्राष्ट्रीय तकनीक के सहयोग से राज्य के प्रमुख फल उत्पादन संतरा, खजूर एवं अनार प्रत्येक हेतु 1-1 उत्कृष्टता केन्द्र (Excellence Centre) स्थापित करने का राज्य सरकार विचार रखती है, जहां इन फलों के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन का प्रदर्शन, नर्सरी में पौध तैयार करना, फसलोत्तर प्रबन्धन एवं किसानों को तकनीकी शिक्षण-प्रशिक्षण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

महिला कृषि शिक्षा के बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विषय में अध्ययनरत, उच्च माध्यमिक कक्षाओं की छात्राओं की प्रोत्साहन राशि 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये, बीएससी एवं एमएससी की छात्राओं की प्रोत्साहन राशि 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये तथा पीएचडी करने वाली छात्राओं की प्रोत्साहन राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति वर्ष की जा रही है।

राज्य में जल की कमी को देखते हुए फसलों की सिंचाई हेतु वर्षा जल संग्रहण व उपलब्ध जल के कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है। अत: फार्म पोण्ड निर्माण पर देय अनुदान राशि की अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये तथा डिग्गी निर्माण हेतु देय अनुदान राशि 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किये जा रहे हैं तथा आगामी वर्ष में 15 हजार फार्म पोण्ड्स व डिग्गियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

कृषकों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश में आगामी वर्ष स्वीकृत किये जाने वाले 1 लाख रुपये तक के फसली ऋण समय पर चुकाने पर सम्पूर्ण ब्याज राशि, अनुदान के रूप में राज्य सरकार देगी।

वर्तमान में राज्य में काफी संख्या में किसान बटाई पर खेती करते हैं, किन्तु खेत पर उनका मालिकाना हक नहीं होने के कारण उन्हें न तो फसली ऋण की सुविधा सुलभ है और न ही कृषि विभाग की योजनाओं में अनुदान का लाभ मिल पाता है। अत: बटाई पर खेती करने वाले किसानों को फसली ऋण तथा राजकीय योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र बनाने हेतु कानूनी प्रावधान कर लाभान्वित किया जाएगा।

किसानों को अपनी रबी में गेहूं की फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए केन्द्र द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 100 रुपये प्रति

क्विंटल बोनस के रूप में दिये जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आये 95 कृषि अधिकारी व 138 सहायक कृषि अधिकारियों को नियुक्ति दी गई।

वर्ष 2011-12 में सीधी भर्ती के 1172 पदों का विज्ञापन जारी कर भर्ती की कार्यवाही जारी है। इसमें अधीनस्थ सेवा के कृषि पर्यवेक्षक व अन्वेषक की भर्ती में साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया है, भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इन 1172 विज्ञापित पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या	भर्ती संस्था
1	कृषि अधिकारी	27	राजस्थान लोक सेवा आयोग
2	कृषि अनु. अधिकारी	4	
3	सहा.कृषि.अनु.अधि.	5	
4	सहा. कृषि अधिकारी	231	
5	कृषि पर्यवेक्षक	897	स्वामी केश्वानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
6	अन्वेषक	8	

कृषि गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन, कृषकों को नवीनतम कृषि तकनीकों एवं योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस वर्ष कृषि पर्यवेक्षकों एवं सहायक कृषि अधिकारियों के कुल 750 नवीन पद सृजित किये जायेंगे।

कृषकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी एवं लाभ एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने की दृष्टि से 3000 ग्राम पंचायतों व 249 पंचायत समिति मुख्यालयों पर इस वर्ष किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवनों में कराया जाएगा। इस प्रकार ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि व राजस्व विभाग से सम्बन्धित समस्त सुविधाएं कृषकों को एक ही स्थान पर मिल सकेंगी।